भारत सरकार

परिणाम बजट

2012 - 2013

जल संसाधन मंत्रालय

विषय सूची

अध्याय/पैरा सं.	विषय	पृष्ठ सं.
	कार्यकारी सार	1
I	**मंत्रालय/विभाग के कार्यों, संगठनात्मक ढ़ाचे के संबंध में संक्षिप्त परिचयात्मक टिप्पण, मंत्रालय/विभाग द्वारा क्रियान्वित किए गए प्रमुख कार्यक्रम/स्कीमों की सूची, इसका अधिदेश, लक्ष्य और नीतिगत ढांचा**	5-11
II	**परिव्ययों और परिणामों/लक्ष्यों का विवरण : वार्षिक योजना** 2012-13	12-18
III	**सुधारात्मक उपाय और नीतिगत प्रयास**	19-22
IV	**विगत निष्पादन की समीक्षा**	23
V	**समग्र वित्तीय समीक्षा**	
	वित्त वर्ष 2011-12 में व्यय का रूझान	24-25
	बजट एक दृष्टि में	26-32
	उपयोग प्रमाण पत्र	33
VI	**सांविधक/स्वायत्त संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य निष्पादन की समीक्षा**	
	सांविधिक निकाय :	
6.1.1-6.1.5	ब्रह्मपुत्र बोर्ड	34-37
6.2.1	रावी और व्यास जल अधिकरण	37
6.3.1	कावेरी जल विवाद अधिकरण	38
6.4.1-6.4.2	कृष्णा जल विवाद अधिकरण	38-39
6.5.1	वंसधारा जल विवाद अधिकरण	39
6.6.1	महादायी जल विवाद अधिकरण	40
	स्वायत्त निकाय (सोसाइटियां) :	

6.7.1-6.7.6	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण	40-42
6.8.1-6.8.5	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान	42-44
	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम:	
6.9.1-6.9.6	जल तथा विद्युत परामर्शी सेवाएं (भारत) लिमिटेड	44-46
6.10.1-6.10.6	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड	46-47

अनुलग्नक

I	**2010-11** में निष्पादन	48-62
II	2011-12 में निष्पादन	63-79
III	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय परियोजना के विषय में सूचना	80-83
IV	XIवीं योजना परिव्यय की तुलना में जल संसाधन मंत्रालय के बजट का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	84
V	XII वीं योजना परिव्यय की तुलना में वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु जल संसाधन मंत्रालय के बजट का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण	85

कार्यकारी सार

इस मंत्रालय का परिणाम बजट 2012-13 वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निहित व्यापक प्रारूप के अनुसार तैयार किया गया है । इस बजट में वित्त वर्ष 2010-11 में वास्तविक निष्पादन दर्शाते हुए वित्त बजट के वास्तविक पक्षों वित्त वर्ष 2011-2012 के प्रथम 9 माह तथा 2012-13 के दौरान लक्षित निष्पादन को रेखांकित किया गया है । इस बजट में मंत्रालय के विभिन्न पहलुओं को समाहित करते हुए निम्नलिखित अध्याय हैं :-

अध्याय

शामिल पहलू

I. यह मंत्रालय के कार्यों, संगठनात्मक ढांचा, आयोजना और नीतिगत ढांचे तथा मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों/स्कीमों का संक्षिप्त परिचय देता है । संक्षेप में भारत सरकार में जल संसाधन मंत्रालय जल के एक राष्ट्रीय संसाधन के रूप में समग्र विकास, संरक्षण और प्रबंधन तथा विभिन्न जल प्रयोगों के समन्वय सहित इस संबंध में समग्र राष्ट्रीय परिदृश्य और समन्वय हेतु नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करने के लिए जिम्मेदार है । केन्द्रीय मंत्री, राज्य मंत्री तथा सचिव के नियंत्रणाधीन मंत्रालय प्रशासन स्कन्ध, वित्त स्कन्ध और नौ विषयगत स्कन्धों के अंतर्गत गठित है । इस मंत्रालय के दो संबद्ध कार्यालय, सात अधीनस्थ कार्यालय, सात सांविधिक निकाय, दो स्वायत्त निकाय (सोसायटीज) और दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं । ग्यारहवीं योजना अवधि के लिए इस मंत्रायल द्वारा कार्यान्वित/मॉनीटर किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों के अंतर्गत गतिविधियों को 15 केन्द्रीय क्षेत्र, और 05 राज्य क्षेत्र स्कीमों (सीएडीएवंडब्ल्यूएम की एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम 2008-09 से राज्य क्षेत्र में डाल दी गई है) में मिला दिया गया है ।

II. इसमें सारणीबद्ध प्रारूप है जिसे बजट प्राक्कलन के विवरण (एसबीई) के "ऊर्ध्वाधर संक्षेपण और क्षैतिज विस्तार" के रूप में देखा जा सकता है इसे व्यय बजट खंड II में शामिल किया गया है । इसका मुख्य उद्देश्य (वित्तीय) बजट 2012-2013 और परिणाम बजट 2012-2013 के बीच क्रमवार सामंजस्य स्थापित करना है । इस ब्यौरे में वित्तीय परिव्यय, प्रक्षेपित परिणाम और प्रक्षेपित/बजटीय परिणाम (मध्यम, आंशिक और अंतिम, जैसा भी मामला हो) शामिल हैं ।

III. इसमें मंत्रालय द्वारा किये गये सुधार उपाय और नीतिगत कार्यों तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी, वैकल्पिक वितरण तंत्र, सामाजिक और लिंग सशक्तीकरण प्रक्रिया व्यापक विकेन्द्रीकरण, पारदर्शिता इत्यादि जैसे क्षेत्रों में अंतरवर्ती परिणाम और अंतिम परिणामों से किस तरह इन्हें जोड़ा जाये, का विवरण दिया गया है ।

IV. इसमें अंतर के कारणों से वास्तविक निष्पादन का स्कीमवार विश्लेषण; अलग-अलग कार्यक्रमों/स्कीमों के क्षेत्र और उद्देश्यों की व्याख्या, 2010-11 के दौरान तथा 2011-12 की तीसरी तिमाही तक वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्यौरा दर्शाया गया है ।

V. इसमें हाल के वर्षों में बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों की तुलना में व्यय की समग्र प्रवृत्तियों को समाहित करते हुए वित्तीय समीक्षा दी गई है । इस अध्याय में राज्यों और कार्यान्वयन

अभिकरणों के पास बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों और खर्च न हुई बकाया राशि की स्थिति का ब्यौरा दिया गया है ।

VI. इस अध्याय में इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणधीन सांविधिक/स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निष्पादन की समीक्षा दी गई है ।

1. संघ मंत्रिमंडल द्वारा 6 अप्रैल, 2011 को राष्ट्रीय जल मिशन को दिये गए अनुमोदन की अनुपालना करते हुए एक मिशन सचिवालय की स्थापना की गई है । वर्तमान में अपर सचिव, जल संसाधन मंत्रालय इसके मिशन निदेशक हैं और उनके निर्देशन में इसमें कार्य किया जा रहा है । राष्ट्रीय जल मिशन दस्तावेज में परिकल्पित आठ सलाहकार समूहों/समितियों का गठन किया गया है ।
2. जल संसाधन मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभावों को ध्यान में रखते हुए स्थायी एवं समान विकास सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय जल नीति, 2002 की समीक्षा शुरू की है ।
3. जल संसाधन मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों में जल उपयोग दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय जल उपयोग दक्षता ब्यूरो (एनबीडब्ल्यूयूई) स्थापित करने का प्रस्ताव किया है ।
4. मंत्रालय ने 1987 में राष्ट्रीय जल नीति अपनाई और इसे बाद में संशोधित कर दिया गया । संशोधित राष्ट्रीय जल नीति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद द्वारा 1 अप्रैल, 2002 को इसकी 5वीं बैठक में अपनाई गई ।
5. जल संसाधन मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय केन्द्रीय जल आयोग मुख्य केन्दों पर जलवैज्ञानिक प्रेक्षणों से संबंधित विशिष्ट गतिविधियॉ, अभिज्ञात परियोजनाओ, विशेषत: पूर्वोत्तर क्षेत्र में, का सर्वेक्षण और अन्वेषण, जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, डिजाइन और मूल्यांकन तथा बाढ़ पूर्वानुमान में राज्यों की सहायता करता है । केन्द्रीय जल आयोग अपने विभिन्न मानीटरिंग निदेशालयों और क्षेत्र संरचनाओं के माध्यम से चयनित चालू वृहद, मध्यम और विस्तार, पुनरूद्धार एवं आधुनिकीकरण (ईआरएम) सिंचाई परियोजनाओं की सामान्य मानीटरिंग करता है। आयोग, मुख्य रूप से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन स्कीमों के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर रही वृहद, मध्यम और चुनिंदा लघु सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन की मानीटरिंग करता है । मानीटरिंग के एक भाग के रूप में सीडब्ल्यूसी के अधिकारियों द्वारा नियमित आधार पर इन परियोजनाओं का दौरा किया जाता है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों की मानीटरिंग करने के लिए इस मंत्रालय के कमान क्षेत्र विकास स्कंध के अधिकारियों द्वारा कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं का भी दौरा किया जाता है ।
6. जल संसाधन मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड के मुख्य कार्यकलापों में भू जल प्रबंधन अध्ययन, भूजल प्रबोधन, भूभौतिकी अध्ययन, अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग, कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन अध्ययन, दूर संवेदी अध्ययन, जल गुणवत्ता विश्लेषण, अल्पकालिक जल आपूर्ति, अन्वेषण, भूजल विकास का विनियमन, जन जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि शामिल हैं । भूजल प्रबंधन एवं विनियमन संबंधी स्कीम के अंतर्गत 2011-2012 (31 दिसंबर, 2011 तक) के दौरान मुख्य उपलब्धियां भूजल प्रबंधन अध्ययनों के अंतर्गत मानसून-पूर्व की अवधि के दौरान 1.70 लाख वर्ग किमी. क्षेत्र एवं मानसून पश्चात की अवधि के

दौरान 1.19 लाख वर्ग किमी. क्षेत्र को शामिल करना, भूभौतिकीय एवं दूर संवेदी अध्ययनों द्वारा समर्थित वैज्ञानिक भूजल अन्वेषण संबंधी कार्यक्रम के अंतर्गत 495 कुंओं (5400 लिटर प्रति घंटा से 140160 लिटर प्रति घंटा तक के उच्च निस्सरण वाले 43 कुंओं सहित) की खुदाई, 15640 भूजल प्रेक्षण कुंओं की निगरानी, 35 बोर होल्स की उर्ध्वाधर विद्युत साउन्डिंग एवं भूभौतिकीय लोगिंग, 14619 नमूनों (आधारभूत विश्लेषण, भारी धातु एवं कार्बनिक) का विश्लेषण, रक्षा एवं अन्य विभागों के 140 जल आपूर्ति अन्वेषण और विभिन्न रिपोर्टें तैयार करना है । 2009 को आधार वर्ष मानते हुए देशव्यापी गत्यात्मक भूजल संसाधन आकलन पूरा कर लिया गया है ।

7. XIवीं योजना के दौरान 83.920 करोड़ रूपये की राशि की 1488 संरचनाओं की 83 कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाएं अनुमोदित कर दी गई हैं और 31 दिसंबर, 2011 की स्थिति के अनुसार 20 राज्यों को 64.70 करोड़ रूपये जारी कर दिए गए हैं । नवंबर, 2011 तक 568 संरचनाएं पूरी कर ली गई हैं और शेष का कार्य प्रगति पर है । पुनर्भरण सुविधाओं के सिविल कार्य पूरे करने के बाद इन स्थलों पर सफल उदाहरणों के माध्यम से कृत्रिम पुनर्भरण एवं वर्षा जल संचयन की दक्षता प्रदर्शित करने और भविष्य में समान स्थितियों में राज्यों द्वारा इस प्रक्रिया को दोहराने के लिए प्रभाव आकलन अध्ययन शुरू किए जाएंगे । वर्ष 2011-12 के दौरान ओड़िशा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, दिल्ली, बिहार, नागालैंड, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब में 35.29 करोड़ रूपये की राशि की 413 कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं सहित 59 कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं और दिसंबर, 2011 तक 31.23 करोड़ रूपये की राशि जारी कर दी गई है । इसमें दूसरी/तीसरी किस्त के रूप में जारी की गई 6.51 करोड़ रूपये की राशि शामिल है । इस वर्ष में नवंबर, 2011 तक कुल 204 कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाएं पूरी कर ली गई थी ।

8. जल संसाधन मंत्रालय की "डगवेलों के माध्यम से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण" संबंधी, केन्द्र द्वारा वित्तपोषित राज्य क्षेत्रक स्कीम 7 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य पद्रेश में 1798.71 करोड़ रूपये का सब्सिडी अति-दोहित/गंभीर/अद्ध-गंभीर क्षेत्रों में भूजल संसाधनों का संवर्धन करना है । 713042 लाभग्राहियों को 260.921 करोड़ रूपये की कुल सब्सिडी जारी की गई है । कार्यान्वयनकारी राज्यों में जिन लाभग्राहियों को सब्सिडी प्राप्त हुई थी उनके द्वारा डगवेल पुनर्भरण संरचना का निर्माण अभी भी जारी है । सहभागी राज्यों में 31 अगस्त, 2011 तक कुल 107249 डगवेल पुनर्भरण संरचनाएं बनाई गई हैं । इस स्कीम के विभिन्न घटकों के अंतर्गत 31 अगस्त, 2011 तक किया गया कुल व्यय 280.798 करोड़ रूपये है । राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत 23 प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किए गए हैं 409 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है ।

9. संबंधित क्रियान्वयन अभिकरणों के साथ नियमित आवधिक व्यय समीक्षा बैठकों के माध्यम से मंत्रालय द्वारा विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों के संबंध में वित्तीय और वास्तविक प्रगति की मानीटरी की जाती है । राज्य क्षेत्र स्कीमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्य के जल संसाधन/सिंचाई/बाढ़ नियंत्रण सचिवों के साथ बैठकें की जाती हैं ।

10. मंत्रालय के अंतर्गत अन्य संगठन जैसे केन्द्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधानशाला, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान अन्य बातों के साथ-साथ जल संसाधन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यकलापों में जुटे हुए हैं ।
11. सूचना, शिक्षा तथा संचार स्कीम के अंतर्गत, सामूहिक तौर पर जल संसाधनों के अधिकतम विकास तथा प्रबंधन के महत्व के बारे में विभिन्न लक्ष्य, समूहों के बीच जागरूकता लाने की दृष्टि से मंत्रालय और इसके संगठनों के जन जागरूकता कार्यकलाप कार्यान्वित किए जाते हैं। एक समिति कार्यालयों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने तथा समय पर उपचारी उपाय और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए समय समय पर मीडिया योजना की समीक्षा करती है ।
12. विभाग और मंत्रालय द्वारा जल संसाधन विकास स्कीम के अन्वेषण की नियमित रूप से निगरानी की जाती है । वास्तविक प्रगति सहित वित्तीय प्रगति की निगरानी प्रति माह की जाती है । इस संबंध में प्रगति के बारे में आम जनता को अवगत कराने के लिए संबंधित संगठनों को संबंधित वेबसाइटों पर वास्तविक/वित्तीय लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि के ब्यौरों को प्रस्तुत करना तथा इसे नियमित रूप से अद्यतन करना अपेक्षित है ।

अध्याय-1

मंत्रालय/विभाग के कार्यों, संगठनात्मक ढ़ाचे के संबंध में संक्षिप्त परिचयात्मक टिप्पण, मंत्रालय/विभाग द्वारा क्रियान्वित किए गए प्रमुख कार्यक्रम/स्कीमों की सूची, इसका अधिदेश, लक्ष्य और नीतिगत ढांचा

परिचय

1.1 जल संसाधन मंत्रालय, जल के विभिन्न उपयोग में समन्वय स्थापित करने के साथ ही राष्ट्रीय संसाधन के रूप में जल के पूर्ण विकास, संरक्षण और प्रबंधन, तथा इससे संबंधित संपूर्ण राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है ।

1.2 कार्य नियमों के आबंटन के अनुसार इस मंत्रालय के कार्य इस प्रकार हैं ;

1) राष्ट्रीय संसाधन के रूप में जल का विकास, संरक्षण और प्रबंधन; जल के विविध उपयोगों के संबंध में जल आयोजना का समग्र राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तथा समन्वय ।
2) राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ।
3) सामान्य नीति, तकनीकी सहायता, अनुसंधान और विकास प्रशिक्षण तथा बहुउद्देशीय, वृहद, मध्यम, लघु तथा आपातिक सिंचाई कार्यों सहित सिंचाई से संबंधित सभी मामले; नौवहन तथा जलविद्युत के लिए हाइड्रोलिक संरचाएं; नलकूप तथा भूजल अन्वेषण तथा दोहन; भूजल संसाधनों की सुरक्षा तथा परिरक्षण; सतही और भूजल का संयुक्त उपयोग, कृषि प्रयोजना के लिए सिंचाई, जल प्रबंधन, कमान क्षेत्र विकास; जलाशय एवं जलाशय अवसादन का प्रबंधन; बाढ़ (नियंत्रण) प्रबंधन, जल निकास, सूखारोधन; जल जमाव और समुद्र-तट कटाव समस्याएं; बांध सुरक्षा ।
4) अंतर्राज्जीय नदियों तथा नदी घाटियों का विनियमन और विकास । स्कीमों, नदी बोर्डों के माध्यम से अधिकरणों के पंचाटों का कार्यान्वयन ।
5) जल कानून, विधान
6) जल गुणवत्ता आकलन ।
7) केन्द्रीय जल इंजीनियरी सेवा (समूह क) का संवर्ग नियंत्रण एवं प्रबंधन ।
8) जल संसाधन विकास तथा प्रबंधन, जल निकास और बाढ़ नियंत्रण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन, आयोग तथा सम्मेलन ।
9) अंतर्राष्ट्रीय जल कानून
10) भारत तथा पड़ोसी देशों की साझी नदियों से संबंधित मामले, बांग्लादेश के साथ संयुक्त नदी आयोग, सिन्धु जल संधि 1960; स्थाई सिन्धु आयोग ।
11) जल संसाधन विकास के क्षेत्र में द्विपक्षीय तथा बाह्य सहायता एवं सहयोग कार्यक्रम ।

1.3 मंत्रालय के उपर्युक्त कार्य इसके निम्न संगठनों/संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं :

संबद्ध कार्यालय

1. केन्द्रीय जल आयोग
2. केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला

अधीनस्थ कार्यालय

1. केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान केन्द्र
2. केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड
3. फरक्का बैराज परियोजना
4. गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग
5. बाण सागर नियंत्रण बोर्ड
6. सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति
7. ऊपरी यमुना नदी बोर्ड

सांविधिक निकाय

1. ब्रह्मपुत्र बोर्ड
2. बेतवा नदी बोर्ड
3. नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण
4. तुंगभद्रा बोर्ड
5. रावी और व्यास जल अधिकरण
6. कावेरी जल विवाद अधिकरण
7. कृष्णा जल विवाद अधिकरण
8. वंशधारा जल विवाद अधिकरण
9. महादायी जल विवाद अधिकरण

स्वायत्त निकाय (सोसाइटी)

1. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण
2. राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

1. जल एवं विद्युत परामर्शी सेवा (भारत) लिमिटेड
2. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड

1.4 यह मंत्रालय 2011-12 के दौरान 15 केन्द्रीय क्षेत्र, और 5 राज्य क्षेत्र स्कीमों का कार्यान्वयन और निगरानी कर रहा है । नीचे केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों का संक्षिप्त सिंहावलोकन दिया गया है :

1.4.1 जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास : इस स्कीम का उद्देश्य एक जल संसाधन प्रणाली का विकास करना और इसे शीघ्रतिशीघ्र प्रचालनात्मक बनाना है । जल संसाधनों का प्रबंधन एक अत्यधिक जटिल कार्य है जिसमें आंकड़ा प्राप्ति, अंकीय मॉडलिंग, इष्टतमीकरण, आंकड़ा वेयर हाउसिंग और सामाजिक-आर्थिक, पर्यावरणीय और विधिक मुद्दों सहित बहुविषयक क्षेत्र शामिल हैं । मानव जीवन में जल की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए जल प्रणालियों के बेहतर डिजाइन और अधिकतम उपयोग किए जाने की आवश्यकता है । इस संबंध में एक युक्तिसंगत विश्लेषण किया जाना चाहिए जो कि इस दृष्टिकोण पर आधारित हो कि सभी संबंधित कारणों और प्रभावों पर विचार किया जाए और विभिन्न विकल्पों का क्रमबद्ध मूल्यांकन किया जाए । जल संसाधन सूचना प्रणाली संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ।

1.4.2 जल विज्ञान II परियोजना : 1995-2003 की अवधि के दौरान कार्यान्वित जल विज्ञान परियोजना, चरण-I (एच पी-I) का उद्देश्य जल वैज्ञानिक सूचना प्रणाली (एचआईएस) के विकास हेतु सांस्थानिक व्यवस्थाओं, तकनीकी क्षमताओं तथा सुविधाओं में सुधार करना था । एच पी-I के अनुवर्तन स्वरूप जल संसाधनों की आयोजना तथा प्रबंधन से संबंधित सार्वजनिक तथा निजी सभी संभावित प्रयोक्ताओं द्वारा एचआईएस के निरंतर एवं प्रभावी उपयोग का विस्तार एवं संवर्धन करने के उद्देश्य से जल विज्ञान परियोजना चरण-II (एच पी-II) आरंभ की गई है जिससे 13 राज्यों तथा 8 केन्द्रीय अभिकरणों में बढ़ी हुई उत्पादकता तथा लागत प्रभावी जल संबंधी निवेशों में वृद्धि हुई ।

1.4.3 जल संसाधन विकास स्कीम का अन्वेषण : इसमे दो संघटक उदाहरणार्थ "एनडब्ल्यूडीए द्वारा नदी संपर्क प्रस्तावों का अन्वेषण" तथा "सीडब्ल्यूसी द्वारा जल संसाधनों/बहु उद्देशीय स्कीमों का अन्वेषण" शामिल है । इस स्कीम का उद्देश्य सर्वेक्षण, क्षेत्र अन्वेषण, जल के अंतरबेसिन अंतरण संबंधी स्कीमों अंत: राज्य संपर्कों की व्यवहार्यता पूर्व/व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआरएस) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआरएस) तैयार करने से संबंधित क्रियाकलापों को करना तथा उपरोक्त प्रयोजनों को प्राप्त करने के लिए आकस्मिक, अनुपूरक अथवा प्रेरक माने जाने वाले अन्य अध्ययनों तथा क्रियाकलापों को करना ।

1.4.4 जल क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास कार्यक्रम : इस स्कीम के उद्देश्य हैं- (i) देश की जल संसाधन संबंधी समस्याओं का व्यावहारिक समाधान ढूंढ़ना और मौजूदा सुविधाओं की कुशलता में सुधार करने के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी और अभियंत्रण विधियों में सुधार करना तथा प्रक्रियाओं, विशेषकर, अनुसंधान अध्ययनों को शुरू करना, (ii) अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सामंजस्य बनाये रखने के लिए राष्ट्र स्तरीय प्रमुख संगठनों/संस्थाओं की अनुसंधान सुविधाओं का सृजन करना/उनका उन्नयन करना, और (iii) जल क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं द्वारा शुरू किए जाने वाले अनुसंधान कार्य में सहायता करना ।

1.4.5 राष्ट्रीय जल अकादमी : इस स्कीम में ऐसे क्रियाकलाप शामिल होंगे जो कि जल संसाधन विकास, विशेषकर एकीकृत नदी बेसिन आयोजना और प्रबंधन के क्षेत्र में राज्य और केन्द्रीय संगठनों में जल संसाधन पेशवरों के प्रशिक्षण से संबंधित हैं ।

1.4.6. सूचना, शिक्षा एवं संचार : विभिन्न जल संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए एक समन्वित प्रयास पर उचित बल देते हुए एक संपूर्णतावादी दृष्टिकोण से जल संसाधन के विकास एवं प्रबंधन के महत्व के संबंध में विभिन्न लक्ष्य समूहों के बीच जागरूकता सृजित करने के उद्देश्य से XIवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु 83.00 करोड़ रूपये के परिव्यय से सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) स्कीम शुरू की गई है । स्कीम के उद्देश्य निम्नानुसार हैं :

उद्देश्य :

I. देश के त्वरित, समान, आर्थिक विकास के लिए सभी पणधारियों के सक्रिय सहयोग से इस मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु देश के जल संसाधनों के इष्टतम स्थायी विकास, गुणवत्ता को बनाए रखने एवं कुशल उपयोग के संबंध में जागरूकता फैलाना ।
II. आपसी सहयोग और प्रबंधन में समग्र आयोजना एवं सहभागिता दृष्टिकोण अपनाने की अविलंब आवश्यकता के संबंध में जागरूकता सृजित करना ।
III. जल संरक्षण की आवश्यकता के संबंध में लोगों के बीच जागरूकता फैलाना ।
IV. जल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और जल संसाधन के स्थायी विकास संबंधी मुद्दों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने, प्रलेखन एवं प्रसार पर जोर देते हुए राष्ट्रीय जल नीति के सिद्धांतों का प्रचार करना ।
V. जल की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्षा जल संचयन एवं भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु उपाय अपनाने की आवश्यकता के संबंध में जागरूकता सृजित करना ।
VI. जागरूकता अवसंरचना विशेष तौर पर प्रचार तंत्र एवं सहयोग संरचना को सुदृढ़ बनाना ।

1.4.7. नदी बेसिन संगठन/प्राधिकरण : इस स्कीम का उद्देश्य बेसिन और सभी पणधारियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जल संसाधनों के विकास और उपयोग हेतु इष्टतम विधि का पता लगाने हेतु आवश्यक अध्ययन, मूल्यांकन इत्यादि शुरू करने के लिए सभी सह बेसिन राज्यों के लिए एक मंच उपलब्ध कराना है ।

1.4.8 अवसंरचना विकास : इस स्कीम में भूमि और भवन तथा सूचना और प्रौद्योगिकी विकास से संबंधित क्रियाकलाप शामिल हैं तथा इसमें विशेष रूप से निम्न से संबंधित क्रियाकलाप शामिल होंगे, (i) केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड की भूमि और भवन और सूचना प्रौद्योगिकी योजना (ii) केन्द्रीय जल आयोग की भूमि और भवन, (iii) जल संसाधन मंत्रालय का सूचना प्रौद्योगिकी विकास योजना (iv) केन्द्रीय जल आयोग के कम्प्यूटरीकरण और सूचना प्रणाली का उन्नयन और आधुनिकीकरण ।
स्कीम का उद्देश्य कार्यालयों में बेहतर कार्य परिवेश उपलब्ध कराना, परिसम्पतियों का सृजन और मासिक किराये के भुगतान में बचत है । इसे प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्थलों पर कार्यालयों का निर्माण करने, फील्ड़ में कार्य करने वाले कार्मिकों के लिए कुटीर का प्रावधान, मंत्रालय (खास) और केन्द्रीय जल आयोग के लिए स्टाफ क्वार्टर के निर्माण और वर्तमान कार्यालयों के आधुनिकीकरण का

प्रावधान इस स्कीम के कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है । इसका उद्देश्य वर्तमान छितराई हुई सूचना प्रणालियों को समेकित एवं कारगर बना कर एकदिशीय गत्यात्मक ई-गवर्नेंस पद्धति में लाना भी है ।

1.4.9 बांध सुरक्षा अध्ययन और आयोजना : इस स्कीम में बांध सुरक्षा संगठन के बांध सुरक्षा और अवसंरचना सुदृढ़ीकरण से संबंधित आवश्यक अध्ययन शुरू करने की योजना है ।

1.4.10 भूजल प्रबंधन एवं विनियमन :

- भूजल अन्वेषण
- भूजल संसाधन आकलन
- भूजल अवस्था की निगरानी
- कृत्रिम पुनर्भरण एवं वर्षा जल संचयन संबंधी अध्ययन
- अभिज्ञात जोर दिए जाने वाले क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन अध्ययन
- भूभौतिकीय अध्ययन
- जल-रासायनिक अध्ययन
- भूजल विकास का विनियमन
- दूर संवेदी अध्ययन
- भूजल मॉडलिंग
- सतही एवं भूजल के संयुक्त उपयोग संबंधी अध्ययन
- अनुसंधान एवं विकास अध्ययन
- शिक्षा/ज्ञान का अंतरण आदि ।

1.4.11 राजीव गांधी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान : संस्थान भूजल और संबंधित पहलुओं के क्षेत्र में क्षमता निर्माण करने के लिए सीजीडब्ल्यूबी, केन्द्र/राज्य सरकार के संगठनों/अकादमिक संस्थानों आदि के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी है ।

1.4.12 पगलादिया बांध परियोजना : इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य असम के नलबारी क्षेत्र में 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र को पगलादिया नदी की बार-बार आने वाली बाढ़ से बचाने तथा वार्षिक रूप से (औसतन) 54,160 हेक्टेयर के सकल कमान क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बाढ़ न्यूनीकरण एवं बांध और नहर प्रणाली का निर्माण करना है । परियोजना में आनुषंगिक लाभ के रूप में नहर से छोड़े गए जल से 3 मेगावाट जल-विद्युत भी सृजित की जानी है । परियोजना का मुख्य निर्माण क्रियाकलाप असम सरकार द्वारा जिरात सर्वेक्षण पूरा न किए जाने के कारण शुरू नहीं हुआ है और कार्य रूका हुआ है । केवल परियोजना के लिए सृजित परिसंपत्तियों हेतु सामान्य मरम्मत एवं रखरखाव कार्य नाममात्र कर्मचारियों की सहायता से किया जा रहा है ।

1.4.13 बाढ़ पूर्वानुमान : इस स्कीम का उद्देश्य भारत में बाढ़ पुर्वानुमान और अंतर्वाह पुर्वानुमान को सुदृढ़ करना और पूर्वानुमान सूचना प्रणाली को विकसित करना है ।

1.4.14 सीमावर्ती क्षेत्रों में नदी प्रबंधन क्रियाकलाप : योजना आयोग की सलाह पर नेपाल, भूटान, चीन और बांग्लादेश के साथ साझी नदियों पर चालू नदी प्रबंधन क्रियाकलापों को शामिल करने के लिए Xवीं योजना के दस जारी/आगे ले जाई गई स्कीमों/कार्यों को मिला कर केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत एक पुनर्गठित स्कीम नामत: "सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित नदी प्रबंधन क्रियाकलाप एवं कार्य" में परिवर्तित कर दिया गया था । इसके अतिरिक्त XIवीं योजना अवधि के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए संबंधित राज्यों को 100% केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु सीमावर्ती क्षेत्रों में कुछ नए विकासात्मक कार्यों की परिकल्पना की गई है । स्कीम को XIवीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन हेतु आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 04.12.2008 को आयोजित की गई अपनी बैठक में 601 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से अनुमोदित किया गया था । नेपाल में खंडित कोसी तटबंध के पुनरूद्धार और बांग्लादेश के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ पश्चिम बंगाल में इच्छामति नदी से गाद हटाने आदि के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु सीसीईए द्वारा 25.10.2011 को आयोजित की गई अपनी बैठक में इस स्कीम का 820 करोड़ रूपये की राशि का संशोधित लागत अनुमान अनुमोदित किया गया था।

इस स्कीम के अंतर्गत XIवीं योजना अवधि के दौरान (i) भारत-नेपाल सीमा पर महाकाली नदी पर प्रस्तावित पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना (पीएमपी) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अंतिम रूप देने (ii) नेपाल में बराह क्षेत्र पर कोसी उच्च बांध परियोजना के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण (iii) राप्ती नदी पर नौमुरे भंडारण परियोजना (नेपाल) के विस्तृत अन्वेषण (iv) नेपाल, भूटान, चीन और बांग्लदेश के साथ साझी नदियों पर जलवैज्ञानिक प्रेक्षण (v) नेपाल के क्षेत्र में कोसी और गंडक बराजों के बाढ़ सुरक्षा कार्यों के अनुरक्षण (vi) गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना लागत और (vii) पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और जम्मू-कश्मीर राज्यों द्वारा प्रस्तावित बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ साझी/सीमावर्ती नदियों के नए नदी तट पर सुरक्षा कार्य शुरू किए गए हैं । XIवीं योजना अवधि में शामिल किए गए उपर्युक्त कार्यों की कुल लागत 281 करोड़ रूपए है ।

इसके अतिरिक्त ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी को इस स्कीम के अंतर्गत माजुली द्वीप की नदी कटाव से सुरक्षा सहित ब्रह्मपुत्र एवं बराक बेसिन में गंभीर खंडों में अति आवश्यक बाढ़ सुरक्षा कार्यों के साथ-साथ स्थापना लागत के लिए 320 करोड़ रूपये की अनुदान सहायता दी जाती है ।

जल संसाधन मंत्रालय द्वारा बिहार सरकार को उपर्युक्त स्कीम के तहत नेपाल में कोसी तटबंध की दरार को बंद करने के कार्य के लिए अब तक 115.00 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है ।

बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ पश्चिम बंगाल में महानंदा नदी पर छ: स्थलों पर 32.71 करोड़ रूपये की लागत से तीन तट सुरक्षा/बाढ़ नियंत्रण कार्य पूरे कर लिए गए हैं । पश्चिम बंगाल में 10 तट सुरक्षा कार्य और त्रिपुरा में 2 तट सुरक्षा कार्य पूरे होने के विभिन्न चरणों में हैं । उपर्युक्त कार्यों के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा 100% केन्द्रीय सहायता दी गई थी ।

इसके अतिरिक्त त्रिपुरा सरकार को बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ तीन और तट सुरक्षा कार्य शुरू करने के लिए 2011-12 के दौरान 14.52 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है ।

1.4.15 फरक्का बैराज परियोजना : फरक्का बैराज परियोजना का मुख्य उद्देश्य बैराज की सुरक्षा के लिए कटावरोधी उपायों सहित फरक्का बैराज और संबंधित संरचनाओं का प्रचालन और रखरखाव है

अध्याय-II

परिणामी बजट 2012-2013

परिव्ययों और परिणामों/लक्ष्यों का विवरण : वार्षिक योजना 2012-13

(करोड़ रूपये)

क्रम सं	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2012-13 का योजना परिव्यय	मात्रात्मक सुपुर्दगियां/वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समय सीमा	अभ्युक्तियां/जोखिम घटक
1	2	3	4	5	5	6	7
1	**जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास**	**(क) वाटरशेड एटलस का निर्माण और** 1:50000 के पैमाने पर देश की वेब सक्षम जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	**85.00**	पूर्ण जल संसाधन सूचना प्रणाली वेबसाइट 2012-13 के दौरान शुरू की जाएगी।	(क) वाटरशेड एटलस का निर्माण और 1:50000 के पैमाने पर देश की वेब सक्षम जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	संभावित दिसम्बर - 2012	
		(ख) एआईबीपी सहायता प्राप्त परियोजनाओं की आनलाइन निगरानी सहित केंद्रीय जल आयोग में निगरानी इकाइयों का सुदृढ़ीकरण और दूर संवेदी तकनीक द्वारा सिंचाई क्षमता का आकलन।		(i) दूर संवेदन के माध्यम से अतिरिक्त 50 एआईबीपी द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं की क्षमता सृजन का आकलन। (ii) वृहद, मध्यम एवं ईआरएम परियोजनाओं की निगरानी। यह एक सतत क्रियाकलाप है। अत: डब्ल्यूक्यूएए के लिए कोई मात्रात्मक सुपुर्दगी अभिज्ञात नहीं की गई है।	(i) परियोजना प्राधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किये गए और एनआरएससी द्वारा आकलित क्षमता सृजन का मूल्यांकन, रिपोर्ट प्रस्तुत करने की दिनांक अक्टूबर, 2012 (ii) परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करना और केंद्रीय जल आयोग निगरानी दलों द्वारा नियमित निगरानी के माध्यम से अतिरिक्त क्षमता का सृजन।	क्रियाकलाप वर्षभर जारी रहेंगे।	
		(ग) जल गुणवत्ता आकलन प्राधिकरण को सहायता उपलब्ध कराना और जल गुणवत्ता आकलन के लिए अभिज्ञात अध्ययनों/कार्यक्रम का कार्यान्वयन करना ।			यह एक सतत क्रियाकलाप है।	क्रियाकलाप वर्षभर जारी रहेंगे।	
		(घ) (i) हिम जल विज्ञान, जल गुणवत्ता एवं ग्लेशियर झीलों की निगरानी सहित जल विज्ञान प्रेक्षण क्रियाकलापों को जारी रखना (ii) नवीनतम तकनीकों एवं उपकरणों से जल विज्ञान प्रेक्षण नेटवर्क का विस्तार एवं आधुनिकीकरण (iii) आंकड़ों का जल वर्ष पुस्तिकाओं के रूप में एकत्रीकरण, समेकन, भंडारण, प्रसार, विश्लेषण एवं प्रकाशन।		(i) 878 स्थलों पर आंकड़ों का प्रेक्षण जारी रहेगा। (ii) विभिन्न उपयोगों के लिए जीएवंडी स्थलों और हिम प्रेक्षण स्थलों पर एकत्रीकरण आदि।	आंकड़े रिपोर्टों/पुस्तिकाओं के रूप में प्रकाशित कर उपलब्ध कराए जाते हैं।	स्थापित प्रक्रियाओं एवं प्रोटोकाल के अनुसार जल मौसम विज्ञानी, हिम प्रेक्षण, जल गुणवत्ता प्राचलों के दैनिक/आवधिक प्रेक्षण वर्ष भर जारी रहेंगे।	
		(ड.) लघु सिंचाई (एमआई) गणना केमाध्यम से लघु सिंचाई स्कीमों के संबंध में सूचना एकत्र करना।		5वीं लघु सिंचाई गणना के लिए फील्ड कार्य करना।	फील्ड कार्य एवं पर्यवेक्षण वर्ष भर जारी रहेगा।	फील्ड कार्य/निरीक्षण जुलाई 2012 में शुरू होगा।	
2	**बाढ़ पूर्वानुमान**	स्थानीय प्रशासन को 175 केंद्रों पर समय से पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए 20 नदी बेसिनों को शामिल करते हुए केंद्रीय जल आयोग द्वारा देशभर में जल वैज्ञानिक प्रेक्षण स्थलों के नेटवर्क का रखरखाव करना और बाढ़ पूर्वानुमान का विस्तार।	**48.00**	वास्तविक समय आंकड़ों का संग्रह, इसका विश्लेषण और बाढ़ पूर्वानुमान जारी करना। प्रत्येक वर्ष लगभग 6000 बाढ़ पूर्वानुमान जारी किये जाते हैं।	बाढ़ से होने वाली क्षति को कम करने के लिए आयोजना गतिविधियों में मदद करने की दृष्टि से आने वाली बाढ़ की अग्रिम चेतावनी।	कार्य को वर्ष के दौरान केंद्रीय जल आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।	
3	**जल विज्ञान परियोजना**	13 राज्यों और 8 केंद्रीय अभिकरणों में जल संसाधन आयोजना और प्रबंधन से संबंधित सभी कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा जल वैज्ञानिक सूचना प्रणाली के स्थायी और प्रभावी उपयोग को बढ़ाना और प्रोत्साहित करना।	**70.00**	4 मुख्य परामर्शियों की सहायता से नए राज्यों में 5 पीडीएस सहित परियोजना घटकों का कार्यान्वयन अर्थात संस्थागत सुदृढ़ीकरण, जल वैज्ञानिक डिजाइन सहायक सहित ऊर्ध्वाधर विस्तार डीएसएस-आयोजना,डीएसएस-रीयल टाइम तथा36 प्रयोजन मूलक अध्ययन और क्षैतिज विस्तार 6 प्रायोगिक अध्ययन क्षेत्रों में जलभृत मानचित्रण ।	एचडीए-एसडब्ल्यू, डीएसएस-पी,डीएसएस-आरटी, के लिए मॉडलिंग सॉफ्टवेयर विकसित करना, वास्तविक समय आंकड़ा प्राप्ति प्रणाली (आरटीडीएएस) संस्थापित करना, डब्ल्यूआईएसडीओएमसॉफ्टवेयर का उन्नयन, स्वचालित जल गुणवत्ता निगरानी केंद्रों की स्थापना, 6 प्रायोगिक अध्ययन क्षेत्रों में जलभृत मानचित्रण, ई-जीईएमएस, जीआईएस आधारित वेबपोर्टल और जल गुणवत्ता मानदंड का उन्नयन।	क्रियाकलाप वर्षभर जारी रहेंगे।	

क्रम सं	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2012-13 का योजना परिव्यय	मात्रात्मक सुपुर्दगियां/वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समय सीमा	अभ्युक्तियां/जोखिम घटक
1	2	3	4	5	5	6	7
4	**भूजल प्रबंधन एवं विनियमन**	**(क) जलभृत मानचित्रण एवं प्रबंधन** (i) विभिन्न जलभूवैज्ञानिक स्थितियों में भूजल संसाधनों की वैज्ञानिक आयोजना निगरानी,विकास एवं प्रबंधन के लिए कार्यनितिं विकसित करना । (ii) भूजल विकास, संवर्द्धन एवं प्रबंधन के लिए क्षेत्र-विशिष्ट तकनीकें/प्रौद्योगिकियां विकसित करना एवं प्रचालनात्मक बनाना। (iii) भूजल संसाधनों के विकास एवं प्रबंधन का विकास एवं नियंत्रण । (iv) भूजल के क्षेत्र में भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड की प्रौद्योगिकीय क्षमताओं एवं अवसंरचनात्क आधार के उन्नयन सहित अनुसंधान एवं अध्ययन करना। (v) जल-भूवैज्ञानिक अनुसंधान एवं भूजलप्रबंधन के क्षेत्र में ज्ञान एवं शिक्षा का अंतरण। सूचना के प्रसार, शिक्षा, जागरूकता एवं प्रशिक्षण के माध्यम से भूजल एवं प्रबंधन के सभी पहलुओं के संबंध में क्षमता निमार्ण भी करना। (vi) स्थायी भूजल एवं प्रबंधन के लिए संबंधित केन्द्रीय/राज्य सरकार संगठनों के साथ समन्वय बढ़ाना।	**318.00**	जलभूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, अन्वेषण, आंकड़ा प्राप्ति एवं विश्लेषण (150 स्थलाकृतिक क्षेत्र)	(i) 150 स्थलाकृतिक क्षेत्रों में जलभृत्त मानचित्रण तैयार करने से भूजल के स्थायी विकास एवं प्रबंधन में सहायता मिलेगी (ii) राज्य के संगठनों के साथ मिलकर भूजल आंकड़ों के समेकन सहित पणधारियों को आंकड़ों के विस्तृत प्रसार के लिए उन्नत भूजल सूचना सेवाएं (iii) विभिन्न अध्ययनों के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़ों के सृजन से भूजल विकास एवं प्रबंधन में नीति आयोजना के लिए सूचना उपलब्ध हो पाएगी (iv) राष्ट्रीय भूजल सम्मेलन/कार्यशालाएं आदि आयोजित करके भूजल के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए जागरूकता सृजित की जाएगी (v) देश में भूजल विकास एवं प्रबंधन के विनियमन से भूजल स्तर में गिरावट को रोका जा सकेगा ।	एक वर्ष	मार्च, 2013 तक हासिल कर दिया जाएगा ।
		(ख) वैज्ञानिक साधनों अर्थात दूरसंवेदी और जीआईएस का उपयोग करते हुए भूजल अन्वेषण, भूजल की संभावना वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए ड्रिलिंग द्वारा सहायता प्राप्त भूभौतिकीय सर्वेक्षण ।		भूजल अन्वेषण - 800 कुएं (ईडब्ल्यू-530, ओडब्ल्यू-270) वाप्कोस के माध्यम से पीजोमीटर/अन्वेषण का निर्माण	क्षमतावान जलभृत्तों और उनके उत्पादन का चित्रण	एक वर्ष	
		(ग) भूजल निगरानी केन्द्रों से भूजल स्तरों की निगरानी		भूजल प्रेक्षण कुओं की निगरानी - 15640	भूमि जल परिप्रेक्ष्य का आकलन	एक वर्ष	
		(घ) केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों के लिए स्रोत अन्वेषण के वास्ते अल्पकालिक जल आपूर्ति अन्वेषण		अल्पकालिक जल आपूर्ति अन्वेषण - आवश्यकता आधारित (~200)	रक्षा तथा अन्य संगठनों हेतु ऐसे जल स्रोतों का पता लगाना जिनसे जलापूर्ति में वृद्धि हो ।	एक वर्ष	
		(ड.) भूमि जल अन्वेषण और कृत्रिम पुनर्भरण अवसंरचनाओं तथा जलभृत्तों का पता लगाने के लिए स्थलों का चयन करने हेतु भू-भौतिक अध्ययन		भूभौतिकीय सर्वेक्षण वीईएस – 2000 वेल लागिंग – आवश्यकता आधारित	क्षमतावान जलभृत्तों तथा कुओं के स्थलों का चयन	एक वर्ष	
		(च) भूमि जल गुणवत्ता के आकलन के लिए रसायनिक अध्ययन		जल नमूनों का जल रसायनिक विश्लेषण – 20000 नमूने	विविध उपयोगों हेतु भूमि जल गुणवत्ता का विश्लेषण	एक वर्ष	
		(छ) योजनाकारों और प्रशासकों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए रिपोर्ट, नक्शे तैयार किया जाना		जिला विवरणिका –120, भूमि जल वार्षिक पुस्तकें – 23, राज्य रिपोर्ट - 5	भूजल संबंधी ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए जिला विवरणिकाओं, भूजल वार्षिक पुस्तकोंउ एवं राज्य रिपोर्टों का प्रकाशन	एक वर्ष	
		(ज) सीजीडब्ल्यूए द्वारा भूमि जल विनियमन		अधिसूचित क्षेत्रों में भूमि जल विकास का विनियमन	भूमि जल की बेहतर निगरानी हेतु भूमि जल की कमी वाले क्षेत्रों को अधिसूचित करना	जारी	
		(झ) राज्य सरकार और अन्य अभिकरणों द्वारा भूमि जल केकृत्रिम पुनर्भरण हेतु प्रदर्शनात्मक परियोजना ताकि उसे प्रतिवलित किया जा सके		प्रदर्शनात्मक कृत्रिम पुनर्भरण के आगे ले जाए गए कार्य	ए और आरडब्ल्यूएच के माध्यम से भूमि जल का स्थायी प्रबंधन	2-3 वर्ष	

क्रम स	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2012-13 का योजना परिव्यय	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समय सीमा	अभ्युक्तिया/जोखिम घटक
1	2	3	4	5	5	6	7
5	**अनुसंधान एवं विकास**	स्कीम में जल संसाधन क्षेत्र में अनुसंधान व विकास से जुड़े विभिन्न कार्य शामिल हैं। ये कार्य जल विज्ञान, हाइड्रोलिक्स, मृदा और सामग्री विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, सीडब्ल्यूपीआरएस एवं सीएसएमआरएस और सीडब्ल्यूसी जैसे अग्रणी अनुसंधान संस्थानों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं । कार्यक्रम के परिणामस्वरूप सिंचाई प्रणाली की दक्षता में सुधार आएगा, जल संसाधन परियोजनओं में जोखिम/खतरे में कमी होगी, परियोजना के लिए मितव्ययी डिजाइन बनायाजा सकेगा और नई/उन्नत प्रोद्योगिकी का विकास होगा	**100.00**	स्कीम के कार्यान्वयन से क्षमता निर्माण और अतिरिक्त सुविधाएं सृजित करने में सहायता मिलेगी । अनुसंधान परिणाम सामान्यतया तकनीकी रिपोर्ट और अनुसंधान पत्र होते हैं जिनमें आयोजना और डिजाइन हेतु बेहतर तकनीक की सिफारिशें होती हैं ।	मात्रात्मक सुपुर्दगियां हैं : अनुसंधान/तकनीकी रिपोर्ट - 236 शोध पत्र - 280 प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं - 29	कार्य, मंत्रालय के विभिन्न संगठनों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है ।	
6	**मानव संसाधन विकास क्षमता**		**100.00**				
क.	सूचना, शिक्षा एवं प्रसार	जल के महत्व और इसके संरक्षण की आवश्यकता के बारे में लोगों के बीच जानकारी सृजित करना	25.00	(i) विद्यालय /राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पैंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन (ii) दूरदर्शन, आकाशवाणी और निजी टी.वी. एवं रेडियो चैनलों और इंटरनेट साइट के माध्यम से जल संरक्षण के संबंध में जागरूकता (iii) बच्चों के बीच जागरूकता सृजित करने के लिए सजीवन फिल्म सहित नई लघु फिल्में और वृतचित्र बनाए जा सकते हैं (iv) सीजीडब्ल्यूबी और सीडब्ल्यूसी के माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रम और जल प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम/ कार्यशालाएं (v) प्रिंट माध्यम/परंपरागत माध्यम/जल यात्रा/बैनर, पोस्टर, स्टीकर आदि के मुद्रण एवं वितरण के माध्यम से प्रचार (vi) चयनित स्थलों पर बैकलिट ट्रांसलाइट्स लगाना/तख्तियां लगाना (vii) व्यापार मेले में भाग लेना (viii) भारत जल सप्ताह-2012 का आयोजन (ix) सम्मेलन/कार्यशालाओं /जनजागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन के लिए वाणिज्य मंडलों /प्रतिष्ठित संस्थाओं को अनुदान सहायता /वित्तीय सहायता (x) जल विभागों के सिंचाई मंत्रियों/प्रधान सचिवों /सचिवों के साथ कार्यशालाएं/सेमीनार/सम्मेलन आयोजना करना (xi) जनता के संगठनों, किसाना संगठनों, पंचायतों आदि को सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रम आयोजित करना (xii) भविष्य की आयोजना के लिए मीडिया परामर्शदाता को नियुक्त करना	जल संरक्षण और प्रबंधन पर जोर देते हुए जल संसाधन क्षेत्र के संबंध में प्रचार और जागरूकता फैलाना ।	पूरे वर्ष कार्यकलाप चलाये जाएंगे।	
ख	राष्ट्रीय जल अकादमी	(i) प्रेरक प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित जलक्षेत्र के सभी पणधारियों के लिए डब्ल्यूआरडी एवं एमके सभी पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण (ii) अवसंरचना विकास ।	5.00	क) 37 प्रशिक्षण कार्यक्रम ख) XIवीं योजना के आगे ले जाए गए कार्य जैसे तरणताल का निर्माण iii) नए निर्मित अतिथिगृह एवं संलग्न भवन को तैयार करना ।	क) 37 प्रशिक्षण कार्यक्रम मार्च, 2013 तक पूरे किए जाने हैं ख) तरणताल का शेष कार्य, यदि कोई हो, iii) नए निर्मित अतिथि-गृह को तैयार करना ।	(क) प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे वर्ष में होंगे और अनुमोदित कैलेंडर के अनुसार आयोजित किये जाएंगे (ख) मार्च, 2013 तक पूरा किया जाएगा (ग) मार्च, 2013 तक पूरा किया जाएगा	लक्ष्यों को प्राप्त करना रिक्त पदों को भरे जाने पर निर्भर करता है ।
ग	**राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण संस्थान**	सीजीडब्ल्यूबी तथा अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार के संगठनों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भूमि जल पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण	15.00	32 प्रशिक्षण कार्यक्रम	भूमि जल अन्वेषण, विकास तथा प्रबंधन तकनीकों और प्रशासनिक मामलों व प्रबंधन पहलुओं के विषय में पेशेवरों एवं उप-पेशेवरों का क्षमता निर्माण	एक वर्ष	मार्च, 2013 तक पूरा किया जाएगा।

क्रम स	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2012-13 का योजना परिव्यय	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाए/समय सीमा	अभ्युक्तिया/जोखिम घटक
1	2	3	4	5	5	6	7
घ	**क्षमता निर्माण कार्यक्रम**	**(i)** डब्ल्यूएएलएमआईएस/ एमटीआईएस का सुदृढ़ीकरण **(ii)** राष्ट्र स्तरीय प्रशिक्षण/ किसानों का दौरा **(iii)** प्रदर्शन **(iv)** राष्ट्रीय जल मिशन	55.00	**14** डब्ल्यूएएलएमआईएस का सुदृढ़ीकरण, 200 प्रशिक्षण कार्यक्रम जल संरक्षण, परिरक्षण एवं संवर्धन के संबंध में 600 प्रदर्शन एवं कार्यक्रम	बेहतर एवं अधिक कुशल कार्यालय वातावरण	क्रियाकलाप राज्य सरकारों द्वारा एक/दो वर्षों में कार्यान्वित किये जाने हैं । राज्यों द्वारा आयोजित किये जाने वाले राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम प्रस्तावित किये गए हैं।	
7	**अवसंरचना विकास**	जल संसाधन मंत्रालय एवं इसके संबद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों भूमि एवं इमारत की व्यवस्था एवं जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग एवं केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में आईटी प्लान का कार्यान्वयन	**55.00**	(i) केन्द्रीय जल आयोग एवं सीजीडब्ल्यूबी के लिए कार्यालय एवं आवासीय इमारतों का निर्माण एवं अन्य गतिविधियां, **(ii)** सीडब्लयूसी, सीजीडब्ल्यूबी और मंत्रालय (खास) के हार्डवेयर, साफ्टवेयर की अधिप्राप्ति और एक रूप वेब सक्षम सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली का विकास	बेहतर एवं अधिक कुशल कार्यालय वातावरण	ये गतिविधियां केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड और जल संसाधन मंत्रालय के अन्य संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जानी हैं ।	
8	**नदी बेसिन प्रबंधन**		**200.00**				
क	**नदी बेसिन संगठन**	संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प की पहचान करने और सभी पणधारियों की उम्मीदों को पूरा करने की दृष्टि से आवश्यक अध्ययन एवं मूल्यांकन आदि शुरू करने हेतु सभी सह-बेसिन राज्यों को एक मंच उपलबध कराने के प्रमुख उद्देश्य से नदी बेसिन संगठन स्थापित करने को प्रोत्साहन देना ।	0.00	महानदी एवं गोदावरी बेसिन के संबंधित बेसिन राज्यों से नदी बेसिन संगठन स्थापित करने के लिए कार्रवाई करने को कहा जाएगा ।	नदी बेसिन संगठन स्थापित करने के लिए बेसिन राज्यों की सहमति ।	क्रियाकलाप वर्ष भर जारी रहेंगे ।	नदी बेसिन संगठन स्थापित करना सह-बेसिन राज्यों की सहमति पर निर्भर करता है ।

क्रम स	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2012-13 का योजना परिव्यय	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाए/समय सीमा	अभ्युक्तिया/जोखिम घटक
1	2	3	4	5	5	6	7
ख	**जल संसाधन विकास स्कीम का अध्ययन**	जल संसाधन विकास के लिए अभिज्ञात परियोजनाओं के संबंध में अन्वेषण करना ।	100.00	किरथई-।।, ऊझ बहुउद्देशीय परियोजना, कालेज खोला, संताली एचईपी और मानस-तीस्ता संकोश संपर्क परियोजनाओं का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण जारी रहेगा । ग्यास्पा, बरसर राष्ट्रीय परियोजनाओं के आकृति मूलक अध्ययनों, मौसम विज्ञानी/जल वैज्ञानिक प्रेक्षणों और वित्तपोषण सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों में नई परियोजनाएं जारी रहेंगी । के-बी चरण-।।, पी-टी-एन और डी-पी और बिहार के 2 अंत:राज्य संपर्कों की डीपीआर जारी रहेगी । 6 अंत:राज्य संपर्कों की पीएफआर पूरी की जाएगी ।	6 अंत:राज्य संपर्कों की पीएफआर/एफआर, 2 अंत:राज्य संपर्कों की डीपीआर के-बी संपर्क, पी-टी-एन एवं डी-पी संपर्क की डीपीआर और 5 डीपीआर जल उपयोग दक्षता के लिए तलकर्षण परियोजनाओं हेतु ।	क्रियाकलाप वर्ष भर जारी रहेंगे ।	पी-टी-एन और डी-पी संपर्कों के डीपीआर कार्य पूरा करना एस एवं आई कार्यों में जनता द्वारा डाले जाने वाली रूकावट दूर करने पर निर्भर करता है ।
ग	**केन्द्रीय जल आयोग का पुनर्गठन**	बेसिन स्तर के मुद्दों का अधिक व्यापक एवं समग्र प्रकार से समाधान करने और जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों का समाधान करने हेतु राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) के अंतर्गत जल संसाधन मंत्रालय/केन्द्रीय जल आयोग को सौंपी गई जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए बेसिन स्तर पर फील्ड क्रियाकलापों में क्षैतिज विस्तार	10.00	"केन्द्रीय जल आयोग के पुनर्गठन" संबंधी स्कीम का अनुमोदन और पुनर्गठित केन्द्रीय जल आयोग के लिए पदों का सृजन	केन्द्रीय जल आयोग के पुनर्गठन के कारण नए पदों के सृजन का अनुमोदन	क्रियाकलाप वर्ष भर जारी रहेंगे ।	

क्रम स	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2012-13 का योजना परिव्यय	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाएं/समय सीमा	अभ्युक्तिया/जोखिम घटक
1	2	3	4	5	5	6	7
घ	**ब्रहमपुत्र बोर्ड**	मास्टर योजना, जल निकास विकास स्कीमों के लिए डीपीआर और बहुउद्देशीय परियोजना के लिए डीपीआर का सर्वेक्षण, अन्वेषण एवं तैयार करना। जल निकास विकास स्कीमों, कटावरोधी स्कीमों एवं बाढ़ प्रबंधन स्कीमों का निष्पादन । नेहारी का प्रचालन एवं रखरखाव तथा उन्नयन, एच.क्यू. कॉम्पलेक्स का निर्माण और बोर्ड द्वारा सृजित परिसंपत्तियों का आर एवं एम, उठे हुए प्लेटफार्म का निर्माण, आईटी एवं जीआईएस का उन्नयन,जलवायु परिवर्तन अध्ययन आदि।	90.00	डीडीएस की 3 मास्टर योजनाएं, 2 डीपीआर । एमपीपी अर्थात कुल्सी, नोआ-दिहांग एवं सिमसंग की 3 डीपीआर पूरी करना । बारभग डीडीएस के 40% कार्य, अमजुर डीडीएस का 18%, जेंगराई का 42%, जकाईचुक का 22% माजुली द्वीप के बाढ़ एवं कटाव से सुरक्षा के कार्यों के चरण-।। एवं ।।। का 43% धौला हाथीघुली चरण-IV के एवल्शन के 26% कार्य, उठे हुए प्लेटफार्म के 30% कार्य पूरे करना। ब्रहमपुत्र नदी के चैनलीकरण के व्यवहार्यता अध्ययन जारी रखना। नेहारी का प्रचालन एवं रखरखाव एवं उन्नयन, आईटी एवं जीआईएस का उन्नयन, जलवायु परिवर्तन अध्ययन शुरू किये जाएंगे, असम में मान कछार मसालपुर क्षेत्र के कलइर अल्गा की सुरक्षा के लिए कटावरोधी कार्यों का 20% ।	डीडीएस की 3 मास्टर योजनाएं 2 डीपीआर, एमपीपी अर्थात कुल्सी, नोआ-दिहांग और सिमसंग की 3 डीपीआर पूरी करना और अन्य कार्यों का आंशिक रूप से पूरा होना/जारी रहना ।	क्रियाकलाप वर्ष भर जारी रहेंगे ।	
9	**नदी प्रबंधन गतिविधियां और सीमावर्ती नदियों से संबंधित कार्य**	साझी/सीमावर्ती नदियों पर नदी प्रबंधन कार्यों के अतिरिक्त/ पड़ोसी देशों के साथ जल संसाधन परियोजनाओं एवं जल वैज्ञानिक प्रेक्षण और अन्वेषण । ब्रहमपुत्र बोर्ड द्वारा बाढ़ नियंत्रण, कटावरोधी एवं जल निकास विकास कार्य । कोसी एवं गंडक परियोजनाओं (नेपाल में) के बाढ़ सुरक्षा कार्यों का रखरखाव	**125.00**	। बंगलादेश के साथ गंगा नदी पर संयुक्त जल वैज्ञानिक प्रेक्षण जारी रखना, एवं ii संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी iii पड़ोसी देशों से/को बाढ़ संबंधी आंकड़ों का संप्रेषण iv साझी/सीमा नदियों पर विकास कार्य ।	बार-बार आने वाली बाढ़ समस्यांओं को करना । वर्ष 2011-12 के दौरान 18 स्थलों पर भारत बंगलादेश सीमा पर तट संरक्षण कार्य किए जाएंगे । ये कार्य त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल क्षेत्र में हैं ।	इसे सीडब्ल्यूसी, जीएफसीसी, ब्रहमपुत्र बोर्ड और बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और जम्मू एवं कश्मीर की राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा ।	*नेपाल के क्षेत्र में कार्यों की प्रगति नेपाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर निर्भर करेगी ।
10	**फरक्का बैराज परियोजना**	(i) पोषक नहर, जांगीपुर बैराज आदि सहित फरक्का बैराज परियोजना और इसके अनुषंगी संरचनाओं का रखरखाव (ii) मुख्य बैराज के किनारे नदी को नियंत्रित करने के लिए गंगा नदी और इसकी वितरिकाओं से लगे तटबंधों की सुरक्षा के लिए कटावरोधी कार्य	**75.00**	पोषक नहर, जांगीपुर बैराज आदि सहित फरक्का बैराज परियोजना और इसके अनुषंगी संरचनाओं का रखरखाव जो कि एक सतत क्रियाकलाप है और गेटों का अधिप्राप्ति आदि । एफबीपी के बढ़े हुए अधिकार क्षेत्र में गंगा-पद्मा नदी के साथ-साथ फरक्का बैराज के 40 कि.मी. प्रति प्रवाह से 80 कि.मी. अनुप्रवाह तक कटाव नियंत्रण कार्य शुरू किए जाएंगे ताकि भूमि/फसलों, बागों सार्वजनिक भवनों इत्यादि की सुरक्षा की जा सके ।	फरक्का और जांगीपुर बैराजों/गेटों का प्रचालन एक जारी रहने वाला क्रियाकलाप है। कटाव नियंत्रण कार्यों से भूमि, फसलों, भवनों आदि को बचाया जाएगा जो प्रतिवर्ष उच्च बाढ़ के कारण कटाव से प्रभावित होते हैं । टीएसी द्वारा चालू कार्यों के अतिरिक्त कई नए कटावरोधी कार्यों को किए जाने की अनुशंसा की गई है ।	फरक्का बैराज परियोजना द्वारा क्रियान्वित किए जाने वाले अभिज्ञात क्रियाकलाप । क्रियाकलाप वर्ष भर जारी रहेंगे ।	
11	**राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वायन**	राष्ट्रीय जल मिशन का उद्देश्य "जल का संरक्षण, मल जल में कमी लाना और समग्र जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन के माध्य म से राज्यों के बीच तथा राज्यों में इसका अधिक समान वितरण सुनिश्चित करना है ।"	**200.00**	संस्थागत तंत्र	सलाहकार बोर्डे/समूहों/ समितियों के बैठकें आयोजित करना ।	आवश्यकता के अनुसार	
				लक्ष्य 1- व्यापक जल डाटाबेस सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध कराना और जल संसाधन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन	(i) नदी बेसिन स्केल के आधार पर जलवायु परिवर्तन मॉडलों का स्केल घटाना	मार्च, 2013 तक संभावित	

क्रम स	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	2012-13 का योजना परिव्यय	मात्रात्मक सुपुर्दगिया/वास्तविक परिणाम	अनुमानित परिणाम	प्रक्रियाए/समय सीमा	अभ्युक्तिया/जोखिम घटक
1	2	3	4	5	5	6	7
				लक्ष्य 2- जल संरक्षण, संवर्धन एवं परिरक्षण के लिए नागरिक एवं राज्य कार्रवाई को प्रोत्साहन	गंभीर एवं अर्द्ध-गंभीर ब्लॉकों में पंचायत सदस्यों और उनकी संस्थाओं को सुग्राही बनाना-कार्य योजना का ढांचा तैयार करना	मार्च, 2013 तक संभावित	
				लक्ष्य 3- अतिदोहित क्षेत्रों सहित संवेदनशील क्षेत्रों पर जोर देना	(i) जलभृत्त मानचित्रण के माध्यम से भूजल संसाधन का समग्र आकलन (ii) भूजल के पुनर्भरण के माध्यम से सभी अतिदोहित क्षेत्रों में पूर्ति की जाएगी ।	मार्च, 2017 तक संभावित	
				लक्ष्य 4- जल उपयोग दक्षता को 20% तक बढ़ाना	(i) जल उपयोग दक्षता को 20% तक बढ़ाना (ii) सृजित सिंचाई क्षमता एवं उपयोग की गई सिंचाई क्षमता के बीच 15% के अंतर को कम करके आधा करना	मार्च, 2017 तक संभावित	
				लक्ष्य 5 – बेसिन स्तरीय एवं एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को प्रोत्साहन देना	(i) राष्ट्रीय जल नीति को अंतिम रूप देना (2013) (ii) एकीकृत जल संसाधन, विकास एवं प्रबंधन के लिए नदी बेसिन मास्टर योजना तैयार करना ।	(i) और (iii) मार्च, 2013 तक संभावित और (ii) मार्च, 2017 तक संभावित	
12	**सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम**	एमएमआई निष्पादन और राज्यों अथवा स्थानीय निकायों जैसे पंचायतों अथवा जल प्रयोक्ता संघों के प्रभावों के संदर्भ में परिणामों से जोड़ी गई केन्द्रीय सहायता ।	**100.00**	(क) आईएसएफ एकत्रीकरण अनुपात में सुधार करना; (ख) उपयोग की गई सिंचाई क्षमता के संबंध मे अधिक सटीक आंकड़े सृजित करना; (ग) पीआईएम को प्रोत्साहन देना; (घ) सीएडी में तेजी लाना; (ड) आईएससी स्तरों के युक्तिकरण को प्रोत्साहन देना; (च) मात्रात्मक जल आपूर्ति एवं मूल्य निर्धारण को बढ़ावा देना (छ) सिंचाई अभिकरणों और जल प्रयोक्ता) संघों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना (ज) सृजित सिंचाई क्षमता और उपयोग की गई सिंचाई क्षमता के बीच अंतर को कम करने में सहयोग करना ।	राज्यों अथवा स्थानीय निकायों जैसे पंचायतों अथवा जल प्रयोक्ता संघों द्वारा आईएसएफ संकलन के साथ उपयुक्त रूप से जोड़े गए प्रोत्साहन ।	मंत्रिमंडल टिप्पण और ईएफसी ज्ञापन तैयार करना और अनुमोदन की प्रक्रिया वर्ष 2012-13 के दौरान शुरू की जाएगी ।	
13	**बांध पुनर्वास एवं सुधार कार्यक्रम**	सीपीएमयू के लिए अभियांत्रिकी एवं प्रबंधन परामर्शदाता नियुक्त किया जाएगा । परियोजना के चरण-I के पुनर्वास संबंधी सीपीएमयू क्रियाकलाप शुरू किये जाएंगे ।	**24.00**	सीपीएमयू परामर्शदाता की नियुक्ति	परियोजना के चरण-I के पुनर्वास संबंधी सीपीएमयू क्रियाकलाप शुरू किये जाएंगे।	जून, 2012	राज्यों में डीआरआईपी के समन्वय एवं पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी सीपीएमयू की होगी ।
		जल संसाधन मंत्रालय की कुल योजना स्कीम	**1500.00**				

अध्याय-III

सुधारात्मक उपाय और नीतिगत प्रयास

3.1 जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना में आठ राष्ट्रीय मिशनों के सांस्थानीकरण की परिकल्पना की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ साथ "राष्ट्रीय जल मिशन" शामिल है । जल संसाधन मंत्रालय द्वारा एक परामर्शी प्रक्रिया द्वारा तैयार किये गए राष्ट्रीय जल मिशन संबंधी व्यापक मिशन दस्तावेज पर जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रधानमंत्री परिषद द्वारा विचार किया गया है और जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रधानमंत्री परिषद द्वारा 28.05.2010 को आयोजित की गई इसकी बैठक में इस पर सिद्धांतत: अनुमोदन दे दिया गया है।

3.2 राष्ट्रीय जल नीति की समीक्षा करना एक महत्वपूर्ण प्रयास है । इस संबंध में राष्ट्रीय जल नीति की समीक्षा करने के लिए जल संसाधन संबंधी संसदीय स्थायी समिति, जल संसाधन मंत्रालय के लिए परामर्शदात्री समिति और जल संरक्षण एवं प्रबंधन संबंधी संसदीय फोरम के माननीय सदस्यों के साथ परामर्शी बैठक नई दिल्ली में 28 जुलाई, 2010 को आयोजित की गई थी । शिक्षाविदों, विशेषज्ञों और पेशेवरों के साथ गहन विचार-विमर्श सत्र भी नई दिल्ली में 26 अक्तूबर, 2010 को आयोजित किया गया था । राष्ट्रीय जल नीति के संबंध में गैर-सरकारी संगठनों के साथ एक परामर्शी बैठक 11-12 जनवरी, 2011 को आयोजित की गई थी ।

3.3 नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी कार्यक्रम: सह-बेसिन राज्यों की सहमति के बाद अंतर्राज्यीय संपर्कों की डीपीआर तैयार करने के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) का अधिदेश एनडब्ल्यूडीए सोसाइटी की चौथी विशेष आम बैठक में अनुमोदित किया गया है । अत: राज्य संपर्कों की डीपीआर तैयार करने के कार्य सहित एनडब्लयूडीए का संशोधित ईएफसी ज्ञापन पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है और संवर्धित अधिदेश की राजपत्रित अधिसूचना तैयार की जा चुकी है । संवर्धित अधिदेश की राजपत्रित अधिसूचना तैयार की जा चुकी है । संवर्धित अधिदेश को राजपत्रित अधिसूचना के पश्चात् एनडब्ल्यूडीए ने तैयारी आरंभ कर दी और कार्य वर्ष 2012-13 के दौरान जारी रहेगा ।

3.4 बांध सुरक्षा विधेयक : बांध सुरक्षा अधिनियम के अधिनियमन के लिए कार्रवाई शुरू की गई है जिसमें देश में बांधों की उचित निगरानी, जांच, प्रचालन एवं रखरखाव की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी ।

3.5 बांध सुरक्षा विधेयक लोक सभा में 30.8.2010 को लाया गया और जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति की जांच के लिए भेजा गया है । स्थायी समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे 17.8.2011 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया । रिपोर्ट में विहित सिफारिशों की जॉच की जा रही है ।

3.6 तीस्ता, फेनी और कुछ अन्य साझा नदियों के जल के बंटवारे के संबंध में कार्य योजना बनाने के लिए भारत और बांगलादेश के बीच सचिव स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी ।

3.7 राष्ट्रीय जल मिशन

3.7.1 जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना में आठ राष्ट्रीय मिशनों के सांस्थानीकरण की परिकल्पना की गई है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ "राष्ट्रीय जल मिशन" शामिल है । जल संसाधन मंत्रालय द्वारा एक परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किए गए राष्ट्रीय जल मिशन संबंधी व्यापक मिशन दस्तावेज पर केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 6 अप्रैल 2011 को अनुमोदन किया गया था ।

3.7.2 राष्ट्रीय जल मिशन का मुख्य उद्देश्य जल का संरक्षण, "जल की बर्बादी कम करना तथा एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन द्वारा राज्यों के भीतर और बाहर दोनों और इसका समान वितरण करना सुनिश्चित करना" है ।

3.7.3 राष्ट्रीय जल मिशन के लिए अभिज्ञात किए गए पांच लक्ष्य निम्नानुसार है: - (i) सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी जल का विस्तृत डाटाबेस तैयार करना तथा जल संसाधनों पर जल वायु परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभाव का विश्वसनीय आकलन करना ; (ii) जल संरक्षण, संवर्धन और परिरक्षण के लिए नागरिकों और राज्य की कार्रवाई को बढ़ावा देना (iii) अति दोहित क्षेत्रों सहित संवेदन शील क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करना (iv) जल उपयोग दक्षता को 20% तक बढ़ाना और (v) बेसिन स्तर पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना ।

3.7.4 6 अप्रैल, 2011 को राष्ट्रीय जल मिशन पर केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किए गए अनुमोदन के अनुसार एक मिशन सचिवालय की स्थापना की गई है । वर्तमान में अपर सचिव जल संसाधन मंत्रालय मिशन सचिवालय के मिशन निदेशक है, मुख्य अभियंता (पीएंडडी), सीडब्ल्यूसी सलाहकार (तकनीकी) और वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (पीपी), जल संसाधन मंत्रालय सलाहकार (समन्वय और निगरानी) के रूप में है ।

3.7.5 राष्ट्रीय जल मिशन दस्तावेज में अभिकल्पित आठ सलाहकार समूहों/समितियों का गठन किया गया है जो निम्नानुसार है -

I. सलाहकार बोर्ड
II. राष्ट्रीय जल मिशन हेतु उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति
III. लक्ष्य-I के लिए अन्तर-क्षेत्रीय सलाहकार समूह:- सार्वजनिक क्षेत्र संबंधी जल का विस्तृत डाटाबेस तैयार करना तथा जल संसाधनों पर जल वायु परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभाव का विश्वसनीय आकलन करना ।
IV. लक्ष्य-II के लिए अन्तर-क्षेत्रीय सलाहकार समूह:- जल संरक्षण, संवर्धन और परिरक्षण के लिए नागरिकों और राज्य की कार्रवाई को बढ़ावा देना।

V. लक्ष्य-III के लिए अन्तर-क्षेत्रीय सलाहकार समूहः- अतिदोहित क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रीय करना।
VI. लक्ष्य-IV के लिए अन्तर-क्षेत्रीय सलाहकार समूहः- जल उपयोग दक्षता को 20% तक बढ़ाना
VII. लक्ष्य-V के लिए अन्तर-क्षेत्रीय सलाहकार समूहः- बेसिन स्तर पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना
VIII. जलवायु परिवर्तन और जल संसाधन संबंधी तकनीकी समिति ।

3.8 राष्ट्रीय जल नीति की समीक्षा

3.8.1 जल संसाधन मंत्रालय ने 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को अपनाया था और तत्पश्चात् इसे संशोधन किया जाता था । राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद ने 1 अप्रैल 2002 को संपन्न अपनी 5वीं बैठक में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संशोधित राष्ट्रीय जल नीति को अपनाया था ।

3.8.2 जलवायु परिवर्तन के कारण संभावित प्रभावों पर विचार करते हुए स्थायी एवं समान विकास सूनिश्चित करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल नीति 2002 की समीक्षा शुरू की है ।

3.8.3 पिछले वर्ष (2010-11) के दौरान संसद सदस्य, अकादमियों, विशेषज्ञों एवं पेशवरों, गैर सरकारी संगठनों और कॉरपोरेट लीडरों के साथ राष्ट्रीय जल नीति की समीक्षा संबंधित परामर्शी बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की गई थी । चालू वर्ष (2011-12) के दौरान राष्ट्रीय जल नीति की समीक्षा के लिए पंचायती राज संस्थानों पीआरआई के प्रतिनिधियों के साथ निम्नलिखित परामर्शी बैठकें आयोजित की गई है -

I. दिनांक 16 जून 2011 को हैदराबाद में दक्षिणी राज्यों से पीआरआई प्रतिनिधि ।
II. दिनांक 30 जून 2011 को शिलांग में उत्तर पूर्वी राज्यों से पीआरआई प्रतिनिधि ।
III. दिनांक 14 जुलाई, 2011 को जयपुर में उत्तर पूर्वी राज्यों से पीआरआई प्रतिनिधि ।
IV. दिनांक 2 नवम्बर, 2011 को पुणे में पश्चिमी राज्यों से पीआरआई प्रतिनिधि ।

3.8.4 राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा तैयार करने के लिए जल क्षेत्र के श्रेष्ठ विशेषज्ञों को शामिल करते हुए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था । प्रारूप समिति ने राष्ट्रीय जल नीति का मसौदा प्रस्तुत किया है जोकि जल संसाधन मंत्रालय में मूल्यांकनाधीन है ।

जल उपयोग दक्षता की राष्ट्रीय ब्यूरो को स्थापित करने हेतु प्रस्ताव -

3.8.5 राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) दस्तावेज,जिसे 6 अप्रैल, 2011 को केंद्रीय मंत्रीमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, अपने पांच मुख्य लक्ष्यों में से एक के रूप में "जल उपयोग दक्षता को 20% तक बढ़ाना "को अभिकल्पित करता है।

3.8.6 जल संसाधन मंत्रालय सिंचाई, नगर निगम और/अथवा औद्योगिक उपयोगों में जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देने, विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य हेतु पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 3(3) के तहत एक प्राधिकरण के रूप में राष्ट्रीय जल उपयोग दक्षता ब्यूरो का (एनबीडब्ल्यूयूई) गठन करने का प्रस्ताव करता है। प्रस्तावित ब्यूरो के पास समूचे देश में जल उपयोग दक्षता के विभिन्न क्षेत्रों नामत: सिंचाई, पेयजलापूर्ति, विद्युत उत्पादन और उद्योग को सुधारने की संपूर्ण जिम्मेदारी होगी।

3.8.7 जल संसाधन मंत्रालय द्वारा आर्थिक कार्य संबंधी संसदीय समिति हेतु एक प्रारूप टिप्पणी तैयार की गई है और वह भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उनकी टिप्पणी हेतु परिचालित कर दी गई है ।

3.8.8 अंर्तराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में, भारत पाकिस्तान के साथ सहयोग से सिंधु जल संधि को कार्यान्वित कर रहा है।

3.8.9 जल संसाधन मंत्रालय जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धारको पुन: आरंभ करने का प्रस्ताव करती है जोकि 2000 हेक्टेयर तक की कृष्य कमान क्षेत्र वाली सभी जल निकायों को शामिल करेगी। पुन: प्रारंभ होने वाली परियोजना में आवाह एवं कमान क्षेत्र विकास, भागीदारी जल प्रबंधन आदि इसके घटक के रूप में है। प्रस्तावित स्कीम (राज्य क्षेत्र) की रूपरेखा तैयार किए जाने की अवस्था में है।

3.9 नागरिक चार्टर

राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एमआईएच) ने सर्वोत्तम अनुपालन प्रणाली के एक भाग के रूप में अपना नागरिक चार्टर तैयार किया है।

3.9.1 परिणाम रूपरेखा प्रलेख (आरएफडी) : राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान ने अपनी आरएफडी को अंतिम रूप दिया है और वित्तीय वर्ष के दौरान विभाग/मंत्रालय द्वारा हासिल किए जाने वाली संभावित अति महत्वपूर्ण परिणामों का सार भी उपलब्ध कराया है। यह दस्तावेज न केवल सहमत लक्ष्यों, नीतियों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को शामिल करती है बल्कि उन्हें कार्यान्वित करने में प्रगति उपायों हेतु सफलता सूचको एवं लक्ष्यों को भी शामिल करता है और वर्ष के अंत तक विभाग के पूरे निष्पादन के मूल्यांकन हेत तटस्थ एवं निष्पक्ष आधार उपलब्ध कराता है।

अध्याय-IV

विगत निष्पादन की समीक्षा

4.1 विगत निष्पादन की समीक्षा: पहले ही निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में वर्ष 2010-11 और 2011-12 (दिसंबर, 2011 तक) के निष्पादन संबंधी संगत सूचना क्रमश: **अनुलग्नक-I** और **अनुलग्नक-II** पर दी गई है ।

4.2 इस मंत्रालय का एक मुख्य कार्यक्रम 'त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम' और 'राष्ट्रीय परियोजना' है । इसके ब्यौरे **अनुलग्नक-III** में दिये गए हैं ।

अध्याय - V

समग्र वित्तीय समीक्षा

5.1 XIवीं योजना परिव्यय सहित जल संसाधन मंत्रालय बजट (निधि के स्कीमवार आवंटन की तुलना में व्यय की प्रवृत्ति) के ब्यौरे अनुलग्नक – **IV** पर दर्शाए गए हैं और वर्ष 2012-13 की वार्षिक योजना के ब्यौरे अनुलग्नक-**V** में दर्शाए गए हैं ।

वित्त वर्ष 2011-12 में व्यय का रूझान :

5.2 वर्ष 2011-12 के लिए इस मंत्रालय की वार्षिक योजना के लिए बजट प्राक्कलन 720.00 करोड़ रूपये है जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन स्तर में कम करके 620.00 करोड़ रूपए कर दिया गया था । लेखा नियंत्रक के कार्यालय से प्राप्त व्यय संबंधी ब्यौरे के अनुसार दिसम्बर**, 2011** तक 357.34 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है जो 11-12 के बजट प्राक्कलन और संशोधित प्राक्कलन के संबंध में क्रमश: 49.63 % और 57.63 % है ।

5.3 वित्त वर्ष 11-12 के लिए जल संसाधन मंत्रालय का अनुदान 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है । विभिन्न क्षेत्रों के तहत दिसम्बर, 2011 तक अनुमोदित योजना परिव्यय(ब.प्रा./सं.प्रा. दोनों) तथा व्यय का क्षेत्रवार वितरण संक्षेप में इस प्रकार है :

(रूपये करोड़ में)

क्षेत्र	**ब.प्रा. 2011-12**	**सं.प्रा. 2011-12**	**दिसम्बर, 2011 तक व्यय**
वृहद एवं मध्यम सिंचाई	277.19	226.15	114.56
लघु सिंचाई	134.40	143.45	85.86
बाढ़ नियंत्रण	238.01	179.00	102.07
परिवहन क्षेत्र	70.40	71.40	55.23
स्थानान्तरण के लिए प्रविष्टि प्रतीक्षित	0.00	0.00	-0.38
कुल	**720.00**	**620.00**	**357.34**

बजट एक झलक

5.4 जल संसाधन क्षेत्र में, केन्द्रीय बजट से जल संसाधन मंत्रालय और इसके संबद्ध संगठनों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनिवार्य रूप से क्रियान्वित स्कीमों, परियोजनाओं और कार्यक्रमों के संबंध में समग्र मार्गदर्शन और समन्वय की भूमिका निभाने में सहयोग मिलता है। फरक्का बराज परियोजना एक ऐसी अकेली परियोजना है जो कि मुख्यत: नौवहन परियोजना है, परन्तु यह मंत्रालय के अधीन है क्योंकि इसमें कौशल और विविध क्षेत्र शामिल होते हैं और यह मंत्रालय के क्षेत्र के भीतर अन्य हाइड्रोलिक परियोजनाओं की भांति है । जल

संसाधन विकास के संबंध में मंत्रालय की भूमिका आयोजना, मार्गदर्शन, नीतिनिरूपण और सहायता की होती है ।

5.5 चूंकि 'जल' राज्य का विषय है इसलिए केन्द्र की भूमिका अनिवार्यत: कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में उत्प्रेरक स्वरूप की होती है । इसलिए केन्द्र सरकार के बजट को विभिन्न राज्य सरकारों के बजटों में प्रदान की गई निधियों द्वारा बढ़ाया जाता है ।

5.6 मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजना स्कीमें निम्नानुसार है :

केन्द्रीय क्षेत्र

1. जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास
2. जल विज्ञान परियोजना
3. जल संसाधन विकास का अन्वेषण
4. अनुसंधान और विकास कार्यक्रम
5. राष्ट्रीय जल अकादमी
6. सूचना, शिक्षा और संचार
7. बांध सुरक्षा अध्ययन और आयोजना
8. नदी बेसिन संगठन/प्राधिकरण
9. भूमि जल प्रबंधन और विनियमन
10. राजीव गांधी एनजीडब्ल्यूटी एंड आरआई
11. बाढ़ पूर्वानुमान
12. नदी प्रबंधन कार्यकलाप और सीमावर्ती नदियों से संबंधित कार्य
13. पगलादिया बांध परियोजना
14. अवसंरचना विकास
15. फरक्का बैराज परियोजना

राज्य क्षेत्र स्कीमें

16. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
17. जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और पुनरूद्धार
18. बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम
19. बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम
20. कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम

5.7 पिछले 2 वर्षों में आवंटित और घटित व्यय बजट दर्शाने वाली एक तुलनात्मक तालिका-क और ख में दी गई है । विभिन्न क्षेत्रों (तालिका-क) के बीच निधि के आवंटन और जिस रूप में मंत्रालय का व्यय हुआ है (तालिका-ख) के संबंध में मंत्रालय के बजट में उल्लेख किया गया है ।

5.8 बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों के संबंध में ब्यौरा तालिका-ग में दिया गया है ।

तालिका - क

बजट एक दृष्टि में

(क्षेत्र-वार)

(रूपये करोड़ में)

क्र. सं.	**क्षेत्र/संगठन/स्कीम**	वास्तविक **2010-11**		ब.प्रा. **2011-12**		सं.प्रा. **2011-12**		ब.प्रा. **2012-13**		कुल ब. प्रा. **2012-13**
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**
I.	**सचिवालय आर्थिक सेवाएं**									
1.	जल संसाधन मंत्रालय	0.00	32.31	0.00	57.17	0.00	59.04	0.00	62.42	62.42
2.	रावी-व्यास जल अधिकरण	0.00	0.83	0.00	0.97	0.00	0.29	0.00	0.57	0.57
3.	कावेरी जल विवाद अधिकरण	0.00	2.24	0.00	2.36	0.00	2.18	0.00	2.36	2.36
4.	कृष्णा जल विवाद अधिकरण	0.00	1.67	0.00	1.78	0.00	1.65	0.00	1.75	1.75
5.	वंशधारा जल विवाद अधिकरण	0.00	0.55	0.00	4.16	0.00	4.17	0.00	4.04	4.04
6.	महादायी जल विवाद अधिकरण	0.00	0.08	0.00	3.54	0.00	2.92	0.00	4.14	4.14
	कुल: सचिवालय एवं आर्थिक सेवाएं	**0.00**	**37.68**	**0.00**	**69.98**	**0.00**	**70.25**	**0.00**	**75.28**	**75.28**
II.	**वृहद एवं मध्यम सिंचाई**									
	केन्द्रीय जल आयोग									
1.	निर्देशन एवं प्रशासन	0.00	22.70	0.00	23.82	0.00	24.97	0.00	25.03	25.03
2.	आंकड़ा संग्रह	0.00	84.16	0.00	87.75	0.00	86.68	0.00	91.77	91.77
3.	प्रशिक्षण	0.00	0.32	0.00	0.35	0.00	0.36	0.00	0.38	0.38
4.	अनुसंधान	0.00	2.37	0.00	2.54	0.00	2.09	0.00	2.14	2.14
5.	सर्वेक्षण एवं अन्वेषण	0.00	8.68	0.00	5.69	0.00	4.90	0.00	5.50	5.50
6.	परामर्शी	0.00	24.31	0.00	23.83	0.00	25.88	0.00	25.92	25.92
7.	अंतर्राष्ट्रीय निकायों का अंशदान									
8.	जल पर जल संसाधन संबंधी सेमिनार एवं सम्मेलन	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00	0.02	0.02
9.	प्रदर्शनी एवं व्यापार मेला	0.00	0.12	0.00	0.09	0.00	0.09	0.00	0.14	0.14
10.	सीडब्ल्यूसी आफसेट प्रेस के उपस्कर का आधुनिकीकरण	0.00	0.36	0.00	0.29	0.00	0.28	0.00	0.28	0.28

क्र. सं.	**क्षेत्र/संगठन/स्कीम**	वास्तविक **2010-11**		ब.प्रा. **2011-12**		सं.प्रा. **2011-12**		ब.प्रा. **2012-13**		कुल ब. प्रा. **2012-13**
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**
11.	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं की मानीटरी के लिए प्रकोष्ठ	0.00	0.98	0.00	1.04	0.00	1.15	0.00	1.19	1.19
12.	जल आयोजना स्कंध	0.00	1.89	0.00	2.06	0.00	1.91	0.00	1.92	1.92
13.	चेनाब बेसिन में जल वैज्ञानिक प्रेक्षण	0.00	1.90	0.00	2.02	0.00	1.88	0.00	2.29	2.29
14.	राष्ट्रीय जल अकादमी	2.95	0.00	3.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल: सीडब्ल्यूसी	**2.95**	**147.80**	**3.00**	**149.50**	**4.00**	**150.21**	**0.00**	**156.58**	**156.58**
15.	केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला	0.00	7.74	0.00	8.31	0.00	8.31	0.00	8.49	8.49
16.	केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला	0.00	32.57	0.00	35.67	0.00	35.67	0.00	36.42	36.42
17.	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान	0.00	9.80	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00	10.05	10.05
18.	सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति	0.00	0.74	0.00	0.81	0.00	0.83	0.00	0.80	0.80
19.	बाण सागर नियंत्रण बोर्ड	0.00	0.23	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.25	0.25
20.	सतलुज यमुना संपर्क नहर परियोजना	0.00	0.00	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	18.04	18.04
21.	ऊपरी यमुना नदी बोर्ड	0.00	1.16	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	1.90
22.	अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम	41.36	0.00	46.19	0.00	37.00	0.00	100.00	0.00	100.00
23.	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	39.36	0.00	58.94	0.00	58.89	0.00	84.99	0.00	84.99
24.	जल विज्ञान परियोजना	27.22	0.00	80.00	0.00	50.00	0.00	70.00	0.00	70.00
25.	जल संसाधन विकास स्कीमों का अन्वेषण	44.27	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	सूचना, शिक्षा एवं संचार	13.30	0.00	25.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	नदी बेसिन संगठन/ प्राधिकरण	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	बांध सुरक्षा अध्ययन एवं आयोजना	1.11	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्र. सं.	**क्षेत्र/संगठन/स्कीम**	वास्तविक **2010-11**		ब.प्रा. **2011-12**		सं.प्रा. **2011-12**		ब.प्रा. **2012-13**		कुल ब. प्रा. **2012-13**
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**
29.	अवसंरचना विकास	2.82	0.00	3.00	0.00	2.15	0.00	3.20	0.00	3.20
30.	मानव संसाधन विकास क्षमता निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00
31.	नदी बेसिन प्रबंधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00
32.	राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
33.	सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
34.	बांध पुनर्वास तथा सुधार कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00
	कुल : वृहद एवं मध्यम सिंचाई	**172.39**	**200.04**	**277.13**	**206.99**	**226.04**	**207.72**	**777.19**	**232.53**	**1009.72**
III.	**लघु सिंचाई**									
1.	केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड	0.00	100.46	0.00	105.02	0.00	105.14	0.00	105.98	105.98
2.	राजीव गांधी एनजीडब्ल्यूटीआर आई	3.19	0.00	3.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	भूजल प्रबंधन एवं विनियमन	80.93	0.00	120.00	0.00	132.00	0.00	318.00	0.00	318.00
4.	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	0.07	0.00	0.06	0.00	0.11	0.00	0.01	0.00	0.01
5.	अवसंरचना विकास	6.86	0.00	11.40	0.00	7.85	0.00	41.80	0.00	41.80
6.	मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
	कुल : लघु सिंचाई	**91.05**	**100.46**	**134.46**	**105.02**	**143.56**	**105.14**	**374.81**	**105.98**	**480.79**
IV.	**बाढ़ नियंत्रण**									
	केन्द्रीय जल आयोग									
1.	बाढ़ आंकड़ा संग्रह	0.00	66.51	0.00	72.39	0.00	71.39	0.00	72.04	72.04
2.	बाढ़ पूर्वानुमान एवं चेतावनी केन्द्रों के रखरखाव के लिए भूटान सरकार को भुगतान	0.00	0.53	0.00	1.08	0.00	1.08	0.00	1.05	1.05
3.	ब्रह्मपुत्र एवं बराक बेसिन में बाढ़ पूर्वानुमान एवं जल वैज्ञानिक नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण	0.00	2.37	0.00	1.88	0.00	2.55	0.00	2.53	2.53

क्र. सं.	**क्षेत्र/संगठन/स्कीम**	वास्तविक **2010-11**		ब.प्रा. **2011-12**		सं.प्रा. **2011-12**		ब.प्रा. **2012-13**		कुल ब. प्रा. **2012-13**
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**
	कुल : केन्द्रीय जल आयोग	**0.00**	**69.41**	**0.00**	**75.35**	**0.00**	**75.02**	**0.00**	**75.62**	**75.62**
4.	पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्रों में आपातिक बाढ़ सुरक्षा उपाय	0.00	3..00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00
5.	पगलादिया बांध	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	बाढ़ पूर्वानुमान	24.02	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	48.00	0.00	48.00
7.	सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित नदी प्रबंधन गतिविधियां एवं कार्य	179.52	0.00	188.00	0.00	138.00	0.00	125.00	0.00	125.00
8.	अवसंरचना विकास	9.48	0.00	14.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00
9.	नदी बेसिन प्रबंधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
	कुल: बाढ़ नियंत्रण	**213.02**	**72.41**	**238.01**	**78.35**	**179.00**	**78.02**	**273.00**	**78.62**	**351.62**
V.	**अन्य परिवहन सेवाएं**									
1.	फरक्का बैराज परियोजना	44.02	34.11	70.40	35.29	71.40	34.79	75.00	41.14	116.14
2.	जांगीपुर बैराज	0.00	2.13	0.00	2.46	0.00	2.21	0.00	2.37	2.37
3.	पोषक नहर	0.00	4.30	0.00	4.64	0.00	4.60	0.00	5.08	5.08
	कुल: परिवहन सेवाएं	**44.02**	**40.54**	**70.40**	**42.39**	**245.00**	**41.60**	**75.00**	**48.59**	**123.59**
	कुल: (I से V) *	**520.48**	**451.13**	**720.00**	**502.73**	**620.00**	**502.73**	**1500.00**	**541.00**	**2041.00**
VI.	एआईबीपी एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम**	8757.53	**0.00**	**12620.00**	**0.00**	**7460. 00**	**0.00**	**14242. 00**	**0.00**	**14242. 00**
	कुल जोड़	**9278.01**	**451.13**	**13340.00**	**502.73**	**8080.00**	**502.73**	**15742.00**	**541.00**	**16283.00**

*वित्त का स्रोत : * 2012-2013 के लिए जल संसाधन मंत्रालय की मांग सं. 104 (एआईबीपी को छोड़कर)*
*** मांग सं. 35 में दर्शाए गए विवरण-वित्त मंत्रालय (राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरित)*

तालिका - ख

बजट एक दृष्टि में

(व्यय का प्रकार)

(रूपये करोड़ में)

क्र.सं.	**क्षेत्र/संगठन/स्कीम**	वास्तविक **2010-11**		ब.प्रा. **2011-12**		सं.प्रा. **2011-12**		ब.प्रा. **2012-13**		कुल ब. प्रा. **2012-13**
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**
क.	प्रत्यक्ष व्यय									
1.	सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	0.00	37.68	0.00	69.98	0.00	70.25	0.00	75.28	75.28
2.	केन्द्रीय जल आयोग									
	-वृहद एवं मध्यम सिंचाई	2.95	147.80	3.00	149.50	4.00	150.21	0.00	156.58	156.58
	-बाढ़ नियंत्रण	0.00	69.41	0.00	75.35	0.00	75.02	0.00	75.62	75.62
3.	केन्द्रीय मृदा एवं सामग्री अनुसंधानशाला	0.00	7.74	0.00	8.31	0.00	8.31	0.00	8.49	8.49
4.	केन्द्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधानशाला	0.00	32.57	0.00	35.67	0.00	35.67	0.00	36.42	36.42
5.	केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड	0.00	100.46	0.00	105.02	0.00	105.14	0.00	105.98	105.98
6.	राजीव गांधी और एनजीडब्ल्यूटीआरआई	3.19	0.00	3.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	फरक्का बैराज परियोजना	44.02	40.54	70.40	42.39	71.40	41.60	75.00	48.59	123.59
8.	बोर्ड एवं समितियां	0.00	2.13	0.00	2.95	0.00	2.97	0.00	2.95	2.95
	कुल : प्रत्यक्ष व्यय	**50.16**	**438.33**	**76.40**	**489.17**	**79.00**	**489.17**	**75.00**	**509.91**	**584.91**
ख.	जारी की गई राशि									
(क)	स्वायत्त निकायों को अनुदान									
1.	राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान	0.00	9.80	0.00	8.50	0.00	8.50	0.00	10.05	10.05
2.	अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम	41.36	0.00	46.19	0.00	37.00	0.00	100.00	0.00	100.00
3.	-वृहद एवं मध्यम सिंचाई पगलादिया बांध परियोजना	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप-जोड़ (क) स्वायत्त निकायों को अनुदान	**41.36**	**9.80**	**46.20**	**8.50**	**37.00**	**8.50**	**100.00**	**10.05**	**110.05**
(ख)	बाढ़ नियंत्रण/कटावरोधी कार्यों के लिए राज्यों को सहायता									
1.	पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्रों में आपातिक बाढ़ सुरक्षा उपाय	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00
	उप-जोड़ (ख) : बाढ़ नियंत्रण/ कटावरोधी कार्यों के लिए राज्यों को सहायता	**0.00**	**3.00**	**0.00**	**3.00**	**0.00**	**3.00**	**0.00**	**3.00**	**3.00**

क्र.सं.	**क्षेत्र/संगठन/स्कीम**	वास्तविक **2010-11**		ब.प्रा. **2011-12**		सं.प्रा. **2011-12**		ब.प्रा. **2012-13**		कुल ब. प्रा. **2012-13**
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**
(ग)	राज्य सिंचाई स्कीमें									
1.	सतलज यमुना संपर्क नहर	0.00	0.00	0.00	2.06	0.00	2.06	0.00	18.04	18.04
	कुल : जारी की गई कुल राशि (क) से (ग)	41.36	12.80	46.20	13.56	37.00	13.56	100.00	31.09	131.09
	कुल (क+ख)*	**91.52**	**451.13**	**122.60**	**502.73**	**116.00**	**502.73**	**175.00**	**541.00**	**716.00**
ग	अन्य योजना स्कीमें वृहद एवं मध्यम सिंचाई									
1.	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	39.36	0.00	58.94	0.00	58.89	0.00	84.99	0.00	84.99
2.	जल विज्ञान परियोजना	27.22	0.00	80.00	0.00	50.00	0.00	70.00	0.00	70.00
3.	जल संसाधन विकास स्कीमों का अन्वेषण	44.27	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	सूचना, शिक्षा और संचार	13.30	0.00	25.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	नदी बेसिन संगठन/प्राधिकरण	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	बांध सुरक्षा अध्ययन और आयोजना	1.11	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	अवसंरचना विकास	2.82	0.00	3.00	0.00	2.15	0.00	3.20	0.00	3.20
8.	मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00
9.	नदी बेसिन प्रबंधन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00
10.	राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
11.	सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
12.	बांध पुनर्वास और सुधार कार्यक्रम (डीआरआईपी)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00
	कुल –वृहद एवं मध्यम सिंचाई	**128.08**	**0.00**	**227.94**	**0.00**	**185.04**	**0.00**	**677.19**	**0.00**	**677.19**
	लघु सिंचाई									
1.	भूजल प्रबंधन और विनियमन	80.93	0.00	120.00	0.00	132.00	0.00	318.00	0.00	318.00
2.	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	0.07	0.00	0.06	0.00	0.11	0.00	0.01	0.00	0.01
3.	अवसंरचना विकास	6.86	0.00	11.40	0.00	7.85	0.00	41.80	0.00	41.80
4.	मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
	कुल – एमआई	**87.86**	**0.00**	**131.46**	**0.00**	**139.96**	**0.00**	**374.81**	**0.00**	**374.81**

क्र.सं.	**क्षेत्र/संगठन/स्कीम**	वास्तविक **2010-11**		ब.प्रा. **2011-12**		सं.प्रा. **2011-12**		ब.प्रा. **2012-13**		कुल ब. प्रा. **2012-13**
		योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	योजना	गैर-योजना	
1.	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**	**9.**	**10.**	**11.**
	बाढ़ नियंत्रण									
1.	बाढ़ नियंत्रण	24.02	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	48.00	0.00	48.00
2.	नदी प्रबंधन गतिविधियां और सीमावर्ती क्षेत्र संबंधी कार्य	179.52	0.00	188.00	0.00	138.00	0.00	125.00	0.00	125.00
3.	अवसंरचना विकास	9.48	0.00	14.00	0.00	5.00	0.00	10.00	0.00	10.00
4.	नदी बेसिन प्रबंधन	**	**	**	**	**	**	90.00	0.00	90.00
	कुल –बाढ़ नियंत्रण	**213.02**	**0.00**	**238.00**	**0.00**	**179.00**	**0.00**	**273.00**	**0.00**	**273.00**
	कुल –(क+ख+ग)*	**520.48**	**451.13**	**720.00**	**502.73**	**620.00**	**502.73**	**1500.00**	**541.00**	**2041.00**
घ	एआईबीपी और दूसरे जल संसाधन कार्यक्रम**	**8757.53**	**0.00**	**12620.00**	**0.00**	**7460.00**	**0.00**	**14242.00**	**0.00**	**14242.00**
	कुल जोड़ (क+ख+ग+घ)	**9278.01**	**451.13**	**13340.00**	**502.73**	**8080.00**	**502.73**	**15742.00**	**541.00**	**16283.00**

*वित्त का स्रोत : * 2012-2013 के लिए जल संसाधन मंत्रालय की मांग सं. 104 (एआईबीपी को छोड़कर)*
*** मांग सं. 35 में दर्शाए गए विवरण-वित्त मंत्रालय (राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अंतरित)*

तालिका – ग

31.3.2009 तक जारी किए गए अनुदान/ऋण के संबंध में बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र

01.10.2011 तक स्थिति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च, 09 तक जारी अनुदानों के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्रों की सं.	शामिल राशि (रूपये करोड़ में)	प्राप्त उपयोग प्रमाण पत्रों की संख्या	प्राप्त उपयोग प्रमाण पत्रों में शामिल राशि	01.10.2011 को बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों की सं.	बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों में शामिल राशि (रूपये करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7
संस्थान और स्वायत्त निकाय	202	7417.67	2	4131	200	3286.67
*राज्य सरकारें	14	48.41	6	28.92	8	19.49

***विभिन्न राज्य सरकारों को जारी अनुदान/ऋणों के संबंध में बकाया उपयोग प्रमाण-पत्रों का ब्यौरा**

एसएमडी का नाम	मार्च, 09 तक जारी अनुदानों के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्रों की सं.	शामिल राशि (रूपये करोड़ में)	प्राप्त उपयोग प्रमाण पत्रों की संख्या	प्राप्त उपयोग प्रमाण पत्रों में शामिल राशि	01.10.2011 को बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों की सं.	बकाया उपयोग प्रमाण पत्रों में शामिल राशि (रूपये करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7
लघु सिंचाई	3	0.295	0	0	3	0.295
गंगा स्कंध	2	13.87	1	12.51	1	1.36
कमान क्षेत्र विकास	9	34.25	5	16.41	4	17.84
कुल	14	48.41	6	28.92	8	19.49

अध्याय - VI

सांविधिक/स्वायत्त संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य निष्पादन की समीक्षा

सांविधिक निकाय

6.1 ब्रह्मपुत्र बोर्ड

6.1.1 गठन : ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन संसद के अधिनियम (ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम नामक 1980 का अधिनियम 46) द्वारा 1980 में की गई थी जिसका उद्देश्य ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ तथा तट कटाव नियंत्रण और तत्संबंधी मामलों के लिए आयोजना और एकीकृत उपाय करना था। इस बोर्ड ने 11 जनवरी, 1982 से कार्य करना प्रारंभ किया जिसका मुख्यालय गुवाहाटी, असम में है। बोर्ड के कार्यक्षेत्र में अरूणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम राज्य और ब्रह्मपुत्र बेसिन में पड़ने वाला पश्चिम बंगाल का हिस्सा शामिल है।

6.1.2 संगठन

बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महाप्रबंधक और वित्तीय सलाहकार के रूप में पदेन सदस्य तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के सात राज्यों, पूर्वोत्तर परिषद, भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों अर्थात जल संसाधन वित्त, कृषि, विद्युत, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा भारत सरकार के संगठनों नामत: केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय विद्युत बोर्ड प्राधिकरण, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय भू विज्ञानीय सर्वेक्षण विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले 17 अंशकालिक सदस्य शामिल है।

6.1.3 प्रमुख कार्य

अधिनियम के अनुसार बोर्ड का प्रमुख कार्य ब्रह्मपुत्र घाटी के जल संसाधनों के सिंचाई, जल विद्युत, नौवहन तथा अन्य लाभदायक प्रयोजनों हेतु विकास और उपयोग को अपक्षित महत्व देते हुए ब्रह्मपुत्र घाटी व तट कटाव नियंत्रण और जल निकासी में सुधार के लिए मास्टर योजनाएं बनाना है। अन्य कार्यों में केंद्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित मास्टर योजनाओं में प्रस्तावित परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) तैयार करना और प्राक्कलन तैयार करना तथा केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित मास्टर योजनाओं में प्रस्तावित बहुउद्देशीय बांधों का निर्माण तथा अन्य कार्यों का निष्पादन शामिल है।

6.1.4 ब्रह्मपुत्र बोर्ड के कार्यकलाप

ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्यकलाप :-

(क) मास्टर योजनाएं:- ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के जल संसाधनों की विस्तृत आयोजना और प्रलेखन तैयार किया तथा मास्टर योजनाएं बनाई । बोर्ड ने 57 में से 51 मास्टर योजनाओं की तैयारी पूरी की।

(ख) असम में माजुलीद्वीप की सुरक्षा : माजुली, ब्रह्मपुत्र नदी में चिरकालिक बाढ़ और तटकटाव प्रभावित द्वीप है। असम सरकार के अनुरोध पर बोर्ड द्वारा द्वीप के लिए किए गए सुरक्षात्मक कार्य इस प्रकार हैं -

ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने तत्काल उपाय के रूप में 5.92 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से वर्ष 2003-04 में माजुली द्वीप में कटाव रोधीकार्य किए जो 2004-05 में पूरे हुए। इन कार्यों के बाद, चरण-I के तहत नियमित सुरक्षा कार्य किए जा रहे हैं जो पूरे होने वाले हैं और इनकी अनुमानित लागत 56.07 करोड़ रूपए हैं। विशेषज्ञों की स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने 2008 में तत्काल प्रकृति के कार्य (4.99 करोड़ रूपए) कर रहा है। बोर्ड इस समय चरण -II और चरण-III के कार्य (115.99 करोड़ रूपये) एक साथ कर रहा है।

भारत सरकार ने माजुली द्वीप की सुरक्षा की समीक्षा और उपाय सुझाने के लिए दिसंबर, 2007 में सरकारी और गैर सरकारी अभिकरणों के जाने-माने विशेषज्ञों वाली स्थायी समिति गठित की है। स्थायी समिति ने माजुली द्वीप का सात बार दौरा किया है। स्थायी समिति ने अपने स्थल दौरों के आधार पर, ब्रह्मपुत्र बोर्ड और असम सरकार द्वारा विशिष्ट स्थानों पर किए जाने वाले कार्यों के विषय में समुचित सिफारिशें की हैं। इस क्षेत्र में आधुनिकतम तकनीकों को अपनाने के लिए बोर्ड को तकनीकी मार्गदर्शन भी देती है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड, स्थायी समिति द्वारा संस्तुत कार्य करता आ रहा है।

(ग) धोला-हातीघुली में कटावरोधी कार्य :- लोहित और दिबांग नदियों को उनके मूल मार्ग पर लाने के लिए, ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने वर्ष 2003-04 में चरणों में कार्य किया। कार्यों के ये चरण अर्थात चरण-I (10.40 करोड़ रूपए), चरण-II (4.95 करोड़ रूपए) और चरण-III (8.47 करोड़ रूपए) 2007-08 तक पूरे हो गए थे। चरण-IV के कार्य (23.09 करोड़ रूपए) चल रहे हैं।

जल निकासी विकास स्कीमें (डीडीएस) :

(i) विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करना : बोर्ड ने 41 अभिज्ञात जल निकासी विकास स्कीमों में से 24 की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें पूरी कर ली हैं।

(ii) जल निकासी विकास स्कीम का निष्पादन : ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने चार जल निकासी विकास स्कीमें अर्थात बड़भाग (7.23 करोड़ रूपए), अमजुर (18.84 करोड़ रूपए) जेंगरई (1.49 करोड़ रूपए) जकईचुक (2.96 करोड़ रूपए) कार्यान्वित की हैं। इनका कार्य चल रहा है।

(घ) बहुउद्देशीय परियोजना हेतु सर्वेक्षण, अन्वेषण और डीपीआर तैयार करना :- बोर्ड ने 5 बहुउद्देशीय परियोजनाओं (अरुणाचल प्रदेश में सियांग एकल चरण, सुबनसिरी एकल चरण, मणिपुर और मिजोरम में तिपाईमुख, असम में पगलादिया और मिजोरम में वैरावी) की डीपीआर पूरी कर ली है । 5 परियोजनाओं नामत: नोआ दीहिंग, जियाधल, कुल्सी, किलिंग और सिमसांग अन्वेषण/डीपीआर तैयार करने के विभिन्न चरणों में हैं ।

(ड.) पूर्वोत्तर जलविज्ञानीय एवं संबद्ध अनुसंधान संस्थान (एनईएचएआरआई):- संस्थान को गुवाहाटी के निकट सीएसएमआरएस, सीडब्ल्यूपीआरएस के सहयोग से जलविज्ञानीय मॉडलिंग, मृदा परीक्षण, कंक्रीट एवं चट्टानी यांत्रिक प्रयोगशाला की सुविधाओं सहित स्थापित किया गया था। बोर्ड ने नीपको, सीडब्ल्यूसी, एनईसी, एनएचपीसी जैसे विभिन्न संगठनों तथा असम, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम की राज्य सरकारों द्वारा उनकी निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए किए गए निवेदन के अनुसार सफलतापूर्वक नमूना परीक्षण किया है । अभी तक एनईएचएआरआई ने (i) जियाढ़ल नदी (ii) पूर्विता से दक्षिणी सल्मारा तक ब्रह्मपुत्र नदी (iii) माजुली द्वीप तथा (iv) केनिंग नदी (असम में जिया भाराली) के वास्तविक नमूना अध्ययन पूरे कर लिए हैं ।

6.1.5) बोर्ड द्वारा निष्पादन के अधीन स्कीमें :-

ब्रह्मपुत्र बोर्ड निम्नलिखित स्कीमों का निष्पादन कर रहा है :-

(क) माजुली द्वीप का संरक्षण चरण II एवं III
(ख) ढोला-हातीगुली चरण - IV में ब्रह्मपुत्र का एवल्शन
(ग) जल निकास विकास स्कीमें नामत:
  1) बोरभाग जल निकास विकास स्कीम
  2) अमजुर जल निकास विकास स्कीम
  3) जेंगरई जल निकास विकास स्कीम
  4) जकाईचुक जल निकास विकास स्कीम

(घ) **पगलादिया बांध परियोजना :-**

असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय स्वायत्त जिलों (बीटीएडी) में आने वाले बास्का जिले में थलकुची की पगलादिया नदी पर 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बाढ़ को कम करने, 54,160 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई प्रदान करने तथा साथ ही 3 मेगावाट विद्युत उत्पादन से संबंधित परियोजना का प्रस्ताव किया गया है । परियोजना में कंक्रीट स्पिलवे सहित 25 मीटर ऊंचे तथा 21 किलोमीटर लम्बे मृदा बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है । भारत सरकार ने ब्रह्मपुत्र

बोर्ड द्वारा निर्माण हेतु जनवरी, 2001 में 542.90 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की परियोजना को स्वीकृत किया था ।

- **वर्ष 2001 तक पूरे किए गए कार्य**
- निर्माण से पूर्व सर्वेक्षण, अन्वेषण, अध्ययन, डिजाइन, ड्राईंग कार्य इत्यादि
- पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास (आए एवं आर) के उद्देश्य हेतु भूमि (956 हेक्टेयर) पर कब्जा किया गया है ।
- परियोजना सड़कों, कार्यालयों इत्यादि का निर्माण ।
- तकनीकी विनिर्देश एवं निविदा दस्तावेज तैयार करना
- मुख्य कार्यों के लिए ठेकेदारों की पूर्व-अर्हताएं निर्धारित करना ।

कार्य को (i) पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास (आए एवं आर) योजना को अंतिम रूप देने के लिए परियोजना से प्रभावित परिवारों के जिरात सर्वेक्षण (सम्पत्ति आकलन) तथा (ii) आर एवं आर और परियोजना के निर्माण हेतु भूमि आवंटन / अधिग्रहण, के कारण रोक दिया गया है ।

(ङ) **पूर्वोत्तर भारत हेतु बेसिन स्तरीय जल संसाधन प्राधिकरण का गठन :-** अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में एक नोडल समूह ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड को एक बेसिन स्तरीय जल संसाधन प्राधिकरण के रूप में पुनर्गठित करने से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो जल संसाधन मंत्रालय के विचाराधीन है ।

6.2 रावी और व्यास जल अधिकरण :

6.2.1 रावी और व्यास जल अधिकरण जो कि पंजाब समझौता ज्ञापन के अनुसार अप्रैल 1986 में स्थापित किया गया था, उसने जनवरी 1987 में अपने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। यह रिपोर्ट मई 1987 में संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी गई। केंद्रीय सरकार द्वारा संदर्भ तथा रिपोर्ट के कतिपय बिन्दुओं के संबंध में स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए प्रजाब, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों से प्राप्त हुए संदर्भों से युक्त एक और संदर्भ अगस्त 1987 में अधिकरण को भेजा गया। यह अधिकरण 09.03.89 से लेकर 17.11.96 तक तथा 04.01.99 से लेकर 09.06.2003 तक काम नहीं कर सका था क्योंकि इन अवधियों के दौरान सदस्य का पद खाली पड़ा रहा। 10.06.2003 को पद के भरे जाने के बाद अधिकरण सुनवाई करता रहा है लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने पंजाब समझौता समापन अधिनियम 2004 पर राष्ट्रपति संदर्भ के निलंबित होने के कारण सुनवाई स्थगित करनी पड़ी। अध्यक्ष की मृत्यु और सदस्य द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण अधिकरण की कार्य प्रणाली पुन:प्रभावित हुई है।

6.3 कावेरी जल विवाद अधिकरण :

6.3.1 अंतर्राज्यीय नदी कावेरी और उसकी नदी घाटी के संबंध में जल विवाद पर अधिनिर्णय देने के लिए 2 जून, 1990 को भारत सरकार द्वारा कावेरी जल विवाद अधिकरण (सीडब्ल्यूडीटी) का गठन किया गया था। अधिकरण ने अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा5(2) के तहत अपनी रिपोर्ट और निर्णय 05.2.2007 को प्रस्तुत किया। संबंधित राज्यों ने इस अधिनियम की धारा 5(3) के अंतर्गत स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन की मांग की है। पक्षकार राज्यों ने अधिकरण के दिनांक 05.02.2007 के निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय विशेष अनुमति याचिका दायर की है। पक्षकार राज्यों और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र तथा केंद्र सरकार की ओर से अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 की धारा 5(3) के अंतर्गत दायर की गई याचिका पर अधिकरण द्वारा 10.72007 को विचार किया गया। माननीय अधिकरण ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पक्षकार राज्यों ने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष 5 फरवरी, 2007 के अधिकरण के निर्णय के विरूद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विशेष अनुमति मंजूर की है तथा यह माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है। माननीय अधिकरण ने यह आदेश दिया कि अधिकरण द्वारा आगे की कार्रवाई तभी की जाएगी जब विशेष अनुमति याचिका पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय उपलब्ध हो जाता है। मामले पर पिछली सुनवाई 18 अक्टूबर, 2011 को हुई थी और सक्षम पीठ के समक्ष फरवरी, 2012 में अंतिम निपटारे के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया था। मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। सरकार द्वारा अधिकरण का कार्यकाल 02.11.2012 तक बढ़ा दिया गया है।

वित्तीय परिव्यय 2012-13

(करोड़ रूपए में)

स्कीम/कार्य का नाम	वास्वविक 2010-11	बजट प्राक्कलन 2011-12	संशोधित प्राक्कलन 2011-12	दिसंबर, 11 तक वास्तविक परिव्यय	बजट प्राक्कलन 2012-13
कावेरी जल विवाद अधिकरण	2.24	2.36	2.18	1.51	2.36

6.4 कृष्णा जल विवाद अधिकरण :

6.4.1 अंतर्राज्यीय नदी कृष्णा एवं इसकी नदी घाटियों के जल के बंटवारे से संबंधित विवादों के अधिनिर्णय के लिए 2 अप्रैल, 2004 को कृष्णा जल विवाद अधिकरण (केडब्ल्यूडीटी) का गठन किया गया था। आईएसआरडब्ल्यूडी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार केडब्ल्यूडीटी का कार्यक्रम 01.04.2009 तक बढ़ा दिया गया था। इसी बीच आंध्र प्रदेश द्वारा दायर की गई रिट याचिका में माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि अधिकरण के गठन की प्रभावी

दिनांक 01.02.06 होंगी। परिणामस्वरूप अधिकरण का कार्यकाल 31.12.2010 तक बढ़ा दिया गया है।

6.4.2 अधिकरण ने अधिनियम की धारा 5(2) के तहत 30.12.2010 को अपनी रिपोर्ट और निर्णय अग्रेषित किया । पक्षकार राज्य और केंद्रीय सरकार ने अधिकरण के दिनांक 30.12.2010 की रिपोर्ट और निर्णय पर अधिकरण से स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अधिनियम की धारा 5(3) के तहत दिनांक 28 मार्च, 2011 को पत्र लिखा है।

वित्तीय परिव्यय

(करोड़ रूपए में)

स्कीम/कार्य का नाम	वास्तविक 2010-11	बजट प्राक्कलन 2011-12	संशोधित प्राक्कलन 2011-12	दिसंबर, 11 तक वास्तविक परिव्यय	बजट प्राक्कलन 2012-13
कृष्णा जल विवाद अधिकरण	1.67	1.78	1.65	1.23	1.75

6.5 वंसधारा जल विवाद अधिकरण

6.5.1 वंसधारा जल विवाद अधिकरण (वीडब्ल्यूडीटी) का गठन भारत सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय नदी वंसधारा और संबंधित नदी घाटी के संदर्भ में जल विवाद का न्यायनिर्णयन करने के लिये 24 फरवरी, 2010 को किया गया था। अधिकरण के कार्यालय हेतु स्थान नई दिल्ली - 110001 में मोहन सिंह प्लेस के पांचवें तल पर दिया गया है। इस विषय में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

वित्तीय परिव्यय

(करोड़ रूपए में)

स्कीम/कार्य का नाम	वास्तविक 2010-11	बजट प्राक्कलन 2011-12	संशोधित प्राक्कलन 2011-12	दिसंबर, 11 तक वास्तविक परिव्यय	बजट प्राक्कलन 2012-13
वंसधारा जल विवाद अधिकरण	0.55	4.16	4.17	1.05	4.04

6.6 महादायी जल विवाद अधिकरण

6.6.1 महादायी जल विवाद अधिकरण (एमडब्ल्यूडीटी) का गठन भारत सरकार द्वारा अंतर्राज्यीय नदी महादायी और संबंधित नदी घाटी के संदर्भ में जल विवाद का न्यायनिर्णयन करने के लिये 16 नवंबर, 2010 को किया गया था। संपदा निदेशालय ने कार्यालय के लिए जनपथ भवन में पांचवे तल पर स्थान आवंटित किया है। इसके अतिरिक्त इस विषय में कार्रवाई की जा रही है।

वित्तीय परिव्यय

(करोड़ रूपए में)

स्कीम/कार्य का नाम	वास्तविक 2010-11	बजट प्राक्कलन 2011-12	संशोधित प्राक्कलन 2011-12	दिसंबर, 11 तक वास्तविक परिव्यय	बजट प्राक्कलन 2012-13
महादायी जल विवाद अधिकरण	0.8	3.54	2.92	0.32	4.14

स्वायत्त निकाय (सोसाइटियां) :-

6.7 राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

6.7.1 जल संसाधन मंत्रालय (एमओडब्ल्यूआर) और केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने 1980 में जल संसाधन विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की जिसमें देश में जल की अधिकता वाले क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल के अंतर बेसिन अंतरण की योजना है जिसमें दो घटक अर्थात हिमालयी नदी विकास घटक और प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक शामिल हैं। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) जो कि सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन मंत्रालय) के अंतर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी है, की स्थापना जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के प्रायद्वीपीय घटक के संबंध में व्यापक अध्ययन, सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए 1982 में की गई थी। एनडब्ल्यूडीए के कार्य दिनांक 26.08.1981 की राजपत्र अधिसूचना संख्या1(7)/80-पीपी के पैरा-4 के तहत प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात सरकार ने जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के हिमालयी घटक को शामिल करने के लिए 11 मार्च, 1994 के संकल्प संख्या 22/27/92-बीएम, दिनांक 26.08.1981 के संकल्प संख्या 1(7)/80-पीपी के पैरा 3 व 5 में उल्लिखित सोसाइटी व शासी निकाय के गठन के लिए 13 फरवरी, 2003 और 12 मार्च, 2004 के संकल्प संख्या 2/9/2002-बीएम द्वारा संशोधन किया तथा राज्यों की सहमति के बाद जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) के अंतर्गत नदी संपर्क प्रस्तावों की डीपीआर तैयार करने के कार्य को शामिल करने के लिए दिनांक 30.11.2006 की अधिसूचना संख्या 2/18/2005-बीएम द्वारा एनडब्ल्यूडीए के कार्यों में संशोधन किया।

6.7.2 अब यह निर्णय लिया गया है कि एनडबल्यूडीए अंत: राज्यीय संपर्कों की डीपीआर भी तैयार कर सकता है तथा बढ़ाए गए कार्यों की अधिसूचना "भारत के राजपत्र में दिनांक 11 जून, 2011" को प्रकाशित की जा चुकी है।

राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा उपर्युक्त कार्यों को करने के लिए उनके कार्यों में निम्न संशोधन किए गए हैं :-

क) प्रायद्वीपीय नदी विकास और हिमालयी नदी विकास घटकों के प्रस्ताव की व्यवहार्यता स्थापित करने के लिए संभावित जलाशय स्थलों के विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य करना और संपर्कों को आपस में जोड़ना जो तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन मंत्रालय) और केंद्रीय जल आयोग द्वारा तैयार की गई जल संसाधन विकास संबंधी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के हिस्सा हैं।

ख) विभिन्न प्रायद्वीपीय नदी प्रणालियों और हिमालयी नदी प्रणालियों और जिन्हें भविष्य में बेसिन राज्यों की वास्तविक आवश्यकताएं पूरी करने के पश्चात अन्य बेसिनों/राज्यों को हस्तांतरित किया जा सकता हो, में जल की मात्रा के बारे में विस्तृत अध्ययन करना।

ग) प्रायद्वीपीय नदी विकास और हिमालयी नदी विकास से संबंधित स्कीमों के विभिन्न घटकों की व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करना।

घ) संबंधित राज्यों की सहमति के पश्चात जल संसाधन विकास संबंधी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत नदी संपर्क प्रस्तावों की विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करना।

ड.) राज्यों द्वारा प्रस्ताव किए जा सकने वाले अंत: राज्य संपर्कों की व्यवहार्यतापूर्व/व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करना। व्यवहार्यता-पूर्व रिपोर्टें/डीपीआर प्रारंभ करने से पहले इन प्रस्तावों के लिए संबंधित सह बेसिन राज्यों की सहमति प्राप्त की जा सकती है।

च) ऐसी सभी अन्य कार्रवाइयां करना जो उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यह सोसाइटी आवश्यक, प्रासंगिक, अनुपूरक अथवा अनुकूल समझती है।

6.7.3 माननीय जल संसाधन मंत्री राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण सोसाइटी के अध्यक्ष हैं जो कि एन. डब्ल्यू डी ए. का शीर्षस्थ निकाय है । अभिकरण के कार्यक्रम और प्रगति की समीक्षा करने के लिए सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। सचिव (जल संसाधन) की अध्यक्षता में एनडब्ल्यूडीए का शासी निकाय प्रत्येक छ: महीने में कार्यक्रम और कार्यों की प्रगति की समीक्षा करता है। अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में अभिकरण की तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) अभिकरण द्वारा तैयार किए गए विभिन्न तकनीकी प्रस्तावों की जांच करती है। सभी संबंधित राज्यों का इन समितियों में प्रतिनिधित्व है।

6.7.4 विभिन्न अध्ययनों के आधार पर एनडब्ल्यूडीए ने व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) तैयार करने के लिए 30 संपर्कों (प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 16 और हिमालयी घटक के अंतर्गत 14) की पहचान की है। इनमें से प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत 14 संपर्कों एवं हिमालयी घटक के अंतर्गत 2 संपर्कों (भारतीय भाग) की व्यवहार्यता-पूर्व रिपोर्ट (पीएफआरएस) पूरी हो चुकी हैं ।

इसके अतिरिक्त हिमालयी घटक के अंतर्गत अन्य 7 संपर्कों के संबंध में सर्वेक्षण एवं अन्वेषण (भारतीय भाग) पूरे कर लिए गए है । राज्यों द्वारा प्रस्तावित 15 अंत:राज्यीय संपर्कों की भी व्यवहार्यता पूर्व रिपोर्टें (पीएफआरएस) पूरी कर ली गई हैं ।

6.7.5 एनडब्ल्यूडीए द्वारा 2011-12 के दौरान (नवंबर 2011 तक) आईएलआर कार्यक्रम पर 24.02 करोड़ रूपये का व्यय किया गया था। वर्ष के दौरान एनडब्ल्यूडीए द्वारा विभिन्न अध्ययन जारी रखे गए। इसके अतिरिक्त, केन-बेतवा संपर्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पूरी की गई है। दिनांक 03.02.2010 को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के प्रधान सचिवों के साथ हुई सचिव स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार डीपीआर दो चरणों में तैयार की जाएगी। चरण-। की डीपीआर तैयार करके मई, 2010 में संबंधित राज्यों को भेज दी गई है तथा चरण-।। की डीपीआर शुरू कर दी गई है तथा दो और संपर्क अर्थात, पार-तापी-नर्मदा एवं दमनगंगा-पिंजाल वर्ष 2008-09 में प्रारंभ किए गए तथा इनका कार्य 2009-10 व 2010-11 के दौरान प्रगति पर था। बिहार के 2 अंत: राज्यीय संपर्कों की डीपीआर तैयार करने का कार्य 2010-11 में प्रगति पर था और अभी चल रहा है।

6.7.6 वर्ष 2012-13 के दौरान एनडब्ल्यूडीए के लिए 50.30 करोड़ रूपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। एनडब्ल्यूडीए यह आईएलआर कार्यक्रम के लिए आवश्यक सर्वेक्षण एवं जांच कार्य एवं उपरोक्त दो संपर्कों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी का कार्य जारी रखेगा। इसके अतिरिक्त, हिमालयी घटक (भारतीय भाग) में चार संपर्कों का सर्वेक्षण एवं जांच कार्य पूर्ण करने की योजना है। विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्तावित 6 अंत:राज्यीय संपर्कों की व्यवहार्यता पूर्व रिपोर्टें भी पूरी की जाएंगी और 3 अंत: राज्यीय संपर्कों की डीपीआर की तैयारी जारी रहेगी।

6.8 राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच) :

6.8.1 राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, जल संसाधन मंत्रालय के तहत भारत सरकार की एक संस्था है जिसकी स्थापना 1978 में रूड़की में हुई थी। यह संस्थान जल विज्ञान और जल संसाधन विकास के क्षेत्र में मूल, अनुप्रयुक्त और नीतिगत अनुसंधान संबंधी कार्य कर रहा है।

6.8.2 उद्देश्य

- जल विज्ञान के सभी क्षेत्रों में व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक कार्य करना, उसकी सहायता करना, बढ़ावा देना और समन्वय करना।
- जल विज्ञान के क्षेत्र में अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहायता और सहयोग करना।
- सोसाइटी के लक्ष्यों के अनुसरण में एक अनुसंधान और संदर्भ पुस्तकालय स्थापित करना और बनाए रखना तथा उसे पुस्तकों, समीक्षाओं, पत्रिकाओं तथा संगत प्रकाशनों से सुसज्जित करना ; तथा

- ऐसे सभी क्रियाकलाप करना जो कि सोसायटी उन लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए जिनके लिए संस्थान की स्थापना की गई है जरूरी, प्रासंगिक, पूरक अथवा अनुकूल समझे।

6.8.3 संगठन - जल संसाधन मंत्री एनआईएच सोसाइटी के अध्यक्ष हैं और जल संसाधन राज्य मंत्री उपाध्यक्ष हैं। राज्यों में सिंचाई/जल संसाधन के प्रभारी मंत्री भारत सरकार के मंत्रालयों के सचिव, और जल विज्ञान तथा जल संसाधन संबंधी श्रेष्ठ विशेषज्ञ सोसाइटी के सदस्य हैं। सचिव (जल संसाधन) शासी निकाय के अध्यक्ष हैं। तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) द्वारा संस्थान के अनुसंधान तथा अन्य तकनीकी कार्यकलापों की निगरानी तथा मार्गदर्शन किया जाता है। संस्थान के निदेशक सोसाइटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं।

यह संस्थान जल विज्ञान के विशेषीकृत क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी, का अंतरण मानव संसाधन विकास और सांस्थानिक विकास के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करता है और संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर प्रयोक्ता-अनुकूल, मांग के अनुरूप अनुसंधान करता है। राष्ट्रीय जल विज्ञान, राष्ट्रीय जल मिशन के प्रभावी-कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय के नोडल केंद्र के तौर पर कार्य करता है।

6.8.4 अध्ययन एवं अनुसंधान

संस्थान में अध्ययन और अनुसंधान, पांच वैज्ञानिक विषयों के तहत मुख्यालयों, दो बाढ़ प्रबंधन अध्ययन केंद्र और चार क्षेत्रीय केंद्रों में किए जाते हैं। संस्थान में एक अनुसंधान समन्वय एवं प्रबंधन इकाई है जो विभिन्न अनुसंधान और शिक्षण संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करती है। संस्थान में जल विज्ञान में परमाणु अनुप्रयोग, जल गुणवत्ता, मृदा जल, दूर संवेदी एवं जीआईएस अनुप्रयोग, जल विज्ञानीय उपकरण और भूमि जल मॉडलिंग के क्षेत्र में आधुनिकतम प्रयोगशाला सुविधाएं हैं।

6.8.5 तकनीकी प्रकाशन एवं प्रौद्योगिकी अंतरण

संस्थान के अनुसंधान का परिणाम, रिपोर्टों, वैज्ञानिक पर्चों, मार्ग निर्देशों, नियमावली आदि के तौर पर प्रकाशित होते हैं। लक्षित प्रयोक्ताओं को विकसित प्रौद्योगिकी और तकनीकों के अंतरण के लिए संस्थान, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कोर्स, सेमिनार, संगोष्ठी, सम्मेलन और गहन विचार विमर्श सत्र आयोजित करता है।

वर्ष 2011-12 के दौरान निष्पादन एवं वर्ष 2012-13 के लिए लक्ष्य इस प्रकार हैं :-

क्रम सं.	**मद का विवरण**	**वर्ष 2011-12 के लिए**	**वर्ष 2011-12 (दिसंबर, 2010 तक)**	**वर्ष 2012-13 के लिए**

		वास्तविक लक्ष्य	के दौरान उपलब्धियां	लक्ष्य।
1.	भौतिक/गणितीय माडल/डेस्क अध्ययन/प्रयोगशाला अध्ययनों की पूर्णता	55	50	55
2.	तकनीकी रिपोर्टों को तैयार करना/पूर्ण हो चुके अध्ययन	50	48	24
3.	शोध पत्रों का प्रकाशन	160	130	160
4	मार्गदर्शिकाओं/मैनुअलों को तैयार करना	2	1	0
5.	कार्यशालाओं/सेमिनारों/सम्मेलनों का आयोजन	15	13	14
6.	कार्मिकों का प्रशिक्षण	25	21	27
7.	तकनीक हस्तांतरण कार्यकलाप	10	9	10

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

6.9 जल तथा विद्युत परामर्शी सेवाएं (भारत) लिमिटेड :

प्रस्तावना :

6.9.1 जल तथा विद्युत परामर्शी सेवाएं (भारत) लिमिटेड केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के संरक्षण में "मिनी रत्न" श्रेणी-1 का सार्वजनिक उपक्रम है। कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 26 जून 1969 को निगमित वाप्कोस, जल संसाधन, विद्युत तथा अवसंरचना क्षेत्र के प्रत्येक पहलू में भारत तथा विदेशों में परामर्शी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। वाप्कोस की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, जल संसाधन, विद्युत एवं अवसंरचना विकास परियोजनाओं में परामर्शी सेवाओं के लिए आईएसओ 9001:2000 के गुणवत्ता आश्वासन आवश्यकताओं के अनुसार है।

मिशन

6.9.2. वाप्कोस का मिशन "स्थायी लाभ प्रद वृद्धि, उत्कृष्ट निष्पादन, आधुनिकतम तकनीकी विशेषज्ञों का उपयोग, नवीनता, क्षमता निर्माण और सोसाइटी की अपेक्षाओं को पूरा करना है ।"

उद्देश्य

(i) जल संसाधनों की इष्टतम आयोजना तथा विकास को सुनिश्चित करने तथा इसमें उपयोग की क्षमता में अत्यधिक वृद्धि करने के उद्देश्य से सर्वोच्च गुणवत्ता वाली वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय तथा प्रबंधकीय सेवाओं का एकीकृत पैकेज प्रस्तुत करने हेतु एक

प्रमुख अभिकरण की भूमिका निभाना ।

(ii) गुणवत्ता, विश्वसनीयता तथा परिशुद्धता का निर्माण करने हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा प्रणालियों को अपनाना जिसके द्वारा उपभोक्ता की अत्यधिक संतुष्टि को सुनिश्चित करना ।

(iii) घरेलू तथा विदेशी व्यापार के विकास की गति को बनाए रखना तथा जानकारी को अन्य विकासशील देशों में अंतरित करना ।

(iv) जल संसाधनों, विद्युत तथा अवसंरचना विकास के लागत-प्रभावी तथा एकीकृत विकास हेतु पर्यावरणीय अध्ययनों तथा परियोजना प्रबंधन सेवाओं को शामिल करते हुए सर्वेक्षणों, अन्वेषणों, डिजाइनों, लागत अनुमानों, परियोजना आयोजना में अंतर्राज्यीय मानकों में विशेषज्ञता प्राप्त करना एवं इन्हें बनाए रखना ।

(v) अन्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ विचार-विमर्श के माध्यम से सक्रिय रूप से अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना ।

(vi) नई चुनौतियों के क्षेत्र में विविधता तथा संबंधित क्षेत्रों में आवश्यकता के माध्यम से परामर्शी क्षेत्र में उत्कर्षता बनाए रखना ।

(vii) सुधारीकृत उत्पादकता एवं इष्टतमीकरण के माध्यम से अपने प्रचालन के परिणामस्वरूप उद्यम के उचित लाभ को सुनिश्चित करना ।

(viii) अभिनव डिजाइन विकल्पों में नवीनतम प्रौद्योगिकी द्वारा क्षमता प्राप्ति के लिए सक्रिय भूमिका निभाना ।

(ix) परामर्शी सेवाएं उपलबध कराने में विशेषज्ञता मानकों के अनुसार उच्चतम स्तर स्थापित करना ।

(x) उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ योग्यता को आकर्षित करना तथा दृढ़ संकल्प एवं निष्ठ कार्यबल को प्रोत्साहित करना ।

(xi) कारोबार विकास एवं प्रभावी कारोबार प्रबंधन को बढ़ाना ।

(xii) ग्राहक संतुष्टि की पूर्ण रूप से प्राप्ति ।

(xiii) वाप्कोस के ब्रैंड नाम को प्रचारित करना ।

विशेषज्ञता के क्षेत्र

6.9.3. कंपनी की विशेषज्ञता के मुख्य क्षेत्रों में सिंचाई एवं जल निकासी, बाढ़ नियंत्रण और भूमि पुनरूद्धार, नदी प्रबंधन बांधों जलाशय इंजीनियरिंग और बैराज एकीकृत कृषि विकास वाटर शेड प्रबंधन, जल विद्युत और ताप विद्युत का उत्पादन, विद्युत पारेषण और वितरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, भूजल अन्वेषण, लघु सिंचाई, जल आपूर्ति और स्वच्छता, ग्रामीण और शहरी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और पर्यावरणीय लेखा परीक्षा सहित पर्यावरणीय इंजीनियरिंग, पत्तन और बंदरगाह तथा अन्तर-देशीय जलमार्ग, वर्षा जल संचयन, सर्वेक्षण एवं अन्वेषण मानव

संसाधन प्रबंधन, प्रणाली अध्ययन और सूचना तकनीक शामिल है । वाप्कोस ने साफ्टवेयर विकास, शहरी विकास योजना, वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, तकनीकी शिक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण और निर्माण देख-रेख, सड़क एवं पुल जैसे कुछ नए क्षेत्रों में कार्य शुरू किया है । कंपनी ने भारत एवं विदेशों में विकासात्मक परियोजनाओं के लिए सेवाएं शुरू करने की संकल्पना उपलब्ध कराने हेतु संस्था ने अपने संघ की धाराओं में संशोधन किया है ।

परामर्शी सेवाओं की सीमा

6.9.4. वाप्कोस द्वारा प्रदत्त सेवाओं के तहत व्यापक कार्यकलाप अर्थात व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन, व्यवहार्यता अध्ययन, अनुरूपण अध्ययन, नैदानिक अध्ययन, सामाजिक-आर्थिक अध्ययन, मास्टर योजनाएं और क्षेत्रीय विकास योजनाएं, क्षेत्र अन्वेषण, अभिकल्पों सहित विस्तृत अभियांत्रिकी, विस्तृत विनिर्देश, निविदा प्रक्रिया, अनुबंध और निर्माण प्रबंधन, प्रारंभ और जांच, प्रचालन एवं अनुरक्षण, गुणवत्ता आश्वासन व प्रबंधन, सॉफ्टवेयर विकास और मानव संसाधन विकास शामिल हैं ।

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ पंजीकरण एवं विदेश में प्रचालन :

6.9.5. वाप्कोस, भारत के अतिरिक्त वित्तपोषित परियोजनाओं में सहभागिता के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण अभिकरणों जैसे विश्व बैंक / अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अफ्रीकन विकास बैंक, एशियायी विकास बैंक, खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन, पश्चिम अफ्रीका विकास बैंक, भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहभागिता (आईटीईसी) कार्यक्रम, विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन (जेवीआईसी) संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय (यूएनओपीएस) आदि के साथ पंजीकृत है । वाप्कोस ने भारत के अतिरिक्त 50 विदेशी देशों में सौंपे गए परामर्शी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और परामर्शी सेवाएं दे रहा है तथा इस समय अफगानिस्तान, बंग्लादेश, भूटान, बुरूंडी कम्बोडिया, केन्द्रीय अफ्रीकी गणराज्य, चैड, डीआर कांगो, इथोपिया, कीनिया, लाओस, मोजाम्बिक, म्यांमार, नेपाल, नाइजर, नाइजीरिया, रवांडा, सेनेगल, सियरा लिओन, तंजानिया, टोगो, यमन और जिम्बाबे में परामर्शी सेवाएं उपलब्ध करा रहा है ।

6.10. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड:

6.10.1. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (एनपीसीसी लि.) का संस्थापन कंपनी अधिनियम 1956 के तहत वर्ष 1957 में एक निर्माण कंपनी के रूप में मुख्य रूप से नदी घाटी परियोजनाओं, बांधों, बैराजों, बेयर, जलाशयों, तटबंधों, नहरों, सिंचाई एवं संबंधित अवसंरचनात्मक कार्यों के निर्माण के उद्देश्य से किया गया था । वर्तमान में कंपनी का कोरपोरेट कार्यालय फरीदाबाद में तथा पंजीकृत कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसके 14 क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, सिल्चर, शिलांग, रायपुर, मुंबई, जम्मू तथा कश्मीर,

बंगलोर, पटना, रांची, लखनऊ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली और देहरादून में स्थित हैं । वर्तमान में इसकी 95 प्रचालन इकाइयां हैं। इस समय कंपनी की कुल जनशक्ति 1740 है ।

6.10.2. कंपनी का निष्पादन अपनी स्थापना के पहले दस वर्षों के दौरान अच्छा रहा तथा इसने निरन्तर 1966-67 तक (वर्ष 1962-63 को छोड़कर) प्रदत्त पूंजी पर लाभांश दिया । हलांकि 1985-86 से 2008-09 तक (वर्ष 2005-06 को छोड़कर) कंपनी की वित्तीय स्थिति में तीव्र गिरावट आई ।

6.10.3. सरकार ने दिसम्बर, 2008 में एनपीसीसी के लिए एक पुनरुज्जीवन पैकेज अनुमोदित किया है जिसके तहत भारत सरकार की मूलधन राशि 219.43 करोड़ रुपये और इक्विटी पूजी में तबदील होने की तारीख को देय और अर्जित संचयी ब्याज में संशोधन और आगे मूल्य से 10% तक लिखा जाना शामिल है । सरकार का निर्णय कार्यान्वित किया जा चुका है।

6.10.4 कंपनी की प्राधिकृत अंशपूंजी 700 करोड़ रुपये है और इसकी प्रदत्त पूंजी 94.53 करोड़ रुपये है । इसमें से 14 राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र 1.05 करोड़ रुपये राशि के शेयर धारक हैं तथा शेष राशि केन्द्र सरकार के पास रहती है ।

6.10.5 कंपनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं में (i) त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय में आईबीबी फेसिंग एवं लाइटनिंग कार्य, सड़क कार्य (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में असम राइफल कार्य (iii) लद्दाख (जम्मू एवं कश्मीर) में इंडो-तिब्बत सीमा सड़क (iv) बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश आदि में पीएमजीएसवाई कार्य शामिल हैं । मौजूदा व्यापार प्रचालन पैटर्न को नवीन विविधताओं सहित वर्ष 2012-13 के दौरान भी जारी रखने की आशा है

6.10.6 पुनरुज्जीवन पैकेज के कार्यान्वयन के बाद, कम्पनी ने 2009-10 से लाभ प्राप्त करना शुरू कर दिया है । कम्पनी ने वर्ष 2009-10 और 2010-11 में क्रमश: 31.28 करोड़ रुपये ओर 72.74 करोड़ रुपये का निवल लाभ कमाया है ।

अनुलग्नक-I

जल संसाधन मंत्रालय

2010-11 में निष्पादन

(करोड़ रूपए)

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय **2010-11**	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	**31.3.2011** तक कॉलम **(5)** के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1.	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	**(i)** समग्र जल संसाधनों के मूल्यांकन और उनकी विशेषताओं के आकलन के लिए जल विज्ञानी प्रेक्षण केंद्रों के नेटवर्क से आंकड़ा संग्रहण **(ii)** एम आई गणना के माध्यम से लघु सिंचाई के संबंध में सूचना एकत्र करना **(iii)** अवसंरचना स्थापित करना और जल संसाधन सूचना प्रणाली शुरू करना	**66.00**	**(i)** 878 स्थलों पर जल विज्ञानीय प्रेक्षण जारी, **(ii)** जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास, **(iii)** एमआई गणना के लिए कार्यकलाप जारी	वर्षभर चलने वाले कार्यकलाप	**(i)** (क) 878 स्थलों पर जलविज्ञानीय प्रेक्षण । (ख) जलविज्ञानीय नेटवर्क को आधुनिक उपकरणों से लैस किया गया था । (ग) जल वर्ष पुस्तिकाओं के रूप में आंकड़ों का संकलन, समेकन, भंडारण, प्रचार, विश्लेषण तथा प्रकाशन कार्यपूरा किया गया । **(ii)** उपलब्ध सूचना से डब्ल्यूआरआईएस का प्रथम रुपान्तर आरंभ किया गया । **(iii)** (क) दूर संवेदी द्वारा सिंचाई क्षमता की आकलन संबंधी परियोजना अनुमोदित की गई । एनआरएससी के साथ कार्य आरंभ करने संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए । (ख) सीडब्ल्यूसी के निगरानी दल द्वारा 24 परियोजनाओं का दौरा किया गया । **(iv)** चौथे एमआई गणना संबंधी 99 प्रतिशत आंकड़े वैधीकृत किए गए । **(iv)** केन्द्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय फील्ड कार्यालयों तथा तीन राज्य सरकारों यथा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की 3 राज्य सरकारों के सिंचाई विभागों को कम्प्यूटर तथा सम्बद्ध उपकरण उपलब्ध कराए गए थे ।	

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.3.2011 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
						(v)	
2	जल क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम	जल संसाधन क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और प्रशिक्षण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों वाली स्कीम। ये गतिविधियां जल विज्ञान, द्रवीय, मृदा एवं सामग्री विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी संस्थानों अर्थात एनआईएच, सीडब्ल्यूएंडपीआरएस और सीएसएमआरएस द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं । स्कीम के अंतर्गत सीडब्ल्यूसी द्वारा विशिष्ट अनुसंधान/अध्ययनों को भी सहायता दी जाती है। विभिन्न राज्यों और शैक्षणिक संस्थाओं में स्थित डब्ल्यूएएलएमआई को जल संसाधन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास हेतु भी सहायता दी जाती है।	**54.00**	स्कीम के कार्यान्वयन से क्षमता निर्माण और अतिरिक्त सुविधाओं के सृजन में सहायता मिलेगी । अनुसंधान के परिणाम सामान्यत: आयोजना एवं डिजाइन के लिए उन्नत तकनीकों की सिफारिशों वाली तकनीकी रिपोर्टें और शोध पत्रों के रूप में होते हैं । मात्रात्मक सुपुर्दगियॉ हैं : क) अनुसंधान रिपोर्टें 311 ख) शोध पत्र **= 280** ग) प्रशिक्षण कार्यशाला **= 31**	मंत्रालय के विभिन्न संगठनों के द्वारा कार्य को कार्यान्वित किया जाना है।	अनुसंधान/तकनीकी रिपार्टें- **214** अनुसंधान पेपर - **299** प्रशिक्षण और कार्यशाला – **40**	
3	राष्ट्रीय जल अकादमी	जल संसाधन की आयोजना, विकास और प्रबंधन में इंजीनियरों/इंडक्शन इंजीनियरों के लिए सेवा	4.00	(क) 35 प्रशिक्षण कार्यक्रम (ख) तरण-ताल का निर्माण (ग) विद्युत उप-केन्द्र		(क) 35 प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे किए गए । (ख) ठेके दिए गए (ग) 90 प्रतिशत कार्य पूरा किया गया ।	एमएसईबी को विद्युत आपूर्ति का वास्तविक कनेक्शन देना

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.3.2011 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
		कालीन प्रशिक्षण					है ।
4	बांध सुरक्षा अध्ययन और आयोजना	(i).सीडब्ल्यूसी में इंस्ट्रूमेंटेशन संग्रहालय (ii) चार बेसिनों और छह क्षेत्रों के पीएमपी नक्शे तैयार करना और उनका डिजिटाइजेशन (iii) विद्यमान 10 परियोजनाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक आकलन द्वारा पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रबंधन और अवसंरचना का विकास। (iv) जोखिम विश्लेषण और कुछ विद्यमान परियोजनाओं के संबंध में अन्य विशिष्ट अध्ययन (v) प्रशिक्षण और बांध सुरक्षा कार्यों के संबंध में विशेष उद्देश्य वाले पैकेज तैयार करना।	1.50	(i) बांध सुरक्षा -3/2010 के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) की स्थापना (ii) सामान्यकृत पीएमपी नक्शे तैयार करना और पीएमपी नक्शों को अद्यतन बनाना तथा पीएमपी नक्शों का डिजिटाइजेशन -3/2010 (iii). इंस्ट्रूमेंटेशन संग्रहालय के लिए मॉडल/फिक्सचर्स -3/2010	कॉलम 5 में प्रत्येक मद के साथ दर्शाया गया है।	(क) सीएसएमआरएस, नई दिल्ली उपकरणों की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया में है । (ख) नई पीएमपी एटलसों को तैयार करने तथा विद्यमान एटलसों का उन्नयन करने हेतु सीडब्ल्यूसी तथा आरएमएसआई प्रा. के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए । एमडी द्वारा आंकडों की आपूर्ति आरंभ हो गई है तथा नई पीएमपी एटलसों को तैयार करने / पूराने एटलसों का उन्नयन करने के लिए आरएमआई एस प्रा. लि. द्वारा प्राप्त आंकड़ों का प्रक्रियान्वयन किया जा रहा है । (ग) पर्यावरणीय एवं सामाजिक आकलन (ईएसए) अध्ययन पूरे हो चुके हैं । मुल्ला पेरियार बांध पर अधिकार प्राप्त समिति सर्वोच्च न्यायालय को ही रिपोर्ट करती है । (घ) बांध सुरक्षा तथा जलवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित अअन्तरदेशीय प्रशिक्षण पूरे हो चुके हैं ।	वास्तविक व्यय 1.16 है ।
5.	जल विज्ञान परियोजना	13 राज्यों और 8 केंद्रीय अभिकरणों में जल संसाधनों की आयोजना और प्रबंधन से जुड़े सभी कार्यान्वयनकारी अभिकरणों द्वारा जल विज्ञान सूचना	53.00	जल विज्ञान परियोजना में चार बड़ी परामर्शदाता एजेंसियों की स्थापना की सहायता से नए राज्यों में पीडीएस समेत परियोजना घटकों अर्थात सांस्थानिक	नियोजित कार्य केंद्रीय अभिकरणों अर्थात पीसीएस (जल संसाधन मंत्रालय) बीबीएमबी, सीडब्ल्यूसी,	(क) 4 मूख्य परामर्शियों की सहायता से परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है । (ख) निर्णय समर्थन प्रणाली के अंतर्गत- आयोजना (डीएसएस-पी), पायलेट बेसिन हेतु जेनरिक मॉडल विकसित किए जा चुके हैं । 17 अधिकारियों ने डीएचआई, डेनमार्क में प्रशिक्षण प्राप्त किया है ।	

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.3.2011 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
		प्रणाली के निरंतर और प्रभावी उपयोग का विस्तार और उसे बढ़ावा देना।		सुदृढ़ीकरण, जल विज्ञानीय अभिकल्प सहायता (एचडीए), डीएसएस-आयोजना (डीएसएस-पी), डीएसएस-वास्तविक समय (डीएसएस - आरटी) समेत उर्ध्वाधर विस्तार और 40 उद्देश्यपरक अध्ययन तथा क्षैतिज विस्तार	सीजीडब्ल्यूबी, सीडब्ल्यूपीआरएस, सीपीसीबी, आईएमडी और एनआईएच द्वारा जून 2012 तक कार्यान्वित किए जाने है।	(ग) निर्णय समर्थन प्रणाली हेतु मॉडल विकास-वास्तविक समय (डीएसएस-आरटी) प्रगति पर है । 8 अधिकारियों ने डीएचआई, डेनमार्क में प्रशिक्षण प्राप्त किया है । (घ) जलवैज्ञानिक डिजाईन सहायितों – सतही जल (एचडीए-एसडब्ल्यू) के संबंध में आरंभिक रिपोर्टें तथा स्टेट ऑफ दि आर्ट रिपोर्टें प्रस्तुत की जा चुकी है ।	
6.	जल संसाधन विकास स्कीमों की जांच	जल संसाधन विकास के लिए अभिज्ञात परियोजनाओं की जांच करना	54.00	अभिज्ञात परियोजनाओं के संबंध में परियोजना रिपोर्टों की जांच और उन्हें तैयार करना जारी रखना।	परियोजना रिपोर्ट की जांच/तैयारी के कार्य एक वर्ष से अधिक की अवधि में किए जाते हैं और बाद के वर्षों में आगे ले जाए जाते हैं।	(क) आईएलआर परियोजनाओं सहित जल संसाधन परियोजनाओं की जांच का कार्य जारी है। पार-तापी-नर्मदा और दमन-गंगा पिंजाल संपर्कों की डीपीआर तैयार करने का कार्य जारी रहा। (ख) एनपीपी के हिमालयी घटक के अंतर्गत 1 संपर्कों के संबंध में एफआर तैयार करने के लिए भारतीय सीमा में एसआई कार्य पूर्ण (ग) 6 अंत:राज्यीय संपर्कों की पीएफआर पूर्ण (घ) जोगीगप्पा-तीस्ता फरक्का लिंक हेतु वैकल्पिक कार्य को सुदृढ़ किया गया ।	
7.	पगलादिया बांध परियोजना	बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई एवं आनुषंगिक विद्युत उत्पादन	0.50	जिरात सर्वेक्षण पूरा किया जाता है ।	ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा कार्यकलापों को कार्यान्वित किया जाना है ।		असम सरकार द्वारा जिरात सर्वेक्षण कार्य को पूरा न करने के कारण कार्य रुक गया है । केवल सामान्य आर एवं एम कार्य जारी

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.3.2011 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
							रहा । असम सरकार तथा बोडोलैण्ड क्षेत्रीय परिषद् के समन्वय से मुद्दे का समाधान करने के प्रयास किए गए । ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने भूटान के राज्य क्षेत्र को प्रभावित किए बिना तथा जलभराव को भारतीय क्षेत्र के भीतर रखते हुए वैकल्पिक परियोजना स्थल की संभावना तलाशी है । ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार कोई अन्य उपयुक्त वैकल्पिक स्थल नहीं है । ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने उक्त दृष्टिकोण

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.3.2011 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
							की सूचना असम राज्य सरकार को इस अनुरोध के साथ दी है कि राज्य सरकार इस संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करे। तथापि, असम सरकार का प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है ।
8.	नदी बेसिन संगठन/प्राधिकरण	स्कीम का उद्देश्य, संसाधनों के इष्टतम उपयोग और सभी पणधारियों की प्रत्याशाओं को पूरा करने के लिए समुचित विकल्प अभिज्ञात करने के विचार से आवश्यक अध्ययन और मूल्यांकन आदि करने के लिए सभी सह बेसिन राज्यों को मंच प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य से नदी बेसिन संगठन बनाना है।	**0**.50	आरबीओ का गठन राज्य सरकारों से परामर्श करने के बाद किया जाना है परामर्श इस वर्ष शुरू किया जाना था। इस संबंध में एक सांकेतिक प्रावधान किया गया है।		मंत्रालय ने महानंदी एवं गोदावरी नदियों के संबंध में आरबीओ के गठन हेतु राज्य सरकारों को प्रस्ताव भेजा है। राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। मामलों को संबंधित राज्यों के साथ उठाया जा रहा है।	
9.	अवसंरचना विकास स्कीम	**1**. जल संसाधन मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ संगठनों के लिए भूमि की	**28.50**	**(i)** भूमि अधिग्रहण **(ii)** कार्यालय/रिहायशी भवनों का निर्माण	क्योंकि भूमि अधिग्रहण एवं भवनों का निर्माण	मंत्रालय (खास) और सीडब्ल्यूसी में उपयोज्यों ओर परीधीय सामग्री की खरीद, आईडी उपकरणों की एएमसी, स्थानीय क्षेत्रीय नेटवर्क का विस्तार, सर्वर	भूमि एवं भवन अधिग्रहण कार्य

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.3.2011 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
		खरीद और कार्यालय तथा रिहायशी भवनों का निर्माण और 2. जल संसाधन मंत्रालय, सीडब्ल्यूसी और सीजीडब्ल्यूबी में आईटी योजना के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक अवसंरचना का प्रावधान।		(iii) नवीनतम आईटी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खरीद, उन्नयन और अनुरक्षण के साथ-साथ ई-गवर्नेंस को सुविधाजनक बनाने और आईटी सुविधाओं में कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए मुख्यालय समेत फील्ड कार्यालयों में आंकड़ा आधार का नेटवर्क	लंबा समय लेने वाली प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न अभिकरण शामिल होते हैं, कुछ लक्षित कार्य अगले वर्ष में चले गए हैं।	की खरीद ओर आईटी घटकों के संबंध में प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है । नई दिल्ली, हैदराबाद में सीडब्ल्यूसी भवन का निर्माण किया गया । गुवाहाटी एवं जम्मू में भवन आंशिक रूप से पूर्ण हो गए हैं । 9वें तल पर सेवा भवन नई दिल्ली के सीडब्ल्यूसी मुख्यालय का आधुनिकीकरण का कार्य 95 प्रतिशत तक पूरा हो गया है । बुरला में भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है तथा ईटानगर में चारदीवारी का कार्य आंशिक रूप से पूरा हो गया है। देहरादून, अहमदाबाद में भूमि अधिग्रहण तथा बंगलोर, अम्बाला, भुवनेश्वर एवं गुवाहाटी में सीजीडब्ल्यूबी के चारदीवारी का कार्य पूरा हो गया है।	में अनेक सरकारी अभिकरण शामिल हैं ।
10.	बाढ़ पूर्वानुमान	स्थानीय प्रशासन को 175 केंद्रों पर समय पर बाढ़ की पूर्व सूचना देने के लिए 20 नदी बेसिनों को शामिल करने हेतु सीडब्ल्यूसी द्वारा देशभर में जलविज्ञानीय प्रेक्षण स्थलों के नेटवर्क का रखरखाव	**36.00**	वास्तविक समय के संबंध में आंकड़ा संग्रहण, उसका विश्लेषण और बाढ़ पूर्वानुमान जारी करना। प्रतिवर्ष लगभग 6000 पूर्वानुमान जारी किए जाते हैं।	केंद्रीय जल आयोग द्वारा वर्ष भर कार्यान्वयन ।	कुल **7508** बाढ़ पुर्वानुमान जारी किए गए थे जिनमें से सही पाए जाने की सीमा के अंतर्गत **7393** पूर्वानुमान थे।	
11.	फरक्का बैराज परियोजना	**(i)**पोषक नहर, जांगीपुर बैराज आदि सहित फरक्का बैराज परियोजना और उसके आनुषंगिक ढांचों का अनुरक्षण	**82.00**	**(i)** पोषक नहर, जांगीपुर बैराज आदि सहित फरक्का बैराज परियोजना और उसके आनुषंगिक ढांचों का अनुरक्षण **(ii)** गंगा-पदमा नदी के आस-	फरक्का बैराज परियोजना द्वारा कार्यान्वित कार्य वर्ष भर जारी रहे।	**(i)** गंगा-पदमा नदी और उसकी सहायक नदियों के साथ-साथ कटावरोधी कार्य और फरक्का बैराज, उसके आनुषंगिक ढांचों का अनुरक्षण अपेक्षानुसार जारी रहा। **(ii)** 1130 मीटर लंबे क्षेत्र में कटावरोधी कार्य पूरे किए गए जिनकी लागत 17 करोड़ रूपये थी।	शून्य

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.3.2011 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
		(ii) नदी को मुख्य बैराज में ले जाने के लिए गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारों की सुरक्षा हेतु कटावरोधी कार्य		पास भूमि, फसलें, फल बागान, सार्वजनिक भवनों आदि को बचाने के लिए फरक्का बैराज के 40 किलोमीटर प्रतिप्रवाह से 80 किलोमीटर अनुप्रवाह के संबंध में एफबीपी के बढ़ाए गए कार्यक्षेत्र में कटाव नियंत्रण			
12.	नदी प्रबंधन कार्य और सीमा क्षेत्र संबंधी कार्य	साझा/सीमावर्ती नदियों पर नदी प्रबंधन के साथ-साथ पड़ोसी देशों के साथ जल संसाधन परियोजनाओं का जल विज्ञानीय प्रेक्षण और अन्वेषण। ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा बाढ़ नियंत्रण, कटावरोधी और जल निकासी विकास कार्य। कोसी और गंडक परियोजनाओं (नेपाल में) के बाढ़ सुरक्षा कार्यों का रखरखाव।	199.00	(i) बंगलादेश के साथ गंगा नदी के संबंध में संयुक्त जल विज्ञानी प्रेक्षण जारी रखना और (ii) संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)तैयार करना (iii) माजुली द्वीप में कटावरोधी और बाढ़ नियंत्रण कार्य (iv) पड़ोसी देशों से/को बाढ़ संबंधी आंकड़ों का प्रसारण (v) साझा/सीमावर्ती नदियों पर विकास कार्य। (vi) बंगलादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर इच्छामती नदी का अवसादन।	केंद्रीय जल आयोग, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, ब्रह्मपुत्र बोर्ड और बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित ।	(i) पंचेश्वर और सप्तकोसी परियोजनाओं* (नेपाल में) का सर्वेक्षण और अन्वेषण जारी रखना (ii) बंगलादेश को बाढ़ संबंधी आंकड़ों का प्रसारण (iii) 1996 की संधि के अनुरूप बंगलादेश के साथ गंगा नदी पर संयुक्त जल विज्ञानी प्रेक्षण । (iv) माजुली द्वीप में कटाव रोधी एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य जारी रखना। (v) कोसी के तटबंध में दरार को बंद करने का कार्य पूरा हुआ। बिहार सरकार को इस कार्य के लिए 7.45 करोड़ रूपये और जारी किए गए। (vi) बांगलादेश सीमा के साथ-साथ बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए त्रिपुरा और पश्चिम सरकार को 47.31 करोड़ रूपये जारी किए गए। (vii) बंग्लादेश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ इच्छामती नदी के अवसादन हेतु पश्चिम बंगाल को 24.00 करोड़ रुपये जारी किए गए । 5 मास्टर प्लान पूरे हो गए हैं । डीडीएस की एक डीपीआर, बरभंग डीडीएस का 2 प्रतिशत कार्यपूर्ण, अमजूर डीडीएस का 13 प्रतिशत, पूर्वी बरपेटा का 12.5 प्रतिशत, हरांग डीडीएस का कार्य पूरा हो गया	* नेपाल में कानून व्यवस्था की समस्या के कारण कार्यों में विलंब हुआ।

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.3.2011 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
						है । बाढ़ तथा कटाव से माजुली द्वीप का सुरक्षा कार्य का चरण - I पूरा हो गया है । माजुली द्वीप समूह के सुरक्षा कार्य का चरण - II एवं III का 9.32 प्रतिशत, धोला हाथीघुली चरण - IV के अपदारण का 5.58 प्रतिशत तथा ऊंचेउठाए गए मंचों के निर्माण का कार्य जारी है ।	
13.	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम	देश के संकटग्रस्त क्षेत्रों में नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, जल निकासी विकास, बाढ़ से बचाव संबंधी कार्य करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों में नदी प्रबंधन कार्य	1199.00	(i) संकटग्रस्त क्षेत्रों में नदी प्रबंधन कार्य (ii) गंगा तथा ब्रह्मपुत्र बेसिनराज्यों के संबंध में बाढ़ प्रबंधन तथा कटाव नियंत्रण पर कार्य-बल-2004 द्वारा सुझाए गए कटाव-रोधी कार्य, जलनिकासी सुधार कार्य इत्यादि । (iii) तटीय राज्यों में तटीय कटाव संबंधी कार्य (iv) चुनिंदा क्षेत्रों में नदी खंडों का अवसादन / तल-कर्षण	राज्य सरकारों को विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है । केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में नए प्रस्तावों पर विचार किया जाता है ।	(i) केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए 13 राज्यों द्वारा प्रस्तुत 3564.17 करोड़ रुपये के कुल 42 प्रस्तावों को शामिल किया गया । (ii) राज्यों को 1096.59 करोड़ रुपये (Xवीं योजना के आगे ले जाए गए कार्यों हेतु 4.64 करोड़ रुपये सहित) की निधि जारी की गई। (iii) इस अवधि के दौरान राज्य सरकारों द्वारा कुल 101 स्कीमें पूरी की गईं ।	

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.3.2011 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
14.	भूजल प्रबंधन एवं विनियमन	i). भूजल प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए भूजल प्रबंधन अध्ययन ii) वैज्ञानिक उपकरणों जैसे दूर सवेदन और जीआईएस का उपयोग करते हुए भूजल अन्वेषण, भूजल संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए ड्रिलिंग सहायता से भू-भौतिकीय सर्वेक्षण iii) भूजल निगरानी केन्द्रों से भू-जल स्तर की निगरानी iv) स्रोत का पता लगाने के लिए केन्द्र/राज्य सरकार के विभाग को अल्पकालिक जल आपूर्ति अन्वेषण सौंपना	100.00	• भूजल प्रबंधन अध्ययन-1.50 लाख वर्ग कि.मी. . • भूजल अन्वेषण - 830 कुऐ • आऊटसोर्सिंग के माध्यम से भूजल अन्वेषण – 796 • भूजल अन्वेषण कुंओ की निगरानी-15640 • अल्पकालिक जल आपूर्ति अन्वेषण-अनुरोध के अनुसार भू-भौतिकिय सर्वेक्षण (क) सतही वीईएस=2000 और प्रोफाईलिग लाईन कि.मी.=आवश्यकता आधारित (ख) उपसतही बोरहोल लोगिंग=आवश्यकता आधारित	एक वर्ष एक वर्ष एक वर्ष में चार बार एक वर्ष एक वर्ष एक वर्ष	160325 वर्ग किलामीटर (मानसून पूर्व) 160188 वर्ग किलोमीटर (मानसून पश्चात्) 195 818 कुंए आउटसोर्सिंग के माध्यम से 250 जी जैड का निर्माण किया गया । पी जैड – 67 (उड़ीसा) सीजीडब्ल्यूबी द्वारा पी जैड – 108 (तमिलनाडु 60 मीटर तक) पी जैड – 75 (तमिलनाडु 200 मीटर तक) 15640 मई तथा अगस्त, नवम्बर, 2010 तथा जनवरी, 2011 की मानीटरिंग पूरी हो गई । 23 जिला रिपोर्टें पूरी की गई 23 जी डब्लयू पुस्तिकाएं प्रस्तुत एवं जारी की गईं । 6 राज्य रिपोर्टें पूरी की गईं 2 राज्य एटलस पूरी की गईं । सतही वीईएस – 1842 उप सतही बोरहोलिंग लॉगिंग – 90 लाईन कि.मी. – 6.23 कि.मी. कुल – 18213 (क) आधारभूत विश्लेषण – 14455 (ख) भारी धातु – 3192 (ग) आर्सेनिक – 80 (घ) विशिष्ट – 486 अधिसूचित क्षेत्रों में भूजल विकास का विनियमन जारी	

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.3.2011 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
		v) भूजल अन्वेषण एवं कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के लिए स्थान का चयन करने और जलभृतों का पता लगाने के लिए भू-भौतिकीय अध्ययन vi) भूजल गुणवता के आकलन के लिए रासायनिक अध्ययन vii) आयोनाकारों और प्रशासकों द्वारा उपयोग हेतु रिपोर्ट, मानचित्र तैयार करना viii) केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा भूजल विकास का विनियमन ix) कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण सहित कृत्रिम पुनर्भरण अध्ययन जिनका प्रतिवलन राज्य सरकार एवं अन्य अभिकरणों द्वारा किया जाना है ।		• जल नमूनों का विश्लेषण – 20000 • जिला रिपोर्टें तैयार करना -40 • भूजल वार्षिक पुस्तिकाएं -23 • राज्य रिपोर्टें -7 • राज्य एटलस-3 • भूजल अन्वेषण रिपोर्टें-17 • राज्य भू-भौतिकीय- रिपोर्टें -18 • राज्य रासयनिक रिपोर्टें -18 सीजीडब्ल्यूए द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में भू-जल विकास का विनियमन पांच राज्यों (पंजाब , तमिलनाडु, केरल, अरूणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल) में कृत्रिम पुनर्भरण अध्ययनों के लिए 8 प्रदर्शनात्मक परियोजनाऐ	एक वर्ष एक वर्ष दो वर्ष दो वर्ष एक वर्ष एक वर्ष 2-3 वर्ष	एआरसेवीडब्ल्यू तथा आरडब्ल्यूएच संबंधी प्रदर्शनात्मक परियोजनाओं का ब्योरा अनुमोदित किया गया तथा इन्हें XIवीं योजना के दौरान केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में तथा कार्यान्वित किया जा रहा है । 4863.028 लाख रुपये की धनराशि की कुल 1075 संरचनाओं का अनुमोदन किया जा चुका है तथा 3347.294 लाख रुपये जारी किए गए तथा 364 संरचनाएं पूरी की जा चुकी है ।	
15.	राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान	सीजीडब्ल्यूबी और अन्य केन्द्र/राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को भूजल पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण	6.00	16 प्रशिक्षण कार्यक्रम	एक वर्ष	एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सहित 40 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए तथा 815 प्रशिक्षुओंको प्रशिक्षित किया गया	

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.3.2011 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
16	सूचना, शिक्षा और संचार	(i) देश के त्वरित, समान, आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी दावाधारकों की सक्रिय भागीदारी से इस मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए इष्टतम सतत विकास, गुणवत्ता बनाए रखने ओर देश के जल संसाधन के प्रभावी उपयोग के लिए जागरुकता लाना (ii) आपसी सहयोग और प्रबंधन में समग्र आयोजना एवं सहभागी दृष्टिकोण अपनाने की अविलंब आवश्यकता के लिए जागरुकता जगाना । (iii) जल संरक्षण की आवश्यकता के संबंध में लोगों में जागरुकता फैलाना । (iv) जल विज्ञान एवं तकनीकी और जल संसाधन के सतत विकास से संबंधित मुद्दों के संबंध में ज्ञान को सिखाना, प्रलेखन और फैलाने पर ध्यान देते हुए राष्ट्रीय जल नीति के सिद्धांतों को प्रोत्साहित करना । (v) जल की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्षाजल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के उपायों को अपनाने की आवश्यकता के संबंध में जागरुकता फैलाना । (vi) अवसंरचना विशेष तौर पर अभियान तंत्र एवं सहायक ढांचे के संबंध में जागरुकता फैलाना ।	15.00	जल संसाधन के स्थाई विकास एवं उपयोग के लिए जानकारी उपलब्ध कराने हेतु लोगों के बीच जागरुकता फैलाना ।	क्रियाकलाप जारी ।	वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान 15 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई । सहायता अनुदान तथा कार्यालय व्यय के रूप में क्रमश: 3830000 रुपये तथा 171000 रुपये के व्यय सहित अनेक जन-जागरुकता कार्यकलापों पर 133000800 रुपये की धनराशि बुक / खर्च की गई। उप-शीर्ष विज्ञापन तथा प्रचार-प्रसार के तहत 2010-11 के दौरान निम्नलिखित कार्यकलाप शुरू किए गए । i. चित्रकला प्रतियोगिता:- • 21 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा स्कूल, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर त्रिस्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई थी । • 21 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में स्कूल स्त5रीय प्रतियोगिता में 5070 स्कूलों से कुल 2,67,527 छात्रों ने भाग लिया था । • राज्य/संघ शासित क्षेत्र में प्राप्त 50 सबसे अच्छी प्रतिष्टियों के बीच राज्य/संघ शासित क्षेत्र की राजधानियों में 14 नवम्बर, 2010 को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई थी । • 21 जनवरी, 2011 को आयोजित राष्ट्र स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेताओं को बुलाया गया था ।	

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.3.2011 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
						• राष्ट्रीय स्तर की चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को 1 लाख रुपये (प्रथम पुरस्कार), प्रत्येक को 50,000 रुपये के चार द्वितीय पुरस्कार, प्रत्येक को 25,000 रुपये के 8 तृतीय पुरस्कार तथा प्रत्येक को 10,000 रुपये के दस सांत्वना पुरस्कार प्रमाण-पत्र सहित प्रदान किए गए । 2. जल संरक्षण पर जनजागरुकता के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभियान – • इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभियान को दूरदर्शन के राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और डीडी न्यूज चैनलों पर शुरू किया जा चुका है जो जल संरक्षण पर वीडियो स्पॉटों को टेलिकास्ट करने हेतु 70 दिनों के लिए दिनांक 10.9.2010 से लागू हो गए । • जल संरक्षण पर आडियों स्पॉटों के प्रसार हेतु 10.9.2010 से 54 दिनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभियान को आकाशवाणी के राष्ट्रीय समाचार प्राथमिक चैनल/एलआरएस (188 स्टेशन), विविध भारती राष्ट्रीय (40 स्टेशन), 22 एफएम चैनलों और क्षेत्रीय समाचार के 31 स्टेशनों पर शुरु किया गया है। 3. प्रिंट मीडिया अभियान - • दिनांक 20.8.2010 को सद्भावना दिवस के अवसर पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की राजधानी और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तथा देश के अन्य स्थानों से प्रकाशित समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी किया गया था । • दिनांक 19.11.2010 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राज्यों की राजधानियों से एक विज्ञापन जारी किया गया था ।	

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2010-11	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	31.3.2011 तक कॉलम (5) के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
						• दिनांक 2.10.2010 को महात्मा गांधी के जन्मदिन ओर विश्व अहिंसा दिवसके अवसर पर एक विज्ञापन जारी किया गया था । 4. कार्यशाला/सेमिनार/सम्मेलन- • शिलांग में 4 से 5 अक्तूबर, 2010 को "एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन" विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी । • मंत्रालय की ओर से सीडब्ल्यूसी और सीजीडब्ल्यूबी के फील्ड अधिकारियों ने जल से संबंधित विषय पर कई कार्यशालाएं आयोजित की। 5. मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना- • दिनांक 3-24 मई, 2010 को थ्रिसूर, केरल में आयोजित त्रिशू, केरल में प्रदर्शनी में भाग लिया। • दिनांक 4-6 जून, 2010 को नैनीताल, उत्तराखंड में आयोजित विज्ञान और तकनीकी एक्सपो में भाग लिया । • जल संरक्षण तथा प्रबंधन के लिए लोगों के बीच जागरुकता फैलाने के लिए पैवेलियन खड़ा करने, जल संरक्षण पर मॉडलों के माध्यम से दिनांक 14 से 27 नवम्बर, 2010 को नई दिल्ली में मंत्रालय और इसके संगठनों ने आईआईटीएफ-2010 में भाग लिया। • दिनांक 3 से 7 सितम्बर, 2010 को कोलकाता में आयोजित "गौरवमय भारत की ओर अग्रसर" विषय पर 14वीं राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लिया।	

क्रम सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय **2010-11**	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया/समय सीमा	**31.3.2011** तक कॉलम **(5)** के संबंध में उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
17	जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण तथा पुन:स्थापना	जल निकायों की सिंचाई क्षमता की पुन: प्राप्ति तथा उसमें विस्तार करने के लिए उसे पुन:स्थापित एवं वृद्धि करना, कृषि/उद्यान कृषि उत्पादकता) में वृद्धि, पर्यटन, सांस्कृतिक कार्यकलापों को विकास, पेय जल की उपलब्धता में वृद्धि ।	घरेलू सहयोग हेतु 600.00	आरआरआर स्कीम के अंतर्गत घरेलू सहयोग से 9 लाख हेक्टेयर सीसीए वाले संगठनों/परामर्शियों के एक लाख जल निकायों को शामिल किया जाएगा ।	इन स्कीमों को जारी रखा जा रहा है ।	**(i)** जल निकायों की आरआरआर स्कीम के अंतर्गत बाह्य सहायता से 10887 जल निकायों को शामिल करने के लिए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक तथा उड़ीसाराज्यों के मध्य विश्व बैंक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं । **(ii)** इस परियोजना के अंतर्गत वर्ष 2011-12 के दौरान कार्य जारी रहेगा	**31**.3.2011 को आरआरआर स्कीम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 189 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश को 29.08 करोड़ रुपये, बिहार को 25 करोड़ रुपये, उड़ीसा को 75 करोड़ रुपये, कर्नाटक को 47.47 करोड़ रुपये मेघालय को 1.78 करोड़ रुपये तथा मध्य प्रदेश को 7.33 करोड़ रुपये जारी किए गए।

अनुलग्नक – II

जल संसाधन मंत्रालय

2011-12 के दौरान निष्पादन (दिसम्बर, 2011 तक)

(करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	योजना/कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	परिव्यय 2011-12	मात्रात्मक सुपुर्दगियां	प्रक्रिया / समय सीमा	दिनांक 31.12.2011 को कॉलम (5) से संबंधित उपलब्धियां	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	(क) 1:50000 के पैमाने पर वाटरशेड एटलस तैयार करना और देश की वेब समर्थित जल संसाधन सूचना प्रणाली विकसित करना । (ख) जल गुणवत्ता आकलन प्राधिकरण को सहयोग देना और जल गुणवत्ता आकलन के लिए अध्ययन/कार्यक्रम कार्यान्वित करना । (ग) प्रभावी जल प्रबंधन एवं इष्टतम उपयोग, विशेष तौर पर जली की कमी वाले मौसम में, के लिए नदी में बर्फ के पिघलने से आने वाले जल के आकलन हेतु यमुना और चिनाव बेसिन के लिए हिमगलन अपवाह मॉडल विकसित करना । (घ) जल गुणवत्ता आंकड़े एकत्रित करना और इनका प्रकाशन । (ड.) जल संसाधन के व्यापक आकलन और उनकी विशेषताओं के विश्लेषण हेतु जल वैज्ञानिक प्रेक्षण केन्द्रों के नेटवर्क से आंकड़े एकत्रित करना । (च) एआईबीपी और सीएडी परियोजनाओं सहित देश भर में चयनित चालू वृहद, मध्यम एवं ईआरएम सिंचाई परियोजनाओं की निगरानी (छ) चौथी लघु सिंचाई गणना ।	59.00	(क) जल संसाधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूआरआईएस) वेबसाइट में 30 जीआईएस परतों की सहायता से और विस्तार /अद्यतन किया जाएगा। (ख) 878 जल वैज्ञानिक प्रेक्षण स्थलों के लिए आंकड़ों का प्रेक्षण और अन्य जल संबंधी आंकड़े एकत्रित किया जाना जारी रहेगा । (ग) हिमप्रेक्षण स्थलों, जी एण्ड डी स्थलों से दीर्घावधि आंकड़े एकत्रित करना और हिमगलन अपवाह मॉडल विकसित करना । (घ) निगरानी उद्देश्य से परियोजनाओं के दौरों की संख्या (ड.) चौथी लघु सिंचाई गणना के लिए फील्ड आंकड़ों को एकत्रित करना और इसका प्रक्रियान्वयन पूरा कर लिया जाएगा ।	पूरे वर्ष तक गतिविधियां जारी रखना	(i) (क) "दूर संवेदी के माध्यम से सिंचाई क्षमता का आकलन" पर कार्य करने के लिए अग्रिम भुगतान किया गया । कार्य प्रगति पर है । (ख) सीडब्ल्यूसी मॉनीटरिंग दल द्वारा 97 परियोजना दौरे किए गए । (ii) जल संसाधनों से संबंधित 4 स्तरीय सूचना के प्रचालन से इंडिया डब्ल्यूआरआईएस के विस्तार अर्थात् द्वितीय रूपान्तर का कार्य प्रगतिपर है तथा इसके दिसम्बर, 2011 के अंत तक आरंभ होने की संभावना है। (iii) (क) हिम आंकड़ों तथा ग्लेशियर झीलों की मॉनीटरिंग को शामिल करते हुए जल वैज्ञानिक आंकड़ों का प्रेक्षण । (ख) जल वर्ष पुस्तिकाओं के रूप में आंकड़ों का संकलन, समेकन, भंडारण, प्रसार, विश्लेषण तथा प्रकाशन का	

						कार्य पूरा हो गया है । (ग) वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रणाली का आधुनिकीकरण किया गया । (iv) (क) एनआईआरडी, हैदराबार द्वारा चौथी एमआई गणना का नमूना जांच अध्ययन पूरा किया जा चुका है (ख) एमआई गणना करने हेतु प्रक्रिया तथा प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप हेतु एमआईएसजी, दिल्ली द्वारा अध्ययन किया गया । (ग) 5वीं एमआई जनगणना तथा अखिल भारतीय कार्यशाला आयोजित करने के लिए राज्य तथा अन्य उपयोगकर्त्ता के परामर्श से अनुसूचियां, दिशा-निर्देशों, अन्य रिपोर्ट्र का संशोधन किया गया । (घ) 5वीं एमआई गणना करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों हेतु छः क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया । (v) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के समस्त शीर्षस्थ अधिकारियों को कम्प्यूटर तथा संबंधित उपकरण प्रदान करने के आदेश जारी किए गए ।	

2.	जल क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम	इस स्कीम में जल संसाधन के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न कार्यकलाप शामिल हैं । ये क्रियाकलाप जल विज्ञान, द्रवीय, मृदा एवं सामग्री विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी अनुसंधान संस्थानों अर्थात् एनआईएच, सीडब्ल्यू एण्ड पीआरएस, और सीएसएमआरएस और सीडब्ल्यूसी द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे हैं। कार्यक्रम के परिणामस्वरूप सिंचाई प्रणाली की दक्षता में सुधार, जल संसाधन परियोजना में खतरे/जोखिम में कमी, परियोजना के लिए आर्थिक डिजाइन और नई/उन्नत तकनीक का विकास करना होगा ।	46.19	स्कीम के कार्यान्वयन से क्षमता निर्माण और अतिरिक्त सुविधाओं के सृजन में सहायता मिलेगी । अनुसंधान के परिणाम सामान्यत: आयोजना एवं डिजाइन के लिए उन्नत तकनीकों की सिफारिशों वाली तकनीकी रिपोर्टें ओर शोध पत्रों के रूप में होते हैं । मात्रात्मक सुपुर्दगियां हैं : अनुसंधान रिपोर्टें = 231 शोध पत्र = 279 प्रशिक्षण कार्यशाला = 30	मंत्रालय के विभिन्न संगठनों द्वारा कार्य को कार्यान्वित किया जाना है	अनुसंधान/तकनीकी रिपोर्टें–218 शोध पत्र – 203 प्रशिक्षण और कार्यशाला – 31	
3.	राष्ट्रीय जल अकादमी	जल संसाधन आयोजना, विकास और प्रबंधन में सेवारत अभियंताओं/इंडक्शन अभियंताओं के लिए प्रशिक्षण	3.00	(क) 37 प्रशिक्षण कार्यक्रम (ख) तरण ताल का निर्माण		(क) दिसम्बर, 2011 तक 28 प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे किए गए (ख) दिसम्बर, 2011 तक 28 प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे किए गए	
4.	बांध सुरक्षा अध्ययन तथा आयोजना	(क) बांध सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन (ख) सिंधु और कृष्णा बेसिनों और गंगा तथा ब्रह्मपुत्र बेसिनोंके लिए समानीकृत पीएमपी एटलसों को तैयार करना और डीजीटाइजेशन करना । (ग) इन्सट्रुमेन्टेशन प्रदर्शन केन्द्र की स्थापना करना । (घ) बांध सुरक्षाके लिए प्रशिक्षण और इस संबंध में विशेष उद्देश्य पैकेज का विकास ।	3.00	(क) इन्सट्रुमेन्टेशन प्रदर्शन केन्द्र के लिए मॉडल/फिक्सचरों की अधिप्राप्ति (ख) समानीकृत पीएमपी एटलसों को तैयार करना और डिजिटाइजेशन । गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन के लिए परामर्श करना और पीएमपी एटलसों का अद्यतन ।		(क) सीएसएमआरएस, नई दिल्ली उपकरणों की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया में है । (ख) गंगा नदी बेसिन हेतु एटलसों को तथा विद्यमान एटलसों का उन्नयन या गोदावरी एवं अन्य पूर्व की ओर बहने वाली नदियों हेतु नई पीएमपी एटलसों की अंतरिम रिपोर्ट का मसौदा	

						आरएमएसआई प्रा. लि. द्वारा सीडब्ल्यूसी को प्रस्तुत कर दिया गया है । रिपोर्ट पर टिप्पणियों को आरएमएसआई प्रा. लि. को भेज दिया गया है तथा अनुपालन प्रतीक्षित है । (ग) पर्यावरणीय एवं सामाजिक आकलन (ईएसए) अध्ययन पूरे हो चुके हैं । मुल्ला पेरियार बांध पर अधिकार प्राप्त समिति सर्वोच्च न्यायालय को ही रिपोर्ट करती है । (घ) तीन प्रशिक्षण पूरे किए जा चुके हैं तथा दो प्रशिक्षणों का आयोजन किया जाएगा ।	
5.	जल विज्ञान परियोजना	13 राज्यों और 8 केंद्रीय अभिकरणों में जली संसाधन की आयोजना और प्रबंधन से संबंधित सभी प्रयोक्ता अभिकरणों द्वाराजल वैज्ञानिक सूचना प्रणाली के सतत एवं प्रभ्ंावी उपयोग को आगे बढ़ाना और प्रोत्साहित करना ।	80.00	जल विज्ञानीय परियोजना में स्थित 4 मुख्य परामर्शियों की सहायता सहित परियोजना घटकों अर्थात् सांस्थानिक सुदृढ़ीकरण, जल वैज्ञानिक डिजाइन संबंधी सहायता के साथ ऊर्ध्वाधर विस्तार, डीएसएस-आयोजना (डीएसएस-पी), डीएसएस- वास्तविक समय और नए राज्यों में पीडीएस सहित 41 उद्देश्य प्रेरित अध्ययन और क्षैतिज विस्तार का कार्यान्वयन ।	नियोजित कार्यकलापों को केन्द्रीय अभिकरणों जैसे- पीसीएस (जल संसाधन मंत्रालय), बीबीएमबी, सीडब्ल्यूसी, सीजीडब्ल्यूबी, सीडब्ल्यूपी आरएस, सीपीसीबी,	(क) चार मुख्य परामर्शियों की सहायता से परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है (ख) डीएसएसपी - 9 राज्यों में से 6 राज्यों में उनकी आवश्यकताओं के अनुसार कस्टमाईज्ड जेनरिक मॉडल विकसित किए । डीएचआई, डेनमार्क में 11 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया । (ग) डीएसएस – आरटी हेतुमॉडल विकास अंतिम चरण में है । वास्तविक समय पन – आंकड़ा अधिप्राप्ति प्रणाली उपकरणों की अधिप्राप्ति एवं अधिष्ठापन संबंधी ठेका	

					आईएमडी और एनआईएच के माध्यम से जून, 2012 तक कार्यान्वित किया जाना है	जनवरी, 2012 में दिया गया । (घ) एचडीए – एसडब्ल्यू समस्त मॉड्यूलों के प्रारंभिक रिपोर्टों को स्वीकार कर लिया गया है तथा 3 मॉड्यूलों हेतु सॉफ्टवेयर का विकास कार्य प्रगति पर है ।	
6.	जल संसाधन विकास स्कीमों की जांच	जल संसाधन विकास के लिए पहचानी गई परियोजनाओं के संबंध में छानबीन करना ।	54.00	पहचानी गई योजनाओं के लिए परियोजना रिपोर्ट की छानबीन एवं तैयारी करना	परियोजना रिपोर्ट की छानबीन/तैयारी का कार्य एक से अधिक वर्षों में पूरा किया जाता है तथा आने वाले वर्षों में आगे चला जाता है ।	(क) आईएलआर परियोजनाओं सहित जल संसाधन परियोजनाओं का अन्वेषण कार्य जारी है । पार-तापी नर्मदा और दमन गंगा – पिंजाल संपर्कों की डीपीआर तैयार की जा रही है । (ख) एनपीपी के हिमालयी घटक के अन्तर्गत 1 संपर्क के संबंध में एफआर तैयार करने के लिए भारतीय क्षेत्र में एस और आई कार्य पूरे कर लिए गए हैं । (ग) 6 अन्तःराज्य संपर्कों के पीएफआर पूरे कर लिए गए हैं।	
7	पगलादिया बांध परियोजना	बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई एवं अकस्मात विद्युत सृजल	0.01	जिरात सर्वेक्षण पूरा किया जाना ।	कार्यकलापों को ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किया जाना है।	शून्य	असम सरकार द्वारा जिरात सर्वेक्षण कार्य को पूरा न

							करने के कारण कार्य रुक गया है । केवल सामान्य आर एवं एम कार्य जारी रहा। परियोजना की गतिरोध स्थिति दूर करने के प्रयास जारी हैं ।
8.	नदी बेसिन संगठन / प्राधिकरण	इस स्कीम का उद्देश्य, जल संसाधन के इष्टतम उपयोग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प की पहचान करने और सभी दावाधारकों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने की दृष्टि से आवश्यक अध्ययन और मूल्यांकन आदि प्रारंभ करने के वास्ते सभी सह-बेसिन राज्यों को एक मंच प्रदान करने के प्रमुख उद्देश्य सहित, नदी बेसिन संगठन को बढ़ावा देना है ।	4.00	नदी बेसिनसंगठनों के सृजन से पूर्व राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है । परामर्श की प्रक्रिया इस वर्ष के दौरान शुरू की गई थी । इस संबंध में एक सांकेतिक प्रावधान किया गया है ।		मंत्रालय ने संबंधित राज्यों को महानदी एवं गोदावरी नदियों के लिए आरबीओ के गठन हेतु प्रस्ताव भेजे हैं । राज्य सरकार का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । मामले को संबंधित राज्यों के साथ उठाया जा रहा है ।	
9.	अवसंरचना विकास योजना	1. जल संसाधन मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ संगठनों के लिए भूमि का प्रबंध और कार्यालय एवं आवासीय भवनों का निर्माण और 2. जल संसाधन मंत्रालय सीडब्ल्यूसी और सीजीडब्ल्यूबी में आईटी योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अवसंरचना का	28.40	(i) भूमि का अधिग्रहण (ii) कार्यालय / आवासीय भवनों का निर्माण । (iii) फील्ड कार्यालयों में डाटाबेस की नेटवर्किंग के अतिरिक्त नवीनतम आईटी हाडवेयर एवं सॉफ्टवेयर का	चूंकि भूमि एवं भवनों का अधिग्रहण लंबे समय तक चलने वाली	मंत्रालय (खास) ओर सीडब्ल्यूसीमेंउपयोज्यों और परीधीय सामग्री की खरीद, आईटी उपकरणों की एएमसी, स्थानीय क्षेत्रीय नेटवर्क का विस्तार, सर्वर की खरीद और आईटी घटकों के संबंध में	भूमि का अधिग्रहण और भवनों का निर्माण लंबे समय तक चलने वाली

		प्रावधान ।		अधिग्रहण उन्नयन और रखरखाव और साथ ही मुख्यालयों में ई-गवर्नेंस और आईटी सुविधाओं में व्यक्तियों को प्रशिक्षण की सुविधा ।	प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न अभिकरण शामिल हैं, लक्षित कार्यों में से कुछ कार्य अगले वर्ष में चले गए हैं ।	प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है। बुरला, आसनसोल, गुवाहाटी, जम्मू तथा कोयम्बटूर में सीडब्ल्यूसी के कार्यालय भवनों का कार्य पूरा हो गया है । बंगलोर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, भोपाल तथा रायपुर में सीजीडब्ल्यूबी भवनों का निर्माण।	प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न केंद्रएवं राज्य सरकार के प्राधिकरण शामिल हैं, जिसके कारण कार्य आगे जाने की आशंका है।
10.	बाढ़ पूर्वानुमान	स्थानीय प्रशासन को 175 केंद्रों पर समय से बाढ़पूर्वानुमान देने के लिए 20 नदी बेसिनों सहित सीडब्ल्यूसी द्वारा पूरे देश में जल वैज्ञानिकप्रेक्षण स्थानों के नेटवर्क का रखरखाव ।	36.00	वास्तविक आंकड़े एकत्रित करना, इनका विश्लेषण और बाढ़ पूर्वानुमान जारी करना लगभग 6000 पूर्वानुमान प्रति वर्ष जारी किये जाते हैं।	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा वर्ष भर कार्यान्वित की गई ।	इस अवधि के दौरान कुल 5662 बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए गए ।	
11.	फरक्का बैराज परियोजना	(i) फरक्का बैराज परियोजना और इसकी फीडर नहर, जांगीपुर बैराज आदि सहित इसकी संबद्ध संरचनाओं का रखरखाव (ii) गंगा नदी को मुख्य बैराज के साथ ले जाने के लिए गंगा नदी और इसकी वितरिकाओं के साथ तटों की सुरक्षा के लिए कटाव रोधी कार्य ।	70.40	(i) फरक्का बैराज परियोजना और इसकी फीडर नहर, जांगीपुर बैराज आदि सहित इसकी संबद्ध संरचनाओं का रखरखाव (ii) गंगा, पद्मा नदी के साथ साथ भूमि, फसलों, फलोद्यानों, सार्वजनिक भवनों, आदि को बचाने के लिए फरक्का बैराज के 40 कि.मी. प्रतिप्रवाह से 80 कि.मी. अनुप्रवाह तक एफबीपी के	फरक्का बैराज परियोजना द्वारा कार्यान्वित। क्रियाकलाप वर्षभर जारी ।	(i) फरक्का बैराज, इसकी संबद्ध संरचनाओं का रखरखाव एवं गंगा-पद्मा नदी एवं इसकी वितरिकाओं के साथ साथ कटाव रोधी कार्य आवश्यकता के अनुसार जारी रखे गए । (ii) 2300 मी. की लंबाई में 35.00 करोड़ रुपये की राशि के कटाव रोधी कार्य पूरे किए गए ।	

				बढ़ाए गए अधिकर क्षेत्र में कटाव नियंत्रण ।			
12.	नदी प्रबंधन कार्य और सीमा क्षेत्र संबंधी कार्य	साझा/सीमावर्ती नदियों पर नदी प्रबंधन कार्यों के अतिरिक्त पड़ोसी देशों के साथ जल संसाधन परियोजनाओं के जल वैज्ञानिक प्रेक्षण ओर अन्वेषण । ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोधी एवं जल निकास विकास कार्य । कोसी एवं गंडक परियोजनाओं (नेपाल में) बाढ़ सुरक्षा कार्यों का रखरखाव ।	188.00	(i) बंगलादेश के साथ गंगा नदी पर संयुक्त जल वैज्ञानिक प्रेक्षण जारी रखना (ii) संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना। (iii) नेपाल में कोसी बराज के बाएं एफ्लक्स बंध की दरार को बंद करना (iv) माजुली द्वीप के कटाव रोधी एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य (v) पड़ोसी देशोंसे/को बाढ़ संबंधित आंकड़े संप्रेषित करना। (vi) साझा / सीमावर्ती नदियों पर विकास कार्य ।	केन्द्रीय जल आयोग, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, ब्रह्मपुत्र बोर्ड ओर बिहार, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल एवं जम्मू व कश्मीर की राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया गया ।	(i) पंचेश्वर एवं सप्तकोसी परियोजनाओं (नेपाल में) का सर्वेक्षण एवं अन्वेषण जारी । (ii) बाढ़ संबंधित आंकड़े बंगलादेश को संप्रेषित । (iii) 1996 की संधि के अनुसार बंगलादेश के साथ गंगा नदी संबंधित संयुक्त जल वैज्ञानिक प्रेक्षण जारी । (iv) माजुली द्वीप के कटाव रोधी एवं बाढ़ सुरक्षा कार्य जारी । (v) बांग्लादेश की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के साथ बाढ़ सुरक्षा कार्यों हेतु त्रिपुरा सरकार को 14.52 करोड़ रुपये जारी किए गए । पश्चिम बंगाल में 10 बाढ़ / तट सुरक्षा कार्य तथा त्रिपुरा में 2 बाढ़ / तट सुरक्षा कार्य प्रगति पर है । (vi) बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ इच्छामती नदी का तलकर्षण कार्य जारी रहा । 2 मास्टर योजनाएं, डीडीएस की एक डीपीआर, पश्चिमी बारपेटा का कार्य पूरा हो गया । बरभाग डीडीएस का 1.13 प्रतिशत कार्य, अमंजूर डीडीएस	नेपाल में कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्या के कारण कार्यों में विलम्ब हुआ ।

						का 2 प्रतिशत कार्य, माजुली द्वीप की सुरक्षा के चरण II एवं III का 4.68 प्रतिशत कार्य, धोला हाथीघुली चरण – IV में ब्रह्मपुत्र एवल्शन का 3.26 प्रतिशत कार्य, 2 उठाए गए प्लेटफार्मों का निर्माण कार्य पूरा हो गया ।	
13.	बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम	देश के संकटग्रस्त क्षेत्रों में नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटावरोधी, जल निकासी विकास, बाढ़ से बचाव संबंधी कार्य करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों में नदी प्रबंधन कार्य	1199.00	(i) तटबंधों की ऊंचाई बढ़ाकर, सुदृढ़ एवं उनमें विस्तार कर संकटग्रस्त क्षेत्रों में नदी प्रबंधन कार्य । (ii) गंगातथा ब्रह्मपुत्र बेसिन राज्यों के संबंध में बाढ़ प्रबंधन तथा कटाव नियंत्रण पर कार्य-बल 2004 द्वारा सुझाए गए कटावरोधी कार्य, जलनिकासी सुधार कार्यइत्यादि । (iii) तटीय राज्यों में तटीय कटाव संबंधी कार्य (iv) चुनिंदा क्षेत्रों में नदी खंडों का अवसादन/तल-कर्षण	राज्य सरकारों को विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है । प्रस्तावों की जांच एवं उनका अनुमोदन करने के लिए सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में दिनांक 26.2.2008 को एक	(i) केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए 14 राज्यों द्वारा प्रस्तुत 906.72 लाख रुपये के कुल 61 प्रस्ताव शामिल किए गए । इसके अतिरिक्त, 15.12.2011 को हुई अधिकारप्राप्त समिति की 8 वीं बैठक के दौरान 5 राज्यों से 133.99 करोड़ रुपये के 12 नए प्रस्तावों पर विचार किया गया । (ii) राज्यों को 472.40 करोड़ रुपये की धनराशि की निधियां जारी की गई । (iii) 30 नवम्बर, 2011 तक राज्य सरकारों द्वारा कुल 231 स्कीमों को पूरा किया गया ।	

					अधिकार प्राप्त समिति गठित की गई ।		
14	भूमि जल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान	**i).** भूजल प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए भूजल प्रबंधन अध्ययन **ii)** वैज्ञानिक उपकरणों जैसे दूर सवेदन और जीआईएस का उपयोग करते हुए भूजल अन्वेषण, भूजल संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए ड्रिलिंग सहायता से भू-भौतिकीय सर्वेक्षण **iii)** भूजल निगरानी केन्द्रों से भू-जल स्तर की निगरानी **iv)** स्रोत का पता लगाने के लिए केन्द्र/राज्य सरकार के विभाग को अल्पकालिक जल आपूर्ति अन्वेषण सौंपना **v)** भूजल अन्वेषण एवं कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के लिए स्थान का चयन करने और जलभृतों का पता लगाने के लिए भू-भौतिकीय अध्ययन **vi)** भूजल गुणवता के आकलन के लिए रासायनिक अध्ययन **vii)** आयोनाकारों और प्रशासकों द्वारा उपयोग हेतु रिपोर्ट, मानचित्र तैयार करना **viii)** केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा भूजल विकास का विनियमन **ix)** कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण सहित कृत्रिम पुनर्भरण अध्ययन जिनका प्रतिवलन राज्य सरकार एवं अन्य अभिकरणों द्वारा किया जाना है ।	120.00	• भूजल प्रबंधन अध्ययन-1.50 लाख वर्ग कि.मी. . • भूजल अन्वेषण – **800** कुऐ • आऊटसोर्सिंग के माध्यम से भूजल अन्वेषण - **796** • भूजल अन्वेषण कुंओ की निगरानी-15640 • अल्पकालिक जल आपूर्ति अन्वेषण-अनुरोध के अनुसार भू-भौतिकिय सर्वेक्षण (क) सतही वीईएस=2000 और प्रोफाईलिग लाईन कि.मी.=आवश्यकता आधारित (ख) उपसतही बोरहोल लोगिंग=आवश्यकता आधारित • जल नमूनों का विश्लेषण – **20000** • जिला रिपोर्टें तैयार करना -**40** • भूजल वार्षिक पुस्तिकाएं -**23** • राज्य रिपोर्टें -**11** • राज्य एटलस-**3** • भूजल अन्वेषण रिपोर्टें-**17** • राज्य भू-भौतिकीय- रिपोर्टें -**14** • राज्य रासयनिक रिपोर्टें -**18** सीजीडब्ल्यूए द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में भू-जल विकास का विनियमन	एक वर्ष एक वर्ष एक वर्ष में 4 बार एक वर्ष एक वर्ष एक वर्ष एक वर्ष एक वर्ष दो वर्ष दो वर्ष एक वर्ष एक वर्ष जारी	1.70 लाख वर्ग कि.मी. (मानसून पूर्व) मानसून के पश्चात 1.19 लाख वर्ग कि.मी. को शामिल किया गया । 140 495 कुएं 453 कुएं आऊटसोर्सिंग द्वारा पूरे किए गए । 15640 अप्रैल, अगस्त तथा नवम्बर, 2011 के माप पूरे किए जा चुके हैं । 1 जिला रिपोर्ट पूरी हो गई तथा शेष का कार्य प्रगति पर है 16 भूमिजल वर्ष पुस्तिकाएं पूरी हो गई हैं तथा शेष का कार्य प्रगति पर है । (क) सतही वीईएस – 1161 प्रोफाईल = 1.8 लाख कि.मी. (ख) उप-सतही बोर होल लागिंग – 35 विश्लेषित जल नमूने – 14619 सीजी डब्ल्यूए द्वारा 82 अधिसूचित क्षेत्रों में भूमि जल	

				अतिदोहित/ संकटग्रस्त/शहरी क्षेत्रों को शामिल करते हुए निर्धारित क्षेत्रों में कृत्रिम पुनर्भरण अध्ययन हेतु प्रदर्शनात्मक परियोजना ।	2-3 वर्ष	विकास का विनियमन जारी । 14 राज्यों को शामिल करते हुए 35.29 करोड़ रूपये की लागत से 413 संरचनाओं के लक्ष्य वाली 59 कृत्रिम पुनर्भरण परियोजनाओं का अनुमोदन किया जा चुका है तथा दूसरी किस्त हेतु 6.51 करोड़ रूपये को शामिल करते हुए 31.23 करोड़ रूपये जारी किए जा चुके हैं । 204 कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं को पूरा किया जा चुका है । XIवीं योजना के दौरान 568 कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं को पूरा किया जा चुका है ।	
15.	राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमि जल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान	सीजीडब्ल्यूबी और अन्य केन्द्र/राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को भूजल पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण	3.00	39 प्रशिक्षण कार्यक्रम	एक वर्ष	23 प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे किए जा चुके हैं । 409 प्रशिक्षु प्रशिक्षित किए गए हैं	
16.	सूचना, शिक्षा और संचार	(i) देश के त्वरित, समान, आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी दावाधारकों की सक्रिय भागीदारी से इस मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए इष्टतम सतत विकास, गुणवत्ता बनाए रखने ओर देश के जल संसाधन के प्रभावी उपयोग के लिए जागरुकता लाना **(ii)** आपसी सहयोग और प्रबंधन में समग्र	25.00	जल संसाधन के सतत विकास एवं उपयोग के लिए लोगों में जानकारी सृजन हेतु शिक्षा देना ।	क्रियाकलाप जारी है ।	वित्तीय वर्ष 2011-12, दिसम्बर 2011 तक 18 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान) के बजटीय आवंटन के 14.33 करोड़ रुपये की धनराशि हेतु स्वीकृतियां जारी की गईं । सहायता-अनुदान के रूप में 5,00,000 रुपये के व्यय सहित	

		आयोजना एवं सहभागी दृष्टिकोण अपनाने की अविलंब आवश्यकता के लिए जागरुकता जगाना । **(iii)** जल संरक्षण की आवश्यकता के संबंध में लोगों में जागरुकता फैलाना । **(iv)** जल विज्ञान एवं तकनीकी और जल संसाधन के सतत विकास से संबंधित मुद्दों के संबंध में ज्ञान को सिखाना, प्रलेखन और फैलाने पर ध्यान देते हुए राष्ट्रीय जल नीति के सिद्धांतों को प्रोत्साहित करना । **(v)** जल की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्षाजल संचयन और भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के उपायों को अपनाने की आवश्यकता के संबंध में जागरुकता फैलाना । **(vi)** अवसंरचना विशेष तौर पर अभियान तंत्र एवं सहायक ढांचे के संबंध में जागरुकता फैलाना ।				अनेक जन जागरुकता कार्यकलापों पर 13,52,53,065 रुपये खर्च किए गए । आदिवासी क्षेत्रों में जागरुकता फैलाने के लिए आदिवासी उप-योजना के अंतर्गत 80,00,000 रुपये केन्द्रीय जल आयोग तथा सीजीडब्ल्यूबीमें रखे गए । विज्ञापन एवं प्रचार केउप-शीर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित क्रिया-कलाप किए :- 1 चित्रकला प्रतियोगिता:- • 29 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में जल संसाधन मंत्रालय द्वारा स्कूल, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर त्रिस्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई थी । • 29 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में स्कूल स्तरीय प्रतियोगिता में **23,475** स्कूलों से कुल **16,05,346** छात्रों ने भाग लिया था । • राज्य/संघ शासित क्षेत्र में प्राप्त 50 सबसे अच्छी प्रतिष्टियों के बीच राज्य/संघ शासित क्षेत्र की राजधानियों में 14 नवम्बर, 2011 को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई थी । • प्रत्येक राज्य / संघ राज्य	

						क्षेत्र से राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेताओं को 21 जनवरी, 2011 को आयोजित राज्य स्तरीय, चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया । **2. जल संरक्षण पर जन-जागरुकता हेतु इलेक्ट्रोनिक मीडिया अभियान** • जल संरक्षण पर वीटियों स्पॉटों के प्रसारण के लिए 60 दिनों के लिए 20.6.2011 से 18.8.2011 तक राष्ट्रीय तथा दिल्ली दूरदर्शन के समाचार चैनलों तथा 13 क्षेत्रीय चैनलों तथा दूरदर्शन का दिल्ली एलपीटी पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभियान आरंभ किया गया तथा 1.10.2011से 8.12.2011 तक 69 दिनों की अवधि हेतु निःशुल्क बोनस प्रसारण समय । • जल संरक्षण पर आडियो स्पॉटों के प्रसारण हेतु 43 दिनों के लिए 20.6.2011 से 1.8.2011 तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभियान को आकाशवाणी	

						के राष्ट्रीय समाचार, प्राथमिक चैनल / एलआरएल विविध भारती राष्ट्रीय (37 स्टेशन), (188 स्टेशन) 22 एफएम चैनलों और क्षेत्रीय समाचार के 31 स्टेशनों पर शुरू किया गया है । • 11.11.2011 से 24.11.2011 तक 14 दिन की अवधि के लिए देश भर के सिनेमाघरों में डिजिटल अभियान आरंभ किया गया • वर्तमान में 130 दिनों के लिए जल संरक्षण पर 30 सेकेंड के वीडियो स्पॉट तथा 15.12.2011 से 22.4.2012 तक 16 सप्ताह के लिए सप्ताह में एक बार 22 मिनट तथा 8 सेकेंड की एफपीएआरपी पर एक डाक्यूमेंटरी का लोक सभा दूरदर्शन पर प्रसारण किया जा रहा है । **3. प्रिंट मीडिया अभियान :-** • "भूमिजल संवर्धन पुरस्कार" तथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, 2010 कि लिए नामांकन प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय	

						एवं प्रांतीय समाचार पत्रों में विज्ञापन । • दिनांक 19.11.2011 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राज्यों की राजधानियों से एक विज्ञापन जारी किया गया था । **4. कार्यशाला / सेमिनार / सम्मेलन :-** • दिल्ली में 18 से 20 नवम्बर, 2011 से "नदी जल" पर 11 "गैर-हिंसक विकल्प" के लिए सहायता अनुदान। • नई दिल्ली में ललित होटल में 22-23 नवम्बर, 2011 तक सीआईआई, नई दिल्ली को उनके वार्षिक फ्लैगशिप ईवेंट - 17वां प्रौद्योगिकी शिखर प्रौद्योगिकी एवं प्लेटफॉर्म हेतु सहायता-अनुदान । **5. मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना :-** जल संरक्षण तथा प्रबंधन पर लोगों में जागरुकता फैलाने के लिए • पेवेलियन खड़े कर, जल संरक्षण पर मॉडलों के माध्यम से 14 से 27 नवम्बर, 2011	

						तक नई दिल्ली में आईआईटीएफ - 2011 में मंत्रालय तथा इसके संगठनों ने भाग लिया । 12-14 अक्तूबर, 2011 में हैदराबाद में "जलवायु परिवर्तन" पर हुई एक अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचिका सभा में भाग लिया। **6. आदिवासी उप-योजना के अंतर्गत** * आदिवासी क्षेत्रों में आईईसी हेतु आदिवासी उप-योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए मंत्रालय की ओर से सीडब्ल्यूसी तथा सीजी डब्ल्यूबी द्वारा जन जागरुकता संबंधी कार्यकलाप ।	
17.	जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण तथा पुन:स्थापना	(i) जल निकायों की क्षमता की पुन: प्राप्ति तथा उसमें वृद्धि करना । (ii) उनकी सिंचाई क्षमता की पुन:प्राप्ति तथा विस्तार करना । (iii) कृषि / उद्यान कृषि उत्पादकता में सुधार (iv) पर्यटन, सांस्कृतिक कार्य-कलाप, पेयजल की उपलब्धता में वृद्धि	घरेलू सहयोग से 684.00 करोड़	(i) कार्यान्वयन हेतु निर्धारित संबंधित जिला परियोजनाओं की प्रगति की मॉनीटरिंग करना (ii) योजना को जब और जैसे पूरा किया जाए उसके निष्पादन का आकलन करना । (iii) राज्य सरकारों से प्राप्त डीपीआर के आधार पर राज्य सरकारों को निधियां जारी करना । (iv) जहां योजना कार्यान्वयनाधीन है वहां कार्यक्रम का सहवर्ती आकलन ।	इन स्कीमों को जारी रखा जा रहा है ।	उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान तथा हरियाणा को पहले ही 731.4 करोड़ रुपये जारी किए गए ।	बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, राजस्थान तथा हरियाणा को आगे की धनराशि जारी किए जाने की संभावना है ।

अनुलग्नक-III

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और राष्ट्रीय परियोजना

राज्यों को कुछ अधूरी वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, जो कि पूरा होने के अंतिम चरणों में थीं, को पूरा करने के लिए ऋण सहायता देने और देश में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम को 1996-97 के दौरान शुरू किया गया था । पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर, पर्वतीय राज्यों हिमाचल प्रदेश और ओडिशा के कोरापुट, बोलंगीर और कालाहांडी जिलों की सतही लघु सिंचाई स्कीमों को भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत 1999-2000 से केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए) उपलब्ध कराई गई है । अन्य केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों की तरह, अप्रैल, 2004 से इस कार्यक्रम में अनुदान घटक को शुरू किया गया है । दिसम्बर, 2006 से प्रभावी वर्तमान एआईबीपी मानदंडों के अनुसार गैर-विशेष श्रेणी राज्यों में वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 25**%** तक अनुदान और विशेष श्रेणी राज्यों (ओडिशा के अविभाज्य कोरापुट, बोलंगीर और कालाहांडी जिलों सहित) में वृहद/मध्यम/लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 90**%** तक अनुदान चयनित परियोजनाओं को उपलब्ध कराया जाता है । सूखा प्रवण/जनजाति क्षेत्रों में आने वाले गैर-विशेष श्रेणी राज्यों की लघु सिंचाई स्कीमों को विशेष श्रेणी राज्यों की स्कीमों के समान माना जाता है और इन्हें परियोजना लागत का 90**%** तक अनुदान जारी किया जाता है । सूखा-प्रवण/जनजातीय क्षेत्रों और बाढ़ संभावित क्षेत्रों को सिंचाई लाभ पहुंचाने वाली वृहद एवं मध्यम परियोजनाएं भी परियोजना लागत का 90**%** तक अनुदान के लिए पात्र हैं। इस कार्यक्रम के शुरू होने से आज तक राज्य सरकारों को 292 वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और 13098 सतही लघु सिंचाई स्कीमों के लिए एआईबीपी के अंतर्गत सीएलए/अनुदान के रूप में 51553.253 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध कराई गई है । इस कार्यक्रम के शुरू होने से अभी तक 134 वृहद/मध्यम और 9150 सतही लघु सिंचाई स्कीमों को पूरा कर लिया गया है । मार्च, 2009 तक वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से 5.486 मिलियन हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है और सतही लघु सिंचाई स्कीमों के माध्यमसे 0.454 मिलियन हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है । 2009-10 के दौरान मार्च, 2010 तक9.82 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का सृजन किया जाना अनुमानित किया गया है ।

एआईबीपी के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार सूखा प्रवण/जनजाति क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली परियोजनाओं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल के कृषि की समस्या वाले जिलों के लिए प्रधानमंत्री राहत पैकेज में शामिल परियोजनाओं और राष्ट्रीय औसत से कम सिंचाई विकास वाले राज्यों की परियोजनाओं को एआईबीपी के अंतर्गत नई परियोजना को शामिल करने के एक अनुपात एक के मानदंडों में छूट देते हुए एआईबीपी में शामिल किया जा सकता है । आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र के कृषि की समस्या वाले जिलों के लिए प्रधानमंत्री राहत पैकेज में शुरूआती तौर पर शामिल की गई 65 वृहद/मध्यम परियोजनाओं में से अभी तक 40 परियोजनाएं

एआईबीपी के अंतर्गत वित्तपोषित की गई हैं । इन परियोजनाओं के लिए अभी तक जारी किया गया अनुदान 5978.915 करोड़ रूपये है ।

वर्ष 2010-11 के लिए वित्त मंत्रालय ने 9750 करोड़ रूपए का बजट आबंटन एआईबीपी के लिए किया है जिसमें राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए 1450 करोड़ रूपए शमिल हैं जिसकी तुलना में एआईबीपी के अंतर्गत अनुदान के रूप में 2238.627 करोड़ रूपये जारी किए जा चुके हैं ।

राष्ट्रीय परियोजनाएं

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 7 फरवरी, 2008 को आयोजित की गई अपनी बैठक में निम्न चयन मानदंडों में आने वाली राष्ट्रीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी जल संसाधन मंत्रालय के प्रस्ताव को परियोजना लागत के 90% की केन्द्रीय सहायता अनुदान के रूप में देने पर अपनी सहमति दे दी है :

(i) अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं जहां भारत में जल का उपयोग एक संधि के तहत होता है अथवा जहां परियोजना की आयोजना और इसे शीघ्र पूरा करना देश के हित में आवश्यक है ।

(ii) नदियों को परस्पर जोड़ने संबंधी परियोजनाओं सहित अंतर्राज्यीय परियोजना लागत में हिस्सेदारी, पुनर्वास, विद्युत उत्पादन के पहलू आदि से संबंधित अंतर्राज्यीय मुद्दों का समाधान न होने के कारण देरी हो रही है ।

(iii) 2,00,000 हेक्टेयर से अधिक की अतिरिक्त क्षमता वाली अंत:राज्यीय परियोजनाएं और जहां जल की हिस्सेदारी के संबंध में कोई विवाद नहीं है और जहां जलविज्ञान स्थापित है ।

जल संसाधन मंत्रालय ने योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श से राष्ट्रीय परियोजनाओं संबंधी स्कीम के कार्यान्वयन के लिए वित्तपोषण की रीतियों और दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दे दिया है और इसे सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को भेज दिया है । अब तक राष्ट्रीय परियोजनाओं संबंधी स्कीम के अंतर्गत दो परियोजनाओं अर्थात महाराष्ट्र की गोसीखुर्द परियोजना और पंजाब की शाहपुर कांडी का वित्तपोषण किया गया है । गोसीखुर्द परियोजना को 2008-09 से 2010-11 के दौरान आजतक 2582.94 करोड़ रूपये की राशि का अनुदान दिया गया है । शाहपुर कांडी परियोजना को 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान 26.036 करोड़ रूपये की राशि का अनुदान किया गया है । वर्ष 2010-11 के दौरान तीस्ता बैराज परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना स्कीम के अंतर्गत निधियां प्राप्त होना आंरभ हो गया तथा परियोजना हेतु 81.00 करोड़ रूपये की राशि का अनुदान दिया गया है ।

परिव्ययों एवं परिणामों/लक्ष्यों की विवरणी **(2012-13)**

क्र.सं.	स्कीम/ कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य/परिणाम	वार्षिक योजना 2012-13 (प्रस्तावित)	मात्रात्मक सुपुर्दिगयां	प्रक्रिया/ समय सीमा	टिप्पणियां
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)	उन चालू सिंचाई/बहु-उद्देशीय परियोजनाओं जो कि निर्माण की अंतिम अवस्था में हैं तथा जो कि राज्य सरकार के संसाधन क्षमता से परे हैं, को (क) अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन तथा (ख) इन परियोजनाओं से परिकल्पित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से समयबद्ध तरीके से पूरा करना ।	**17000** करोड़ रूपये **(**एआईबीपी हेतु 14000 करोड़ रूपये तथा राष्ट्रीय परियोजनाओं हेतु 3000 करोड़ रूपये)	1.2 **मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य है तथा 10 वृहद/मध्यम परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ।**	1.2 **मिलियन हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य है तथा 10 वृहद/मध्यम परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ।**	एआईबीपी के अंतर्गत शामिल परियोजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

अनलग्नक -IV

XIवीं योजना परिव्यय की तुलना में जल संसाधन मंत्रालय के बजट का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(रूपये करोड़ में/निवल)

क्षेत्र/संगठन/स्कीम	XIवीं योजना	लेखों का	ब.प्रा.	वास्तविक	ब.प्रा.	वास्तविक	ब.प्रा.	वास्तविक	ब.प्रा.	वास्तविक	ब.प्रा.	सं.प्रा.	वास्तविक
	परिव्यय	शीर्ष	2007-08	2007-08	2008-09	2008-09	2009-10	2009-10	2010-11	2010-11	2011-12	2011-12	दिसम्बर 2011
वृहद एवं मध्यम सिंचाई													
1. राष्ट्रीय जल अकादमी	**15.00**	**2701**	2.00	1.86	2.30	2.37	2.60	2.53	4.00	2.94	3.00	4.00	2.77
2. अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम	**260.00**	**2701**	30.00	33.28	60.00	39.81	52.00	32.85	54.00	41.38	46.19	37.00	21.94
3. जल विज्ञान परियोजना	**180.00**	**2701**	33.00	6.98	44.00	9.92	38.10	21.54	53.00	27.22	80.00	50.00	14.60
4. जल संसाधन सूचना का विकास	**200.00**	**2701**	30.00	18.65	46.00	45.58	70.00	63.10	66.00	39.43	59.00	59.00	28.58
5. अवसंरचना विकास	**	**2701**	4.00	1.33	5.00	2.06	1.00	1.28	3.00	2.82	3.00	2.15	1.40
6. जल संसाधन विकास का अन्वेषण	**260.00**	**2701**	30.00	25.09	37.00	36.17	42.00	37.01	54.00	44.27	54.00	54.00	35.77
7. सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण	**90.00**	**2701**	2.00	1.32	13.00	9.08	12.00	10.85	15.00	13.30	25.00	18.00	8.63
8. बांध सुरक्षा अध्ययन और आयोजना	**10.00**	**2701**	1.00	0.48	1.60	0.80	1.00	0.34	1.50	1.10	3.00	2.00	0.87
9. नदी बेसिन संगठन/प्राधिकरण	**50.00**	**2701**	0.50	0.00	1.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	4.00	0.00	0.00
कुल: वृहद एवं मध्यम	**1065.00**		**132.50**	**88.99**	**209.90**	**145.79**	**219.20**	**169.50**	**251.00**	**172.46**	**277.19**	**226.15**	**114.56**
लघु सिंचाई													
सतही जल स्कीम													
10. भूजल प्रबंधन एवं नियमन	**460.00**	**2702**	62.00	48.11	95.00	54.37	70.00	68.82	100.00	80.92	120.00	132.00	79.46
11. राजीव गांधी एनजीडब्ल्यूटी एवं आरआई	**25.00**	**2702**	1.50	0.60	2.10	0.64	2.00	1.78	6.00	3.19	3.00	3.60	3.00
12. अवसंरचना विकास	**	**4702**	4.55	1.27	7.00	2.07	4.50	2.15	10.50	6.86	11.40	7.85	3.40
कुल: लघु सिंचाई	**485.00**		**68.05**	**49.98**	**104.10**	**57.08**	**76.50**	**72.75**	**116.50**	**90.97**	**134.40**	**143.45**	**85.86**
13. कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम	**$$**	**2705**	300.00	277.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल : सीएडी एवं डब्ल्यूएम			**300.00**	**277.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र													
14. बाढ़ पूर्वानुमान	**130.00**	**2711**	16.00	13.91	23.00	13.68	25.00	17.38	36.00	24.02	36.00	36.00	19.25
15. अवसंरचना विकास	**	**4711**	3.45	1.54	26.00	6.56	9.50	4.25	15.00	9.48	14.00	5.00	1.40
16. नदी प्रबंधन क्रियाकलाप एवं सीमावर्ती नदियों से संबंधित कार्य	**601.00**	**2711**	46.00	51.44	160.00	176.09	199.30	159.46	199.00	179.52	188.00	138.00	81.42
17. पगलादिया बांध परियोजना	**500.00**	**2552**	1.00	1.35	2.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.01	0.00	0.00
कुल : बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र	**1231.00**		**66.45**	**68.24**	**211.00**	**196.33**	**234.30**	**181.09**	**250.50**	**213.02**	**238.01**	**179.00**	**102.07**
परिवहन क्षेत्र													
18. फरक्का बैराज परियोजना	**350.00**	**5075**	33.00	30.99	75.00	54.03	70.00	68.95	82.00	44.02	70.40	71.40	55.23
ईएटी													-0.38
**** XIवीं योजना के लिए कुल आवंटन**	**115.00**												
$$ इस स्कीम को 2008-09 से राज्य क्षेत्र को अंतरित कर दिया गया है ।													
कुल	**3246.00**		**600.00**	**516.04**	**600.00**	**453.23**	**600.00**	**492.29**	**700.00**	**520.47**	**720.00**	**620.00**	**357.34**

अनुलग्नक -V

XII वीं योजना परिव्यय की तुलना में वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु जल संसाधन मंत्रालय के बजट का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(रूपये करोड़ में/निवल)

क्षेत्र/संगठन/स्कीम	लेखों के शीर्ष	बजट अनुमान 2012-13
वृहद एवं मध्यम सिंचाई		
1. अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम	**2701**	100.00
2. जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	**2701**	84.99
3. अवसंरचना विकास	**2701**	3.20
4. जल विज्ञान परियोजना	**2701**	70.00
5. मानव संसाधन विकास/क्षमता निर्माण	**2701**	85.00
6. नदी बेसिन प्रबंधन	**2701**	110.00
7. राष्ट्रीय जल मिशन का कार्यान्वयन	**2701**	200.00
8. सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम	**2701**	100.00
9. बांध पुनर्वास एवं सुधार कार्यक्रम (डीआरआईपी)	**2701**	24.00
कुल: वृहद एवं मध्यम सिंचाई		**777.19**
लघु सिंचाई		
सतही जल स्कीमें		
10. भूमि जल प्रबंधन एवं विनियमन	**2702**	318.00
11. जल संसाधन विकास/क्षमता निर्माण	**2702**	15.00
12. अवसंरचना विकास	**4702**	39.80
13. जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास	**2702**	0.01
कुल: लघु सिंचाई		**372.81**
बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र		
14. बाढ़ पूर्वानुमान	**2711**	48.00
15. अवसंरचना विकास	**4711**	12.00
16. नदी प्रबंधन कार्यकलाप तथा सीमावर्ती नदियों से संबंधित कार्य	**2711**	125.00
17. नदी बेसिन प्रबंधन	**2711**	90.00
कुल : बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र		**275.00**
परिवहन क्षेत्र		
18. फरक्का बैराज परियोजना	**5075**	75.00
कुल जोड़		**1500.00**